

सवाल व जवाब की शक्ति में ज़कात के
तफ़्सीली मसाल का अनमोल खज़ाना

ज़कात के मसाल

एतिकाफ़ का बयान



लेखक

मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद यूसुफ़ लुधियानवी रह०

सवाल व जवाब की शकल में ज़कात के
तफ़्सीली मसाल्ल का अनमोल खज़ाना

ज़कात के मसाल्ल

★ एतिकाफ़ का बयान ★

लेखक

मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद यूसुफ़ लुधियानवी रह०

हिन्दी अनुवादक मुहम्मद इमरान कासमी

प्रकाशक

फ़रीद बुक डिपो (प्रा. लि.)

2158, एम. पी. स्ट्रीट, पटौदी हाऊस, दरिया गंज

नई दिल्ली-110002

सर्वाधिकार प्रकाशक के लिए सुरक्षित हैं

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

नाम किताब	ज़कात और एतिकाफ के मसाईल
लेखक	मौलाना मुहम्मद यूसुफ़ लुधियानवी
हिन्दी अनुवादक	मुहम्मद इमरान कासमी
संयोजक	मुहम्मद नासिर ख़ान
तायदाद	1100
प्रकाशन वर्ष	सितम्बर 2008
कम्पोज़िंग	इमरान कम्प्यूटर्स मुज़फ़्फ़र नगर (09456095608)

>>>>>>>>>>>>>>>>

प्रकाशक

फ़रीद बुक डिपो (प्रा०) लि०

2158, एम. पी. स्ट्रीट, पटौदी हाऊस, दरिया गंज, नई देहली-110002

फ़ोन आफिस, 23289786, 23289159 आवास, 23280786

फ़ेहरिस्त उनवानात

उनवान

पेज

ज़कात के मसाईल

- | | |
|---|----|
| • ज़कात दौलत की तफ़्सीम का इन्क़िलाबी निज़ाम | 17 |
| • ज़कात की फ़र्जियत | 17 |
| • ज़कात के फ़ायदे | 19 |
| • ज़कात टैक्स नहीं | 28 |
| • ज़कात हुक्ूमत क्यों वुसूल करे? | 30 |
| • ज़कात के चन्द मसाईल | 32 |
| • ज़कात के मसारिफ़ | 34 |
| • ज़कात अदा करने के फ़ज़ाईल और न देने का वबाल | 34 |
| • ज़कात व सदकात की फ़ज़ीलत | 35 |
| • ज़कात अदा न करने पर वईद | 37 |
| • ज़कात के डर से ग़ैर-मुस्लिम लिखवाना | 38 |

ज़कात किस पर फ़र्ज़ है?

- | | |
|--|----|
| • बालिग़ पर ज़कात | 40 |
| • नाबालिग़ के माल पर ज़कात | 40 |
| • नाबालिग़ की मिल्कियत पर ज़कात नहीं | 40 |
| • अगर नाबालिग़ बच्चियों के नाम सोना कर दिया तो ज़कात किस पर होगी | 41 |
| • यतीम नाबालिग़ बच्चे पर ज़कात नहीं | 41 |

उनवान	पेज
● पागल पर ज़कात नहीं है	42
● ज़ेवर की ज़कात	42
● औरत पर ज़ेवर की ज़कात	43
● बीवी की ज़कात शौहर के जिम्मे नहीं	43
● बीवी के ज़ेवर की ज़कात का मुतालबा किस से होगा?	44
● शौहर और बीवी की ज़कात का हिसाब अलग-अलग है	45
● शौहर बीवी के ज़ेवर की ज़कात अदा कर सकता है	45
● ज़ेवर की ज़कात किस पर होगी?	46
● मरहूम शौहर की ज़कात बीवी पर फर्ज नहीं	46
● ज़ेवर की ज़कात और उस पर विरासत का हक	47
● बेटी के लिए ज़ेवर पर ज़कात	48
● गुज़रे सालों की ज़ेवर की ज़कात	48
● निसाब में व्यक्तिगत मिल्कियत का एतिबार है	49
● ख़ानदान की सामूहिक ज़कात	50
● मुश्तरका घरदारी में ज़कात कब वाजिब होगी	50
● मुश्तरका ख़ानदान में बीवी, बेटी, बहुओं की ज़कात किस तरह दी जाए	51
● साझे के कारोबार की ज़कात किस तरह अदा की जाएगी	52
● कर्ज़ की ज़कात किसके जिम्मे है	53
● ना-दहन्दा कर्ज़दार को दी गई कर्ज़ की रकम पर ज़कात	55
● अमानत की रकम पर ज़कात	56
● अगर अमानत की रकम से हुक्ूमत ज़कात काट ले तो?	57
● ज़मानत की रकम की ज़कात	57

उनवान	पेज
ज़कात का निसाब और शर्तें	
• ज़कात किन चीज़ों पर फ़र्ज़ है	58
• निसाब की एकमात्र शर्त क्या है?	59
• ज़कात कब वाजिब हुई	62
• नक़द और तिजारात के माल के लिए चाँदी का निसाब मेयार है	63
• निसाब से कम अगर केवल सोना हो तो ज़कात वाजिब नहीं	63
• साढ़े सात तोले सोने से कम पर नक़दी मिलकर ज़कात वाजिब है	64
• क्या निसाब से ज़ायद में निसाब के पाँचवे हिस्से तक छूट है?	64
• एक और सवाल	66
• निसाब से ज़्यादा सोने की ज़कात	67
• नोट पर ज़कात	68
• ज़कात बचत की रक़म पर होती है, तन्ख्याह पर नहीं	68
• ज़कात माहाना तन्ख्याह पर नहीं बल्कि बचत पर साल गुज़र जाने पर है	69
• तन्ख्याह की रक़म जब तक वुसूल न हो-उस पर ज़कात नहीं	69
• ज़कात किस हिसाब से अदा करें	70
• कारोबार में लगाई गई रक़म पर ज़कात वाजिब है	71
• असल रक़म और मुनाफ़े पर ज़कात	71

उनवान	पेज
❁ काबिले फ़रोख़्त माल और नफ़ा दोनों पर ज़कात वाजिब है	71
❁ कारोबार में लगे कर्ज़ को निकाल करके ज़कात दे	72
❁ काबिले फ़रोख़्त माल की कीमत से कर्ज़ निकाल करके ज़कात दी जाए	73
❁ उद्योग का हर काबिले फ़रोख़्त माल भी माले ज़कात है	74
❁ साल के दौरान जितनी भी रक़म आती रहे, लेकिन ज़कात साल के समापन पर मौजूद रक़म पर होगी	74
❁ जब निसाब के बराबर माल पर साल गुज़र जाए तो ज़कात वाजिब होगी	75
❁ ज़कात अन्दाज़े से देना सही नहीं	77
❁ किसी ख़ास मक़सद के लिए निसाब के बराबर माल पर ज़कात	77
❁ अगर पाँच हज़ार रुपये हों और निसाब से कम सोना हो तो ज़कात का हुक्म	77
❁ ज़ेवर की ज़कात बिक्री की कीमत पर	78
❁ ज़ेवरात की ज़कात की दर	78
❁ इस्तेमाल वाले ज़ेवरात पर ज़कात	79
❁ ज़ेवरात और अशरफ़ी पर ज़कात वाजिब है	79
❁ ज़ेवर के नग पर ज़कात नहीं लेकिन खोट सोने में शुमार होगा	79
सोने की ज़कात	
❁ सोने की ज़कात का एक मसला	81

उन्वान	पेज
• ज़ेवरात पर पिछले सालों की ज़कात	82
• बच्चियों के नाम पाँच-पाँच तोले सोना कर दिया और उनके पास चाँदी और रकम नहीं तो किसी पर भी ज़कात नहीं	83
• पिछली ज़कात मालूम न हो तो अन्दाज़े से अदा करना जायज़ है	84
• ज़कात का साल शुमार करने का उसूल	84
• ज़कात की अदायेगी का वक़्त	85
• साल पूरा होने से पहले ज़कात अदा करना सही है	87
• ज़कात अदा न करने पर साल का शुमार	87
• बीच साल की आमदनी पर ज़कात	88
• गुज़रे साल की अदा न की हुई ज़कात का मसला	88
• माल कीनिकाली हुई ज़कात पर अगर साल गुज़र गया तो क्या उस पर भी ज़कात आएगी?	89
• किस प्लाट पर ज़कात वाजिब है किस पर नहीं	90
• ख़रीदे हुए प्लाट पर ज़कात कब वाजिब होगी	90
• रिहाईशी मकान के लिए प्लाट पर ज़कात	90
• तिजारती प्लाट पर ज़कात	91
• तिजारत के लिए मकान या प्लाट की मार्केट कीमत पर ज़कात है	92
• जो मकान किराये पर दिया है उसके किराये पर ज़कात है	93
• मकान की ख़रीद पर ख़र्च होने वाली रकम पर ज़कात	93
• हज़ के लिए रखी हुई रकम पर ज़कात	94

उनवान

	पेज
❁ चन्दे की ज़कात	94
❁ ज़ेवरात के अलावा जो चीज़ें इस्तेमाल में हों उन पर ज़कात नहीं	95
❁ ज़ेवरात के अलावा इस्तेमाल की चीज़ों पर ज़कात नहीं	95
❁ इस्तेमाल के बरतनों पर ज़कात	96
❁ दवाओं पर ज़कात	96
❁ उधार की रकम की ज़कात	96
❁ शेयरो पर ज़कात	97
❁ ख़रीदे हुए बीज या खाद पर ज़कात नहीं	98
❁ प्राविडेंट फ़ण्ड पर ज़कात	98
❁ कम्पनी में निसाब के बराबर जमा शुदा रकम पर ज़कात वाजिब है	99
❁ बैंक जो ज़कात काटता है उसका इन्कम टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं	99
❁ कर्ज़दार को दी हुई रकम पर ज़कात वाजिब है और ज़कात में कीमती कपड़े दे सकते हैं	100
❁ टैक्सी के ज़रिये किराये की कमाई पर ज़कात है, टैक्सी पर नहीं	101

ज़कात अदा करने का तरीका

❁ एकमुश्त किसी एक को ज़कात निसाब के बराबर देना	103
❁ बग़ैर बताये ज़कात देना	103
❁ ज़कात अदा करने की एक सूरत	104
❁ माल वाले के हुक्म के बग़ैर वकील ज़कात अदा नहीं कर सकता	104

उनवान	पेज
• ज़कात की पब्लिसिटी	105
• थोड़ी-थोड़ी ज़कात देना	105
• प्रस्तावित पेशगी ज़कात की रक़म से कर्ज़ देना	108
• गुज़रे सालों की ज़कात	108
• गुज़रे सालों की ज़कात कैसे अदा करें	109
• दुकान की ज़कात किस तरह अदा की जाए	111
• इस्तेमाल शुदा चीज़ ज़कात के तौर पर देना	112
• न बिकने वाली चीज़ ज़कात में देना	112
• सामान और चीज़ों की शक़ल में ज़कात की अदायेगी	112
• ज़कात की रक़म से मुस्तहिक़ लोगों के लिए कारोबार करना	113
• ज़कात की रक़म से ग़रीबों के लिए कारख़ाना लगाना	114
• कर्ज़ दी हुई रक़म में ज़कात की नीयत करने से ज़कात अदा नहीं होती	114
• कर्ज़ दी हुई रक़म पर ज़कात सालाना दें चाहे कर्ज़ की वुसूली पर एकमुश्त	115
• मक्ख़र्रज आदमी सोने की ज़कात किस तरह अदा करें	115
• ज़कात से मुलाज़िम को तन्ख़्वाह देना जायज़ नहीं, इमदाद के लिए ज़कात देना जायज़ है	116
• मुलाज़िम को एडवांस दी हुई रक़म की ज़कात की नीयत दुरुस्त नहीं	117
• आईन्दा के मज़दूरी के ख़र्चे ज़कात से निकालना दुरुस्त नहीं	117

उनवान	पेज
• ज़कात की रक़म से मस्जिद का जनरेटर ख़रीदना जायज़ नहीं	118
• पैसे न हों तो ज़ेवर बेचकर ज़कात अदा करे	118
• बीवी खुद ज़कात अदा करे चाहे ज़ेवर बेचना पड़े	119
• ग़रीब माँ निसाब भर सोने की ज़कात ज़ेवर बेचकर दे	120
• शौहर के मरने पर ज़कात किस तरह अदा करें	120
• अगर नक़दी न हो तो पिछले और आने वाले सालों की ज़कात में ज़ेवर दे सकते हैं	121
• दुकान में मौजूद माले तिजारत पर ज़कात और अदायेगी का तरीक़ा	121
• इन्कम टैक्स अदा करने से ज़कात अदा नहीं होती	122
• मालिक बनाए बग़ैर फ़्लेट रहने के लिए देने से ज़कात अदा नहीं होगी	123
किन लोगों को ज़कात दे सकते हैं	
(ज़कात अदा करने के मसारिफ़)	
• ज़कात के मुस्तहिक़ लोग	126
• ज़कात किसे दी जाये	126
• सैयद और हाशमियों की मदद ज़कात के अलावा दूसरी रक़म से की जाए	127
• सैयद हज़रात को ज़कात क्यों नहीं दी जाती?	128
• सैयदों को ज़कात क्यों न दी जाये	129
• सैयद की बीवी को ज़कात	129

उनवान	पेज
• सादात लड़की की औलाद को ज़कात	130
• ज़कात का सही मसूरफ़	131
• ज़कात लेने वाले के जाहिर का एतिबार होगा	132
• मामूली आमदनी वाले रिश्तेदार को ज़कात देना जायज़ है	132
• भाई को ज़कात देना	133
• भाई और वालिद को ज़कात देना	133
• ग़रीब बहन भाईयों को ज़कात देना	134
• चचा को ज़कात	134
• भतीजे या बेटे को ज़कात देना	135
• बीवी का शौहर को ज़कात देना जायज़ नहीं	135
• मालदार बीवी के ग़रीब शौहर को ज़कात देना सही है	136
• शादीशुदा औरत को ज़कात देना	136
• मालदार औलाद वाली बेवा को ज़कात	137
• ज़कात की मुस्तहिक	137
• बेवा और बच्चों को तर्का मिलने पर ज़कात	138
• ज़रूरत-मन्द लेकिन साहिबे निसाब बेवा की ज़कात से इमदाद कैसे?	139
• परेशान-हाल बेवा को ज़कात देना	139
• रोज़गार पर लगी बेवा को ज़कात देना	140
• शौहर के भाईयों और भतीजों को ज़कात देना	141
• ग़ैर-मुस्तहिक को ज़कात की अदायेगी	141
• काम-काज न करने वाले आदमी की कफ़ालत ज़कात से करना जायज़ है	142

उनवान	पेज
● साहिबे निसाब मकरूज़ पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं	142
● कर्ज़दार की ज़कात का हुक़्म	143
● मकरूज़ को ज़कात देकर कर्ज़ दुसूल करना	143
● मुस्तहिक को ज़कात में मकान बनाकर देना और वापसी की उम्मीद करना	144
● साहिबे निसाब के लिए ज़कात की मद से खाना	145
● माज़ूर लड़के के बाप को ज़कात देना	146
● ग़रीब को ज़कात देना और नीयत	146
● क्या निसाब की क़ीमत वाली भैंस का मालिक ज़कात ले सकता है	147
● इमाम को ज़कात देना	147
● इमाम मस्जिद को तन्ख़्वाह ज़कात की रक़म से देना जायज़ नहीं	148
● जेल में ज़कात देना	149
● भीख माँगने वालों को ज़कात देना	149
● ग़ैर-मुस्लिम को ज़कात देना जायज़ नहीं	149
● ग़ैर-मुस्लिम को ज़कात और सदका देना दुरुस्त नहीं	150
● ग़ैर-मुस्लिमों को ज़कात	150
● ज़कात और खालें उन संगठनों को दें जो उनको सही जगह पर खर्च करें	151
● दीनी मदरसों को ज़कात देना बेहतर है	152
● क्या ज़कात और कुरबानी की खाल मदरसे को देना जायज़ है	152
● ज़कात की रक़म से मदरसा और मतब चलाने की सूरत	153

उनवान	पेज
• ज़कात से अस्पताल कायम करना	154
• मस्जिद में ज़कात का पैसा लगाने से ज़कात अदा नहीं होती	155
• तब्लीग़ के लिए भी किसी को मालिक बनाए बग़ैर ज़कात अदा नहीं होगी	155
• ज़कात की रक़म से कीड़े-मकोड़ों और परिन्दों को दाना डालने से ज़कात अदा नहीं होगी	155
• हुकूमत के ज़रिये ज़कात की तक़सीम	156
• फ़लाही इदारे ज़कात के वकील हैं जब तक मुस्तहिक़ को अद न कर दें	156
• ज़कात से चन्दा वुसूल करने वाले को मुकर्ररा हिस्सा देना जायज़ नहीं	158
पैदावार का उशर	
• उशर का मतलब और मायने	159
• ज़मीन की हर पैदावार पर उशर है, ज़कात नहीं	160
• उशर कितनी आमदनी पर है?	161
• पैदावार के उशर के बाद उसकी रक़म पर ज़कात का मसला	161
• ग़ल्ले और फल की पैदावार पर उशर की अदायेगी	162
• उशर अदा कर देने के बाद फ़रोख़्त करने तक ग़ल्ले पर न उशर है न ज़कात	163
• मुज़ारअत की ज़मीन में उशर	163
• ट्रैक्टर वग़ैरह चलाने से खेती का उशर बीसवाँ हिस्सा है	164
• क़बिले नफ़ा फल होने पर बाग़ बेचना जायज़ है,	

उनवान	पेज
उसका उशर मालिक के जिम्मे होगा	164
● उशर की रकम आम फायदे के कामों के लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए है	165
● उशर की अदायेगी से मुताल्लिक विभिन्न मसाईल	165
जकात के विभिन्न मसाईल	
● जकात देने वाला जिस मुल्क में हो उसी मुल्क की करन्सी का एतिबार होगा	167
● जकात के लिए निकाली हुई रकम या सूद का इस्तेमाल	168
● सूद की रकम पर जकात	168
सदका-ए-फित्र	
● सदका-ए-फित्र के मसाईल	169
● सदका-ए-फित्र गैर-मुस्लिम को देना जायज है, मसले की तस्हीह व तहकीक	171
मन्नत व सदका	
● सदके की परिभाषा और किस्में	175
● खैरात, सदके और नज़्र में फर्क	175
● सदके और मन्नत में फर्क	176
● नज़्र व मन्नत की तारीफ	176
● मन्नत की शर्तें	177
● सिर्फ़ ख्याल आने से मन्नत लाज़िम नहीं होती	177
● हलाल माल सदका करने से बला दूर होती है,	

उन्वान	पेज
हराम माल से नहीं	178
• गैरुल्लाह की नियाज़ का मसला	179
• बकरी किसी ज़िन्दा या मरे हुए के नाम करना	180
• ख़ातूने जन्नत की कहानी मन-गढ़त है और उसकी मन्नत नाजायज़	180
• न तो मज़ार पर सलामी की मन्नत मानना जायज़ है और न उसका पूरा करना	181
• सेहत के लिए अल्लाह से मन्नत मानना जायज़ है	181
• पराई लकड़ियों से पकी हुई चीज़ जायज़ नहीं	182
• हराम माल से सदका नाजायज़ और वबाल का सबब है	182
• एक हाथ से सदका दिया जाए तो दूसरे हाथ को पता न चले, का मतलब	183
• सदके में बहुत-सी शर्तें और पाबन्दियाँ लगाना दुरुस्त नहीं	184
• मन्नत को पूरा करना ज़रूरी है और उसके मुस्तहिक ग़रीब लोग और मदरसे के तालिब-इल्म हैं	184
• काम होने के लिए जिस चीज़ की मन्नत मानी थी वह याद नहीं रही तो क्या करे	185
• अगर सदके की अमानत गुम हो गई तो उसका अदा करना लाज़िम नहीं	186
• शीरीनी की मन्नत मानी हो तो उतनी रकम भी ख़र्च कर सकते हैं	187
• मय्यित के सवाब के लिए किया हुआ सदका मस्जिद में इस्तेमाल करना	187
• मन्नत पूरी करना काम होने के बाद ज़रूरी है,	

उजवान

पेज

- | | पेज |
|---|-----|
| न कि पहले | 188 |
| ● मन्नत का एक ही रोज़ा रखना होगा या दो | 188 |
| ● सद्के का गोशत घर में इस्तैमाल करना नाजायज़ है | 189 |
| ● जो गोशत फ़कीरों और भिस्कीनों में तकसीम कर दिया वह सद्का है, जो घर में रखा वह सद्का नहीं | 189 |
| ● मन्नत का गोशत सिर्फ़ ग़रीब खा सकते हैं | 191 |
| ● मन्नत की नफ़लों का पूरा करना वाजिब है | 192 |
| ● मन्नत के नफ़िल जितने याद हों उतने ही पढ़े जाएँ | 192 |
| ● कुरआन मजीद ख़त्म कराने की मन्नत लाज़िम नहीं होती | 192 |
| ● ग्यारहवीं, बारहवीं को नज़्र नियाज़ करना | 193 |
| ● ख़ैरात फ़कीर के बजाये कुत्ते को डालना जायज़ नहीं | 194 |

नफ़ली सद्कात

- | | |
|--|-----|
| ● सद्का और ख़ैरात की परिभाषा | 194 |
| ● सद्के का तरीका | 195 |
| ● सद्का कब लाज़िम होता है | 197 |
| ● ख़ैरात का खाना खिलाने का सही तरीका | 197 |
| ● चोरी के माल की वापसी या उसके बराबर सद्का | 198 |
| ● ऐसी चीज़ का सद्का जिसका मालिक लापता हो | 199 |



ज़कात के मसाईल

ज़कात दौलत की तक़सीम का

इन्क़िलाबी निज़ाम

सवाल: ज़कात से अ़वाम के क्या फ़ायदे हैं? यह भी एक किस्म का टैक्स है, जिसको आम लोगों के फ़ायदे पर ख़र्च करना चाहिए। इस विषय पर तफ़्सील से रोशनी डालिये।

जवाब: मैं आपके मुख़्तसर सवाल को पाँच उनवानों पर तक़सीम करता हूँ। ज़कात की फ़र्ज़ियत, ज़कात के फ़ायदे, ज़कात टैक्स नहीं बल्कि इबादत है, ज़कात के ज़रूरी मसाईल और ज़कात के मसारिफ़।

ज़कात की फ़र्ज़ियत

ज़कात इस्लाम का एक अहम रुक्न है, क़ुरआन करीम में इसकी बार-बार ताकीद की गई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इरशाद में भी इसकी अहमियत व इफ़ादियत और इसके अदा न करने के वबाल को बहुत ही नुमायाँ किया गया है। क़ुरआन करीम में है:

وَالَّذِينَ يَكْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا

جَاهُهُمْ وَجَنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا
 كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝

तर्जुमा: जो लोग सोने और चाँदी का जखीरा जमा करते हैं और उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशख़बरी सुना दो, जिस दिन उन सोने चाँदी के खज़ानों को जहन्नम की आग में तपा कर उनके चेहरों, उनकी पुश्तों और उनके पहलुओं (करवटों) को दागा जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि यह था तुम्हारा माल जो तुमने अपने लिए जमा किया था, पस अपने जमा किए की सज़ा चखो।

(सूर: तौबा आयत 34-35)

हदीस में इरशाद है:

قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلوة و ايتاء الزكوة وحج البيت وصوم رمضان.

इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों पर है:

1. इस बात की गवाही देना कि अल्लाह तअ़ाला के सिवा कोई माबूद नहीं और यह कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उसके बन्दे और रसूल हैं।

2. नमाज़ कायम करना।

3. जकात अदा करना।

4. बैतुल्लाह का हज करना।

5. रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना। (बुखारी, मुस्लिम 32-1)

एक और हदीस में है कि जिस शख्स ने अपने माल की

ज़कात अदा कर दी उसने उसके शर (बुराई) को दूर कर दिया। (कन्जुल्ल-उम्माल हदीस 15778, मज्मउज़्जवाईद 3-63)

एक और हदीस में है कि जब तुमने अपने माल की ज़कात अदा कर दी तो तुम पर जो ज़िम्मेदारी आयद होती थी उससे तुम बरी हो गए। (तिर्मिज़ी 78-1, इब्ने माजा पेज 128)

एक और हदीस में है कि अपने मालों को ज़कात के ज़रिये महफ़ूज़ (सुरक्षित) करो, अपने बीमारों का सदके से इलाज करो और मुसीबतों के तूफ़ानों का दुआ और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने से मुक़बला करो। (अबू दाऊद)

एक और हदीस में है कि जो शख्स अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता क़ियामत में उसका माल गंजे साँप की शक्ल में आएगा और उसकी गर्दन से लिपट कर गले का तौक बन जाएगा।

(सुनन नसई पेज 333 जिल्द 1, सुनन इब्ने माजा पेज 128)

इस मज़मून की बहुत से हदीसें हैं जिनमें ज़कात न देने पर क़ियामत के दिन हौलनाक सज़ाओं की वईदें सुनाई गई हैं।

ज़कात के फ़ायदे

हक़ तआला शानुहू ने जितने अहकाम बन्दों के लिए मुकर्रर फरमाए हैं उनमें बेशुमार हिक्मतें हैं जिनका इनसानी अक्ल इहाता नहीं कर सकती। चुनाँचे अल्लाह तआला ने ज़कात का फ़रीज़ा आयद करने में भी बहुत सी हिक्मतें रखी हैं, और सच्ची बात यह है कि यह निज़ाम ऐसा पाकीज़ा व पवित्र और इतना आला व ऊँचा है कि इनसानी अक्ल इसकी

बुलन्दियों तक पहुँच हासिल करने से कासिर है, यहाँ चन्द आम-फ़हम फ़ायदों की तरफ़ इशारा करना चाहता हूँ।

1. आज पूरी दुनिया में समाजियात की बात हो रही है, जिसमें ग़रीबों की फ़लाह व उत्थान का नारा लगाकर उन्हें मालदार तबके के खिलाफ़ उकसाया जा रहा है, इस तहरीक (आंदोलन) से ग़रीबों का भला कहाँ तक होता है? यह एक मुस्तक़िल विषय है, मगर यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि अमीर व ग़रीब की यह जंग सिर्फ़ इसलिए पैदा हुई कि अल्लाह तआला ने मालदार तबके के जिम्मे कमज़ोर ग़रीब तबके के जो हुकूक़ आयद किए थे उनसे उन्होंने लापरवाही की। अगर पूरे मुल्क की दौलत का चालीसवाँ हिस्सा ज़रूरत-मन्दों में तक़सीम कर दिया जाए और यह अमल एक वक़्ती सी चीज़ न रहे बल्कि एक निरंतर अमल की शक़ल इख़्तियार कर ले और अमीर तबका किसी तरगीब (प्रलोभन) व उभारने और किसी जोर-जबरदस्ती के बग़ैर हमेशा यह फ़रीज़ा अदा करता रहे और फिर इस रक़म की इन्साफ़ के साथ तक़सीम मुसलसल (लगातार) होती रहे तो कुछ मुद्दत बाद आप देखेंगे कि ग़रीबों को अमीरों से शिकायत ही नहीं रहेगी और अमीर व ग़रीब की जिस जंग से दुनिया जहन्नम का घर बनी हुई है वह इस निज़ाम की बदौलत राहत व सुकून की जन्नत बन जाएगी।

मैं सिर्फ़ पाकिस्तान की मिल्लते इस्तामिया से नहीं बल्कि दुनिया भर के इनसानों और समाजों से कहता हूँ कि वे इस्ताम के ज़कात सिस्टम को लागू करके इसकी बरकतों का मुशाहिदा करें और मालदार मुल्कों की जितनी दौलत

कम्यूनियज्म का मुकाबला करने पर खर्च हो रही है वह भी इसी मद में शामिल करें।

2. माल व दौलत की हैसियत इनसानी रोज़गार और जिन्दगी गुज़ारने में वही है जो खून की बदन में है। अगर खून की गर्दिश में फ़तूर आ जाए तो इनसानी जिन्दगी को ख़तरा लाहिक़ हो जाता है, और कई बार दिल का दौरा पड़ने से इनसान की अचानक मौत हो जाती है। ठीक इसी तरह अगर दौलत की गर्दिश (घूमना) इन्साफ़ के साथ न हो तो सामाजिक जिन्दगी ख़तरे में होती है और किसी वक़्त भी दिल की धड़कन बन्द हो जाने का ख़ौफ़ तारी रहता है। हक़ तज़ाला ने दौलत की न्यायिक तफ़सीम और अदिलाना गर्दिश के लिए जहाँ और बहुत सी तदबीरें इरशाद फ़रमाई हैं उनमें से एक जुकात व सदकात का निज़ाम भी है, और जब तक यह निज़ाम सही तौर पर नाफ़िज़ न हो और समाज इस निज़ाम को पूरे तौर पर हज़म न कर ले तब तक न दौलत की न्यायिक गर्दिश का तसव्वुर किया जा सकता है और न समाज टूट-फूट और पतन से महफ़ूज़ रह सकता है।

3. पूरे समाज को एक इकाई तसव्वुर कीजिए और समाज के अफ़राद को उसके अंग समझिये। आप जानते हैं कि किसी हादसे या सदमे से किसी उज्व (अंग) में खून जमा होकर जम जाए तो वह गल सड़कर फोड़े फुन्सी की शक्ल में पीप बनकर बह निकलता है, इसी तरह जब समाज के आज़ा (अंगों और हिस्सों) में ज़रूरत से ज़्यादा खून जमा हो जाता है तो वह भी सड़ने लगता है और फिर कभी ऐश व आरामअ और फुज़ूल-खर्ची की शक्ल में निकलता है कभी अदालतों और

वकीलों के चक्कर में जाया होता है, कभी बीमारियों और अस्पतालों में लगता है, बभी ऊँची-ऊँची बिल्डिंगों और महलों की तामीर में बरबाद हो जाता है (और इस बरबादी का एहसास आदमी को उस वक़्त होता है जब उसकी गिरफ्तारी के वारन्ट जारी हो जाते हैं और उसे ख़ाली हाथ यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है)। क़ुदरत ने ज़कात व सदक़ात के ज़रिये उन फोड़े फुन्सियों का इलाज तजवीज़ किया है, जो दौलत के एक जगह जमा होने, जम जाने की बदौलत समाज के जिस्म पर निकल आती हैं।

4. अपनी जिन्स और अपने भाईयों से हमदर्दी इनसानियत का उम्दा तरीन वस्फ़ है, जिस शख्स का दिल अपने जैसे इनसानों की बेचारगी, गुर्बत व तंगदस्ती, भूख, फ़क़्र व फ़ाक़े और परेशान हाली देखकर नहीं पसीजता वह इनसान नहीं जानवर है, और चूँकि ऐसे मौकों पर शैतान और नफ़्स, इनसानी हमदर्दी में अपना रोल अदा करने से रोकते हैं इसलिए बहुत कम आदमी इसका हौसला करते हैं। हक़ तअ़ाला शानुहू ने अपने कमज़ोर बन्दों की मदद के लिए अमीर लोगों के जिम्मे यह फ़रीज़ा आ़यद कर दिया है, ताकि अल्लाह के इस फ़रीज़े के सामने वह किसी नादान दोस्त के मशिवरे पर अ़मल न करे।

5. माल जहाँ इनसानी जिन्दगी (गुज़ारा करने) की बुनियाद है वहाँ इनसानी अख़लाक़ के बनाने और बिगाड़ने में भी इसको गहरा दख़ल है। बाज़ दफ़ा माल का न होना इनसान को ग़ैर-इनसानी हरकतों पर आमादा करता है, और वह समाज की ना-इन्साफ़ी को देखकर सामाजिक सुकून को

ग़ारत करने की ठान लेता है।

कई बार वह चोरी, डकैती, सट्टा और जुआ जैसी बुरी हरकतें शुरू कर देता है, कभी गुर्बत व तंगदस्ती के हाथों तंग आकर वह अपनी ज़िन्दगी से हाथ धो लेने का फैसला कर लेता है, कभी वह पेट का जहन्नम भरने के लिए अपनी इज़्ज़त व आबरू को नीलाम करता है और कभी फ़क्र व फ़ाके का इलाज ढूँढ़ने के लिए अपने दीन व ईमान का सौदा करता है। इसी बिना पर एक हदीस में फ़रमाया गया है:

كادالْفقران يَكُون كَفْرًا.

“यानी फ़क्र व फ़ाका आदमी को क़रीब-क़रीब कुफ़्र तक पहुँचा देता है” और फ़क्र व फ़ाके में अपने मालिके हकीकी की नाशुक्री करना तो एक अ़ाम बात है।

(बैहकी फी शुअबिल-ईमान, मिश्कात पेज 429)

ये तमाम ग़ैर-इनसानी हरकतें समाज में फ़क्र व फ़ाके से जन्म लेती हैं और बहुत सी बार घरानों के घरानों को बरबाद करके रख देती हैं। इनका हल और समाधान ढूँढ़ना समाज की सामूहिक ज़िम्मेदारी है, और सदक़ात व ज़कात के ज़रिये ख़ालिके कायनात ने इन बुराईयों का दरवाज़ा बन्द भी फ़रमाया है।

6. इसके उलट (विपरीत) बाज़ अख़्लाकी ख़राबियाँ वे हैं जो माल व दौलत की ज़्यादाती से जन्म लेती हैं। अमीर-ज़ादों को जो चोंचले सूझते हैं और जिस किस्म की ग़ैर-इनसानी हरकतें उनसे सरज़द होती हैं, उन्हें बयान करने की हाजत नहीं। सदक़ात व ज़कात के ज़रिये हक़ तअ़ाला ने माल व

दौलत से पैदा होने वाली अख्लाकी बुराईयों पर भी बन्दिश लगायी है ताकि उन लोगों को गरीबों की जरूरतों का भी एहसास रहे और गरीबों की हालत उनके लिए इबरत व सबक का सामान भी बनता रहे।

7. जकात व सदकात के निजाम (सिस्टम) में एक हिक्मत यह भी है कि इससे वे मुसीबतें व आफतें टल जाती हैं जो इनसान पर नाजिल होती रहती हैं। इसी बिना पर बहुत सी हदीसों में बयान फरमाया गया है कि सदके से बलायें दूर होती हैं और इनसान की जान व माल आफतों से महफूज रहती है।

आम लोगों को देखा गया है कि जब कोई शख्स बीमार पड़ जाए तो सदके का बकरा जिबह कर देते हैं, वे बेचारे यह समझते हैं कि शायद बकरे की जान की कुरबानी देने से मरीज की जान बच जाएगी। उन लोगों ने सदके के महफूम को नहीं समझा, सदका सिर्फ बकरा जिबह कर देने का नाम नहीं बल्कि अपने पाक माल से कुछ हिस्सा खुदा तआला की रजा के लिए किसी जरूरत-मन्द के हवाले कर देने का नाम है। जिसमें दिखावा व तकब्बुर और फख की कोई गंदगी न हो, इसलिए जब कोई आफत पेश आए तो सदके से उसका इलाज करना चाहिए। आप जितनी हिम्मत व गुंजाईश रखते हैं, बाजार से उसकी कीमत मालूम करके उतनी कीमत किसी मोहताज को दे दीजिए या बकरा ही खरीद कर किसी को सदका कर दीजिए।

गर्ज यह कि बकरे को जिबह करने को बलाओं के दूर करने में कोई दखल नहीं, बल्कि बला तो सदके से टलती है।

इसलिए सिर्फ़ शदीद बीमारी नहीं बल्कि हर आफ़त व मुसीबत में सद्का करना चाहिए। बल्कि आफ़तों और मुसीबतों के नाज़िल होने से पहले सद्के से उनको दूर करना चाहिए। हमारा मालदार तबका जिस क़द्र दौलत में खेलता है बद्-किस्मती से आफ़तों और मुसीबतों का शिकार भी उसी क़द्र ज़्यादा होता है।

इसका सबब भी यही है कि वे अपने माल की ज़कात ठीक-ठीक अदा नहीं करते, और जितना अल्लाह तआला ने दिया है उतना अल्लाह तआला की राह में ख़र्च नहीं करते।

8. ज़कात सद्कात का एक फ़ायदा यह भी है कि उससे माल व दौलत में बरकत होती है, और ज़कात व सद्कात में बुख़्ल करना आसमानी बरकतों के दरवाज़े बन्द कर देता है। हदीस में है कि जो क़ौम ज़कात रोक लेती है अल्लाह तआला उस पर कहत (अकाल) और खुशक-साली (सूखा) मुसल्लत कर देता है, और आसमान से बारिश बन्द हो जाती है।

(तबरानी, हाकिम)

एक और हदीस में है कि चार चीज़ों का नतीजा चार चीज़ों की शक़ल में ज़ाहिर होता है।

(1) जब कोई क़ौम अहद तोड़ती है तो उस पर दुश्मनों को मुसल्लत कर दिया जाता है।

(2) जब वह अल्लाह के उतारे हुए फैसले के खिलाफ़ फैसला करती है तो क़त्ल व ख़ूरेज़ी और मौत आम हो जाती है।

(3) जब कोई क़ौम ज़कात रोक लेती है तो उनसे बारिश रोक ली जाती है।

(4) जब कोई कौम नाप-तौल में कमी करती है तो ज़मीन की पैदावार कम हो जाती है, और कौम पर कहत (भुखमरी) मुसल्लत हो जाता है। (तबरानी)

खुलासा यह कि खुदा तआला का तजवीज़ फरमाया हुआ निज़ामे ज़कात व सदक़ात, वह इन्क़िलाबी निज़ाम (काया पलट करने वाला सिस्टम) है जिससे समाज को राहत व सुकून की ज़िन्दगी नसीब हो सकती है, और इससे मुँह मोड़ने का नतीजा समाज के अफ़राद की बेचैनी व बेइत्मीनानी की शक्ल में ज़ाहिर होता है।

9. ये तमाम बातें तो वे थी जिनका ताल्लुक दुनिया की इसी ज़िन्दगी से है, लेकिन एक मोमिन जो सच्चे दिल से अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान रखता हो, यह दुनियावी ज़िन्दगी ही उसके सामने नहीं, बल्कि उसकी ज़िन्दगी की सारी मेहनत व कोशिश आखिरत के लिए है, वह इस दारे फ़ानी की मेहनत से अपना आखिरत का घर सजाना चाहता है, वह इस थोड़ी सी चन्द रोज़ा ज़िन्दगी से आखिरत की हमेशा की ज़िन्दगी की राहत व सुकून को तलाश करता है।

आम इनसानों की नज़र सिर्फ़ इस दुनिया तक सीमित है और वे जो कुछ करते हैं सिर्फ़ इसी दुनिया की फ़लाह व बहबूद (तरक्की और फ़ायदे) के लिए करते हैं, जिस मन्सूबे की तश्कील करते हैं महज़ इस ज़िन्दगी के ख़ाकों और नक्शों को सामने रखकर करते हैं, अल्लाह तआला ने सदकों व ज़कात के ज़रिये मोमिनों को आखिरत के बैंक में अपनी दौलत मुन्तक़िल करने का गुर बताया है। ज़कात व सदक़ात

की शकल में जो रकम दी जाती है वह डायरेक्ट आखिरत के बैंक में जमा होती है, और यह आदमी के उस दिन काम आएगी जब वह ख़ाली हाथ यहाँ की चीज़ें यहीं छोड़कर रुख़्सत होगा।

सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बनजारा

इसलिए बहुत खुश-किस्मत हैं वे लोग जो अपनी दौलत यहाँ से वहाँ मुन्तक़िल करने में आगे बढ़ते हैं।

10. इनसान दुनिया में आता है तो बहुत से ताल्लुकात उसके साथ जुड़े होते हैं- माँ बाप का रिश्ता, बहन भाईयों का रिश्ता, अंजीज़ व अक़ारिब का रिश्ता, बाल-बच्चों का रिश्ता वगैरह-वगैरह। लेकिन मोमिन का एक रिश्ता अपने ख़ालिक़ व मोहसिन और महबूबे हकीकी भी है, और यह रिश्ता तमाम रिश्तों से मज़बूत भी है और पायदार भी। दूसरे सारे रिश्ते तोड़े भी जा सकते हैं और जोड़े भी जा सकते हैं, मगर यह रिश्ता किसी लम्हा न तोड़ा जा सकता है न उसका छोड़ना मुम्किन है। यह दुनिया में भी कायम है, मौत के वक़्त भी रहेगा, क़ब्र की अंधेरी कोठरी में भी रहेगा, मैदाने महशर में भी और जन्नत में भी। जूँ-जूँ ज़िन्दगी के दौर गुज़रते और बदलते रहेंगे यह रिश्ता मज़बूत से मज़बूत होता जाएगा और इसकी ज़रूरत का एहसास भी सब रिश्तों पर ग़ालिब आता जाएगा।

इस रिश्ते की राह में सबसे बढ़कर इनसान की नफ़्सानी ख़्वाहिशें बाधा और रोक होती हैं, और उन ख़्वाहिशों के पूरा करने का सबसे बड़ा ज़रिया माल है, ज़कात व सदक़ात के ज़रिये अल्लाह तआला उसकी ख़्वाहिशों को कम से कम

करना चाहते हैं और बन्दे का जो रिश्ता उसके साथ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मज़बूत बनाना चाहते हैं।

इसलिए जो सदका किसी फ़कीर व मिस्कीन को दिया जाता है वह दर असल उसको नहीं दिया जाता बल्कि यह अपनी माली कुरबानी का मामूली सा नज़राना है जो बन्दे की तरफ़ से महबूबे हकीकी की बारगाह में पेश किया जाता है। चुनाँचे हदीस में आता है कि जब बन्दा सदका करता है तो अल्लाह तआला उसे अपनी रज़ामन्दी के हाथ से क़बूल फ़रमाते हैं और फिर उसकी परवरिश फ़रमाते (यानी उसको बढ़ाते) रहते हैं, कियामत के दिन वह सदका राई से पहाड़ बनाकर बन्दे को वापस कर दिया जाएगा। पस अफ़सोस है कि हम बारगाहे रब्बुल-इज़ज़त में इतनी मामूली सी कुरबानी पेश करने से भी हिचकिचाएँ और हक़ तआला शानुहू की बेशुमार इनायतों और रहमतों से खुद को मेहरूम रखें?

जकात टैक्स नहीं

ऊपर बयान किये गये मज़मून से यह हकीकत भी ज़ाहिर हो गई है कि जकात टैक्स नहीं बल्कि एक बहुत आला इबादत है। बाज़ लोगों के ज़ेहन में जकात का एक बहुत ही घटिया तसब्बुर है, वे इसको हुकूमत का टैक्स समझते हैं जिस तरह कि तमाम हुकूमतों में विभिन्न किस्म के टैक्स आयद किए जाते हैं, हालाँकि जकात किसी हुकूमत का आयद किया हुआ टैक्स नहीं, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस्लामी हुकूमत की ज़रूरियात के लिए इसको आयद किया है, बल्कि हदीस में साफ़ तौर पर इरशाद है कि जकात मुसलमानों

के मालदार तबक़े से लेकर उनके तंगदस्तों को लौटा दी जाए। इसी तरह यह समझना भी ग़लत है कि ज़कात देने वाले फ़ुक़रा व मसाकीन (यानी ग़रीब लोगों) पर कोई एहसान करते हैं, हरगिज़ नहीं! बल्कि खुद ग़रीबों और मिस्कीनों का मालदारों पर एहसान है कि उनके ज़रिये से उन लोगों की रक़म खुदाई बैंक में जमा हो रही है। अगर आप किसी को बैंक में जमा कराने के लिए कोई रक़म सुपुर्द करते हैं तो क्या आप उस पर एहसान कर रहे हैं? अगर यह एहसान नहीं तो फिर ग़रीबों को ज़कात देना भी उन पर एहसान नहीं।

पहली उम्मतों में जो माल अल्लाह तआला की बारगाह में नज़राने के तौर पर पेश किया जाता था उसका इस्तेमाल करना किसी के लिए भी जायज़ नहीं था, बल्कि वह जलने वाली क़ुरबानी कहलाती थी, उसे क़ुरबानी के स्थान में रख दिया जाता था, अब अगर आसमान से आग आकर उसे राख कर जाती तो यह क़ुरबानी के क़बूल होने की अ़लामत थी और अगर वह चीज़ उसी तरह पड़ी रहती तो उसके मरदूद (यानी क़बूल न) होने की निशानी थी।

हक़ तआला ने इस उम्मते मरहूमा पर यह ख़ास इनायत फ़रमाई कि अमीरों को हुक्म दिया गया कि वे जो चीज़ हक़ तआला की बारगाह में पेश करना चाहें उसे उसके फ़ुल्लों-फ़ुल्लों बन्दों (ग़रीबों व मसाकीन) के हवाले कर दें, इस अज़ीमुश्शान रहमत के ज़रिये एक तरफ़ ग़रीबों की ज़रूरतों के पूरा करने का इन्तिज़ाम कर दिया गया और दूसरी तरफ़ इस उम्मते मरहूमा के लोगों को रुस्वाई और ज़िल्लत से बचा लिया गया।

अब खुदा ही जानता है कि कौन पाक माल से सदका

करता है और कौन नापाक माल से। कौन ऐसा है जो महज़ अल्लाह की रज़ा के लिए देता है और कौन है जो नाम व नमूद और शोहरत व रिया के लिए। गर्ज़ यह कि ज़कात टैक्स नहीं बल्कि अल्लाह तआला की बारगाह में नज़राना है। यही वजह है कि अल्लाह तआला ने कुरआन मजीद में इसे “क़र्ज़ हसन” (अच्छा क़र्ज़) फ़रमाया है:

“कौन है जो अल्लाह को क़र्ज़ हसन दे, पस वह उसके लिए उसको कई गुना बढ़ा दे।” (सूर: ब-करह)

यहाँ सदकात को “क़र्ज़ हसन” से इसलिए ताबीर किया गया है कि जिस तरह क़र्ज़ वाजिबुल-अदा है इसी तरह सदका करने वालों को मुत्सईन रहना चाहिए कि उनको यह सदका भी हज़ारों बरकतों और सआदतों के साथ वापस कर दिया जाएगा। यह मतलब नहीं कि खुदा तआला को किसी की ज़रूरत और हाजत है, यही वजह है कि सदका फ़कीर के हाथों में जाने से पहले अल्लाह तआला की बारगाह में पहुँच जाता है और फ़कीर गोया उस देने वाले से वुसूल नहीं कर रहा है, बल्कि यह उसकी तरफ़ से दिया जा रहा है जो सब का दाता है।

ज़कात हुकूमत क्यों वुसूल करे?

रहा यह सवाल कि जब ज़कात टैक्स नहीं बल्कि ख़ालिस इबादत है तो हुकूमत को इसका इन्तिज़ाम क्यों सौंपा जाए? इस सवाल का जवाब एक मुस्तक़िल किताब का विषय है, मगर यहाँ मुख़्तसर तौर पर इतना समझ लेना चाहिए कि इस्लाम पूरे समाज को एक इकाई क़रार देकर उसका

इन्तिज़ाम और व्यवस्था इस्लामी हुकूमत के सुपर्द करता है, इसलिए वे ग़रीब व मसाकीन जो इस्लामी समाज का हिस्सा हैं, उनकी ज़रूरतों की ज़िम्मेदारी भी इस्लामी समाज की सत्ताधारी ताक़त के सुपर्द है, और इस ज़िम्मेदारी के लिए उसने सड़कें व ज़कात का निज़ाम राईज फ़रमाया है, जो ग़रीबों और मसाकीन की कफ़ालत (ज़रूरतें पूरी करने) की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर आ़यद की गई है। इसलिए इस मद के लिए मख़्सूस रक़म का बन्दोबस्त भी हुकूमत का फ़रीज़ा होगा।

यही वजह है कि जो लोग हुकूमत की जानिब से सड़कों की वुसूली व इन्तिज़ाम पर मुक़र्रर होंगे हदीस पाक में उनको “अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले” के साथ तश्बीह दी गई है। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी) जिस में एक तरफ़ उनकी ख़िदमात को सराहा गया है और दूसरी तरफ़ उनकी नाज़ुक ज़िम्मेदारी का भी उन्हें एहसास दिलाया गया है। यानी अगर वे इस फ़रीज़े को अल्लाह के रास्ते में जिहाद समझ कर अदा करेंगे तब अपनी ज़िम्मेदारी से बरी होंगे। और अगर उन्होंने इस माल में एक पैसे की भी ख़ियानत की तो उन्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वे खुदाई माल में ख़ियानत के मुजरिम हो रहे हैं, जो उनके लिए दोज़ख़ की आग का सामान है। चुनाँचे एक हदीस में इरशाद है कि:

“जिस शख़्स को हमने किसी काम पर मुक़र्रर किया और उसके लिए एक वज़ीफ़ा (तन्ज़ाह) भी मुक़र्रर कर दिया, उसके बाद अगर वह उस माल से कुछ लेगा तो वह ग़नीमत (हासिल होने वाले माल) में ख़ियानत करने

वाला होगा।" (अबू दाऊद)

जकात के चन्द मसाईल

जकात हर साहिबे निसाब मुसलमान पर फर्ज है, उसके मसाईल उलेमा हज़रात से अच्छी तरह समझ लेने चाहिए। मैं यहाँ चन्द मसाईल दर्ज करता हूँ मगर अ़वाम सिर्फ़ अपनी समझ पर भरोसा न करें बल्कि उलेमा से अच्छी तरह तहकीक़ कर लें।

1: अगर किसी शख़्स की मिल्कियत में साढ़े बावन तोले (612.35 ग्राम) चाँदी या साढ़े सात तोले (87.5 ग्राम) सोना है या इतनी मालियत का नक़द रुपया है, या फिर इतनी मालियत का तिजारत का माल है तो उस पर जकात फर्ज है। और उसको "साहिबे निसाब" कहा जायेगा।

2: अगर किसी शख़्स के पास कुछ चाँदी हो कुछ सोना हो, या कुछ रुपया या कुछ माले तिजारत हो और उन सब की कुल मालियत साढ़े बावन तोले (612.35 ग्राम) चाँदी के बराबर हो तो उस पर जकात फर्ज होगी।

3: कारख़ाने और फ़ैक्ट्री वगैरह की मशीनों पर जकात नहीं, लेकिन उनमें जो माल तैयार होता है उस पर जकात है, इसी तरह जो कच्चा माल कारख़ाने में मौजूद हो उस पर जकात है।

4: सोने चाँदी की हर चीज़ पर जकात है, चुनाँचे सोने चाँदी के ज़ेवर, सोने चाँदी के बरतन, यहाँ तक कि सच्चा गोटा, ठप्पा, असली ज़री, सोने चाँदी के बटन, चाहे कपड़ों में लगे हुए हों, उन सब पर जकात है।

5: कारख़ानों और मिलों के शेयर पर भी ज़कात वाज़िब है, जबकि उन शेयर की मिक़दार (मात्रा) बक़द्रे निसाब हो, या दूसरी क़ाबिले ज़कात चीज़ों को मिलाकर निसाब बन जाता हो, अलबत्ता मशीनरी और फ़र्नीचर वग़ैरह इस्तेमाल की चीज़ों पर ज़कात नहीं होगी। इसलिए हर हिस्सेदार के हिस्से में उसकी-जितनी कीमत आती है उसको अलग करके बाकी की ज़कात अदा करनी होगी।

6: सोना चाँदी माले तिजारत और कम्पनी के शेयर की जो कीमत ज़कात का साल पूरा होने के दिन होगी उसके मुताबिक़ ज़कात अदा की जाएगी।

7: साल के अव्वल व आख़िर में निसाब का पूरा होना शर्त है, अगर बीच साल में रक़म कम हो जाए तो उसका एतिबार नहीं। जैसे एक शख़्स साल शुरू होने के वक़्त तीन हज़ार रुपये का मालिक था, तीन महीने बाद उसके पास पन्द्रह सौ रुपये रह गए, छह महीने बाद चार हज़ार रुपये हो गए और साल के ख़त्म पर साढ़े चार हज़ार रुपये का मालिक था, तो साल पूरा होने के वक़्त उस पर साढ़े चार हज़ार रुपये की ज़कात वाज़िब होगी, बीच साल में अगर रक़म घटती बढ़ती रही उसका एतिबार नहीं।

नोट: आजकल साढ़े बावन तोले चाँदी की कीमत तक़रीबन ग़्यारह हज़ार रुपये है।

मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

8: पी. एफ़ पर वुसूलयाबी के बाद ज़कात फ़र्ज़ है, वुसूल होने से पहले सालों की ज़कात फ़र्ज़ नहीं।

9: साहिबे निसाब अगर पेशगी ज़कात अदा कर दे तब

भी जायज़ है, लेकिन साल के दौरान अगर माल बढ़ गया तो साल ख़त्म होने पर जायद रक़म अदा कर दे।

ज़कात के मसारिफ़

1: ज़कात सिर्फ़ ग़रीबों व मसाकीन का हक़ है, हुकूमत उसको आम फ़ायदों के कामों में इस्तेमाल नहीं कर सकती।

2: किसी शख्स को उसके काम या ख़िदमत के मुआवज़े में ज़कात की रक़म नहीं दी जा सकती, लेकिन ज़कात की वुसूल होने पर जो अमला हुकूमत की तरफ़ से मुक़रर हो उनकी तन्ब़्वाह उस फ़न्ड से अदा करना सही है।

3: हुकूमत सिर्फ़ ज़ाहिरी मालों की ज़कात वुसूल करेगी, बातिनी मालों (यानी जो सबके सामने ज़ाहिर न हों) की ज़कात हर शख्स अपनी जानकारी के मुताबिक़ अदा कर सकता है। (कारख़ानों और मिलों में तैयार होने वाला माल, तिजारत का माल और बैंक में जमा शुदा सरमाये ज़ाहिरी माल हैं, और जो सोना चाँदी नक़दी घरों में रहती है उनको बातिनी माल कहा जाता है)।

4: किसी ज़रूरत-मन्द को इतना रुपया दे देना जितने पर ज़कात फ़र्ज़ होती है मक्रूह है, लेकिन ज़कात अदा हो जाएगी।

ज़कात अदा करने के फ़ज़ाईल

और न देने का वबाल

सवाल: ज़कात देने पर क्या खुशख़बरी और न देने पर

क्या वर्इद (धमकी) है?

जवाब: ज़कात देने से माल पाक होता है और हक़ तअ़ाला की रज़ा हासिल होती है, और न देने से माल नापाक रहता है और खुदा तअ़ाला नाराज़ होता है। कुरआन करीम और हदीसे नबवी में ज़कात न देने के बहुत से बबाल बयान फ़रमाए गए हैं। ऐसा माल साँप की शक्ल में मालदार को काटेगा और कहेगा कि मैं तेरा ही माल हूँ जिसको तू जमा करता था, और खुदा तअ़ाला के रास्ते में खर्च नहीं करता था।

कुरआन करीम और हदीस पाक में ज़कात व सदकों के बड़े फ़ज़ाईल बयान किए गए हैं, और ज़कात न देने पर सख़्त वर्इदें (सज़ा की धमकियाँ) वारिद हुई हैं। उनकी तफ़सील हज़रत शैख़ुल-हदीस सय्यिदी व मुर्शिदी मौलाना मुहम्मद ज़करिया काँधलवी मुहाजिरे मदनी नब्वरल्लाहु मर्क़दहू कि किताब “फ़ज़ाईले सदकात” में देख ली जाए। यहाँ मज़मून को मुख़्तसर करने के पेशे-नज़र एक-एक आयत और हदीस फ़ज़ाईल में और एक-एक आयत और हदीस वर्इद में नक़ल करता हूँ।

ज़कात व सदकात की फ़ज़ीलत

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ. وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ
 مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
 وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

तर्जुमा: जो लोग अल्लाह की राह में अपने मालों को खर्च करते हैं, उनके खर्च किए हुए मालों की हालत ऐसी है जैसे एक दाने की हालत, जिससे (फर्ज करो) सात बालें जमीं (और) हर बाल के अन्दर सौ दाने हों, और यह बढ़ोतरी खुदा तआला जिसको चाहता अता फ़रमाता है। और अल्लाह तआला बड़ी वुसअत वाले हैं, जानने वाले हैं। जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर खर्च करने के बाद न तो (उस पर) एहसान जताते हैं और न (बर्ताव से) उसको तकलीफ़ पहुँचाते हैं, उन लोगों को उन (के आमाल) का सवाब मिलेगा, उनके परवर्दिगार के पास, और न उन पर कोई ख़तरा होगा और न ये ग़मगीन होंगे।

(सूर: ब-क़रह आयत 261-252, तर्जुमा हज़रत थानवी रह0)

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربها لصاحبها كما يربى احدكم فلوله حتى تكون مثل الجبل. (متفق عليه)

हदीस: हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया- जो शख़्स एक खजूर के दाने के बराबर पाक कमाई से सद्का करे, और अल्लाह तआला सिर्फ़ पाक ही को क़बूल फ़रमाते हैं, तो अल्लाह तआला उसको अपने हाथ में लेकर क़बूल फ़रमाते हैं, फिर उसके मालिक के लिए उसकी परवरिश फ़रमाते हैं, जिस तरह कि तुम में से एक शख़्स अपनी घोड़ी

के बच्चे की परवरिश करता है, यहाँ तक कि वह (एक खजूर के दाने का सदका कियामत के दिन) पहाड़ के बराबर हो जाएगा। (बुखारी व मुस्लिम)

ज़कात अदा न करने पर वईद

وَالَّذِينَ يَكْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِشْرُهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَلْذَا مَا كُنْتُمْ لَا نَفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتِزُونَ ۝

तर्जुमा: जो लोग सोने और चाँदी का जख़ीरा जमा करते हैं और उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशख़बरी सुना दो, जिस दिन उन सोने चाँदी के खज़ानों को जहन्नम की आग में तपा कर उनके चेहरों, उनकी पुश्तों और उनके पहलुओं (करवटों) को दागा जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि यह था तुम्हारा माल जो तुमने अपने लिए जमा किया था, पस अपने जमा किए की सज़ा चखो।

(सूर: तौबा आयत 34-35)

عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل لا يودی زکوة ماله الا جعل الله يوم القيمة فى عنقه شجاعا ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله....
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.

हदीस: हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद नकूल करते हैं कि जो शख्स अपने माल की जकात अदा नहीं करता कियामत के दिन उसका माल गंजे साँप की शक्ल में उसकी गर्दन में डाल दिया जाएगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस मजमून की आयत हमें पढ़कर सुनाई। (तिर्मिज़ी, नसई, इब्ने माजा, मिश्कात पेज 157)

आयत का तर्जुमा यह है:

“और हरगिज़ ख्याल न करें ऐसे लोग जो ऐसी चीज़ में बुख्त (कन्जूसी) करते हैं जो अल्लाह तआला ने उनको अपने फज़ल से दी है, कि यह बात कुछ उनके लिए अच्छी होगी, बल्कि यह बात उनकी बहुत बुरी है, वे लोग कियामत के रोज़ तौक पहना दिए जाएँगे, उसका जिसमें उन्होंने बुख्त किया था।” (आलि इमरान पार: 4 आयत 180, तर्जुमा हज़रत थानवी रह0)

जकात के डर से ग़ैर-मुस्लिम लिखवाना

सवाल: एक साहिब ने एक बेवा औरत को मशिवरा दिया है कि अगर वह अपने आपको ग़ैर-मुस्लिम लिखवा दें तो जकात नहीं कटेगी, क्या ऐसा करने से ईमान पर असर नहीं होगा?

जवाब: किसी शख्स का अपने आपको ग़ैर-मुस्लिम लिखवाना कुफ़्र है, और जकात से बचने के लिए ऐसा करना डबल कुफ़्र है, और किसी को कुफ़्र का मशिवरा देना भी कुफ़्र है। पस जिस शख्स ने बेवा को ग़ैर-मुस्लिम लिखवाने का मशिवरा दिया उसको अपने ईमान और निकाह की तजदीद

(नवीकरण) करनी चाहिए और अगर बेवा ने उसके कुफ़्रिया मशिवरे पर अमल कर लिया हो तो उसको भी नये सिरे से ईमान की तजदीद करनी चाहिए। इसी के साथ हुकूमत को भी अपने इस निज़ामे ज़कात पर नज़रे सानी करनी (एक बार फिर सोचना) चाहिए जो लोगों को मुर्तद करने का सबब बन रहा है, उसकी आसान सूरत यह है कि हुकूमत मुसलमानों के माल से जितनी मिक्दार “ज़कात” के नाम से वुसूल करती है (यानी ढाई फ़ीसद) उतनी ही मिक्दार ग़ैर-मुस्लिमों के माल से “रिफ़ाही टैक्स” (यानी अ़वाम के फ़ायदे के कामों के लिये टैक्स) के नाम से वुसूल किया करे, इस सूरत में किसी को ज़कात से फ़रार की राह नहीं मिलेगी, और ग़ैर-मुस्लिमों पर रिफ़ाही टैक्स का अ़ायद करना कोई जुल्म व ज़्यादती भी नहीं, क्योंकि हुकूमत की अ़वामी सहूलतों से ग़ैर-मुस्लिम लोग भी बराबर का फ़ायदा उठाते हैं, और इस फ़न्ड को ग़ैर-मुस्लिम माज़ूरों की मदद व सहयोग और ख़बरगीरी में ख़र्च किया जा सकता है।

नोट: ये सवालालत पाकिस्तान में पूछे गये और वहाँ यह सिस्टम है कि साल पूरा होने पर हुकूमत मुस्लिम खाता धारकों के खाते से ढाई फ़ीसद रक़म ज़कात के नाम पर जमा कर लेती है। हालाँकि यह बड़ी सहूलत की बात है, क्योंकि अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उस रक़म को उसके सही मसुरफ़ (ख़र्च करने की जगह) में ख़र्च करे, मगर जो लोग ज़कात नहीं देते उनको यह सहूलत भी मुसीबत दिखाई देती है। अल्लाह तआला. मुसलमानों को अ़क़ल नसीब फ़रमाये कि कुछ लोग पैसे के लिये ईमान जैसी दौलत की भी परवाह नहीं करते।

मुहम्मद इमरान कासमी बिज्ञानवी

जकात किस पर फर्ज है?

बालिग़ पर जकात

सवाल: जकात कितनी उम्र के लोगों पर वाजिब है?

जवाब: जकात बालिग़ पर वाजिब है और बुलूग़ की खास अलामतें (निशानियाँ और पहचान) मशहूर हैं, अगर लड़का लड़की पन्द्रह साल के हो जाएँ मगर कोई अलामत बालिग़ होने की ज़ाहिर न हो तो पन्द्रह साल की उम्र पूरी होने पर वे बालिग़ तसव्वुर किए जाएँगे।

नाबालिग़ के माल पर जकात

सवाल: हुकूमत ने बैंक एकाउन्ट में से जकात कम करने के अहकाम सादिर फरमाए हैं तो यह फरमाएँ कि छोटे बच्चों के नाम से उनके भविष्य के लिए जो रक़म बैंक में जमा कराई जाती है, या विभिन्न मौकों और पार्टियों में उनको रक़म मिलती है और वह भी बैंक में जमा होती है, तो उस पर जकात अदा होती है या नहीं?

जवाब: नाबालिग़ बच्चे के माल में जकात नहीं, हुकूमत अगर नाबालिग़ बच्चे के माल से जकात काट लेती है तो यह सही नहीं।

नाबालिग़ की मिल्कियत पर जकात नहीं

सवाल: मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ रक़म बचाया करता हूँ जो कि उसकी मिल्कियत तसव्वुर की जा रही है, मगर वह

अभी तक नाबालिग़ है, ज़कात अदा करना मुझ पर फ़र्ज़ है या नहीं?

जवाब: जो रक़म नाबालिग़ बच्ची बच्चे की मिल्कियत हो उस पर उसके बालिग़ होने तक ज़कात नहीं दी जाएगी, बालिग़ होने के बाद जब साल गुज़र जाए तब उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी।

अगर नाबालिग़ बच्चियों के नाम सोना कर दिया तो ज़कात किस पर होगी

सवाल: मेरी तीन बेटियाँ हैं, उम्र 12 साल, 10 साल और 8 साल। मैंने उनकी शादी के लिए 20 तोला सोना ले रखा है, इसके अलावा और दूसरी चीज़ें जैसे बरतन कपड़े वगैरह भी आहिस्ता-आहिस्ता जमा कर रहे हैं। क्या इन चीज़ों पर भी ज़कात देनी पड़ेगी? बच्चियों के नाम पर कोई पैसा वगैरह जमा नहीं है।

जवाब: अगर आपने इस सोने का मालिक अपनी बच्चियों को बना दिया है तो उनके जवान होने तक तो उन पर ज़कात नहीं, जवान होने के बाद उनमें जो साहिबे निसाब हों उन पर ज़कात होगी, और अगर बच्चियों को मालिक नहीं बनाया मिल्कियत आप ही की है तो उस सोने पर ज़कात फ़र्ज़ है, बरतन कपड़े वगैरह इस्तेमाल की जो चीज़ें आपने उनके लिए ले रखी हैं उन पर ज़कात नहीं।

यतीम नाबालिग़ बच्चे पर ज़कात नहीं

सवाल: बच्चे उमर और ज़ैनब जो बालिग़ नहीं, अब

जैद के इन्तिकाल के बाद उनके वली मसलनु बकर को शरीअत यह इजाजत देती है कि उमर और जैनब के माल से सदका-ए-फ़ित्र वगैरह अदा करे, उनके लिए या कोई और सदका वगैरह जायज़ है या नहीं?

जवाब: नाबालिग बच्चे के माल पर जकात वाजिब नहीं, अलबत्ता सदका-ए-फ़ित्र यतीम नाबालिग की तरफ़ से अदा करना भी ज़रूरी है, जबकि वह नाबालिग साहिबे माल हो, उसके अलावा कोई और सदका यतीम के माल में से करना जायज़ नहीं।

पागल पर जकात नहीं है

सवाल: मजनूँ (पागल) शख्स पर नमाज़ फ़र्ज़ नहीं, अगर कोई मजनूँ बहुत सी दौलत का मालिक हो तो क्या उसके माल से जकात की रक़म काटना जायज़ है?

जवाब: मजनूँ के माल पर जकात नहीं।

ज़ेवर की जकात

सवाल: जबकि मर्द हज़रात पैसा कमाते हैं तो बीवी के ज़ेवरात की जकात शौहर को देनी चाहिए या बीवी को अपने जेब खर्च से जोड़कर? अगर शौहर जकात अदा न करे, अगरचे बीवी चाहती हो और बीवी के पास रुपया भी न हो कि जकात दे सके तो गुनाह किस को मिलेगा?

जवाब: ज़ेवर अगर बीवी की मिल्कियत है तो जकात उसी के ज़िम्मे वाजिब है, और जकात न देने पर वही गुनाहगार होगी। शौहर के ज़िम्मे उसका अदा करना लाज़िम

नहीं। बीवी या तो अपना ज़ेब खर्च बचाकर ज़कात अदा करे या ज़ेवरात का एक हिस्सा ज़कात में दे दिया करे।

औरत पर ज़ेवर की ज़कात

सवाल: आपने अपने कालम में एक साहिब को उनकी बीवी के ज़ेवरात पर ज़कात की अदायेगी उनकी बीवी की ज़िम्मेदारी बताई है। अर्ज़ यह है कि औरत तो शौहर पर निर्भर होती है उसकी सारी की सारी ज़िम्मेदारी शौहर पर होती है, औरत की कफ़ालत (खर्च और ज़रूरतें पूरी करना) तो मर्द करता है, तो क्या उन ज़ेवरात पर जो औरत को दहेज में या तोहफ़े में मिले हैं, उन पर ज़कात की ज़िम्मेदारी शौहर पर नहीं है? अगर नहीं है तो फिर औरत को क्या करना चाहिए कि वह ज़कात अदा कर सके।

जवाब: ज़कात जिन ज़ेवरात पर फ़र्ज़ हो वे अगर औरत की मिल्कियत में हैं तो ज़ाहिर है कि ज़कात मालिक ही पर फ़र्ज़ होगी और ज़कात अदा करने की ज़िम्मेदारी भी मालिक ही पर होगी। शौहर अगर उसके कहने पर ज़कात अदा करे तो अदा हो जाएगी वरना औरत पर लाज़िम होगा कि ज़कात में उन ज़ेवरात का हिस्सा बकद्रे-ज़कात निकाल दिया जाए।

बीवी की ज़कात शौहर के ज़िम्मे नहीं

सवाल: एक थोड़ी आमदनी वाले शख्स की बीवी शादी के मौक़े पर दस तोले सोना ज़ेवरात की शकल में लाती है, क्या शौहर के लिए ज़रूरी है कि हर हाल में उस पर ज़कात अदा करे?

जवाब: चूँकि ये ज़ेवरात बेगम साहिबा की मिल्कियत में हैं इसलिए उस ज़ेवर की ज़कात बेगम साहिबा के ज़िम्मे है, ग़रीब शौहर के ज़िम्मे नहीं। औरत को चाहिए कि उन ज़ेवरात का बक़द्रे वाजिब हिस्सा ज़कात में दे दिया करे, अपनी ज़कात शौहर के ज़िम्मे न डाले।

बीवी के ज़ेवर की ज़कात का मुतालबा

किस से होगा?

सवाल: अगर शौहर की ज़ाती मिल्कियत में कोई ज़ेवर ऐसा न हो कि उस पर ज़कात वाजिब होती हो लेकिन जब उसकी बीवी शादी होकर उसके घर आए तो इतना ज़ेवर ले आए कि उस पर ज़कात वाजिबुल-अदा हो और बीवी शौहर के ये हालात जानते हुए भी कि वह कर्ज़ में डूबा है और उसकी इतनी तन्ज़ाह बहरहाल नहीं है कि वह ज़कात की रक़म निकाल सके तो क्या शौहर पर बग़ैर बीवी की तरफ़ से किसी क़ुरबानी के ज़कात व क़ुरबानी वाजिब रहेगी? और अल्लाह मियाँ शौहर ही का गिरेबान पकड़ेंगे? और क्या बीवी साहिबा यह कहकर छूट जाएँगी कि शौहर ही उनके आका हैं और उन्हीं से सवाल व जवाब किए जाएँ।

जवाब: चूँकि ज़ेवर बीवी की मिल्कियत हैं इसलिए क़ुरबानी व ज़कात का मुतालबा भी उसी से होगा, और अगर वह अदा नहीं करती तो गुनाहगार भी वही होगी, शौहर से उसका मुतालबा नहीं होगा।

शौहर और बीवी की ज़कात का हिसाब अलग-अलग है

सवाल: शादी पर लड़कियों को जो ज़ेवरात मिलते हैं वे उनकी मिल्कियत होते हैं, लेकिन वे ज़कात अपने शौहरों की कमाई हुई रक़म से अदा करती हैं, तो क्या इस सूरत में अगर शौहरों के पास भी कुछ रक़म हो लेकिन निसाब से वह कम हो तो उस रक़म को बीवियों के ज़ेवरात की मालियत में शामिल करके ज़कात दी जा सकती है? या दोनों का हिसाब अलग-अलग होगा?

जवाब: दोनों का अलग-अलग हिसाब होगा।

शौहर बीवी के ज़ेवर की ज़कात अदा कर सकता है

सवाल: मैंने शादी के वक़्त अपनी बीवी को मेहर की अदायेगी में 13 तोले सोना दिया था, क्या यह जायज़ है? और 3 तोले सोना वह अपने मैके से लाई थीं, चुनाँचे कुल सोना 16 तोले पड़ा, अब मेरी बीवी अगर ज़कात 16 तोले पर नहीं दे सकती तो क्या उसकी यह ज़कात मैं अपने ख़र्च से दे सकता हूँ। याद रहे कि यह माल मेहर के तौर पर मैंने ही अदा किया था।

जवाब: चूँकि सोना आपकी बीवी की मिल्कियत में है इसलिए उसकी ज़कात तो उसी के जिम्मे है, लेकिन अगर आप उसके कहने पर उसकी तरफ़ से ज़कात अदा कर दें तो

अदा हो जाएगी।

ज़ेवर की ज़कात किस पर होगी?

सवाल: मेरे पास आठ तोले सोना है जो कि पिछले साल शादी पर मिला था, और वह मेरी बीवी की मिल्कियत में है, इसके साथ-साथ मुझ पर कर्ज़ भी है, इस सूरत में उन ज़ेवरात की ज़कात मुझ पर होगी या बीवी पर?

(2) ज़ेवरात पर ज़कात जबकि आमदनी का ज़रिया मैं ही हूँ कर्ज़ की रकम निकाल कर अदा की जाए या सिर्फ़ ज़ेवरात की रकम पर अदा की जाए?

जवाब: (1) जब ज़ेवरात आपकी बीवी की मिल्कियत हैं तो ज़कात भी उसी के ज़िम्मे है।

(2) ज़ेवर आपकी बीवी का है और कर्ज़ आपके ज़िम्मे है, इस लिए ज़कात अदा करते वक़्त उस कर्ज़ को कम नहीं किया जाएगा, बल्कि पूरे ज़ेवर की ज़कात अदा करेगी, अलबत्ता अगर आपकी बीवी के ज़िम्मे कर्ज़ हो तो कर्ज़ उसमें से कम किया जाएगा।

मरहूम शौहर की ज़कात बीवी पर फ़र्ज़ नहीं

सवाल: अगर किसी का शौहर मर गया हो और मियाँ बीवी ने अपनी ज़िन्दगी में कभी ज़कात न दी हो मगर ख़ैरात बराबर करते रहे हों, तो क्या अब इस बेवा का फ़र्ज़ है कि वह गुज़रे दिनों की ज़कात अदा करे?

जवाब: मरहूम शौहर की ज़कात बेवा के ज़िम्मे फ़र्ज़ नहीं, उसके मरहूम शौहर की ज़िम्मे है, वही गुनाहगार होगा, उसकी

तरफ़ से वारिस अदा कर दें तो अच्छा है।

सवाल: और क्या अपनी भी ज़कात वह मरने तक देती रहे, जबकि उसका ज़रिया-ए-आमदनी कोई नहीं?

जवाब: अगर उसकी अपनी मिल्कियत साढ़े बावन तोले चाँदी की मालियत है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, यानी उसके अपने हिस्से की मालियत इतनी हो (अगर मरहूम के बच्चे यतीम हों तो उनके माल की ज़कात नहीं)।

ज़ेवर की ज़कात

और उस पर विरासत का हक़

सवाल: ज़ेवर की ज़कात किसको देनी होगी? मेरी बीवी अपने दहेज में दस तोला सोने के ज़ेवरात लाई थी, जो अब तक वह इस्तेमाल कर रही है। मेरी शादी को 5 साल गुज़र चुके हैं, मेरे घर जब से आई है एक पैसा भी उसने ज़कात नहीं दिया है, ज़ेवर वह पहनती ज़रूर है लेकिन मैं उसका हक़दार नहीं हूँ और न ही मैं उस पर अपना कोई हक़ समझता हूँ। मरने के बाद यह हक़ उसने अपने बेटे को दे दिया है वह जिस तरह चाहे उसे इस्तेमाल करे, मेरे बेटे की उम्र इस वक़्त चार साल है, अब आप मुझे तफ़्सील से यह बताएँ कि उस ज़ेवर की ज़कात किसको अदा करनी चाहिए?

जवाब: उस ज़ेवर की ज़कात आपकी बीवी के ज़िम्मे है, उनसे कहिये कि अगर उनके पास पैसे नहीं तो ज़ेवर बेचकर पाँच साल की ज़कात अदा करें और मरने के बाद बेटे को हक़दार बनाना भी शरअन ग़लत है, उसके मरने के वक़्त जितने वारिस होंगे हिस्सा उसमें सब का होगा।

बेटी के लिए ज़ेवर पर ज़कात

सवाल: मैं ज़कात के बारे में कुछ ज़्यादा मोहतात (एहतियात करने वाली) हूँ इसलिए इस फ़र्ज़ को बाकायदगी के साथ अदा करती हूँ। तो क़िब्ला! मैंने लोगों की ज़बानी सुना है कि “माँ अगर अपना ज़ेवर अपनी लड़की के लिए उठा रखे या यह नीयत करे कि यह सोना मैं अपनी बेटी को दहेज में दूँगी तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होती, और जब यह ज़ेवर या सोना लड़की को मिले तो वह उसको पहन कर या इस्तेमाल में लाकर ज़कात अदा करे। आप यह वज़ाहत करें कि लड़की के लिए कोई ज़ेवर बनवाकर रखा जाए तो ज़कात दी जाए या नहीं?

जवाब: अगर लड़की को ज़ेवर की मालिक बना दिया तो जब तक वह लड़की नाबालिग़ है उस पर ज़कात नहीं, बालिग़ होने के बाद लड़की के ज़िम्मे ज़कात वाजिब होगी, जबकि सिर्फ़ यह ज़ेवर या उसके साथ कुछ नक़दी निसाब की मिक्दार को पहुँच जाए। सिर्फ़ यह नीयत करने से कि यह ज़ेवर लड़की के दहेज में दिया जाएगा ज़कात से बाहर नहीं करार दिया जा सकता, जब तक कि लड़की को उसका मालिक न बना दिया जाए, और लड़की को मालिक बना देने के बाद फिर उस ज़ेवर को खुद पहनना जायज़ नहीं होगा।

गुज़रे सालों की ज़ेवर की ज़कात

सवाल: मेरी शादी को नौ साल हो गए हैं। मेरी बेगम के पास जब से अब तक तकरीबन 80 तोले सोना है, और हमने

अभी तक उस पर ज़कात अदा नहीं की, क्योंकि मेरी आमदनी इतनी नहीं कि कुछ बच जाए तो ज़कात अदा करूँ। मेरी दो बच्चियाँ भी हैं। वह सोना मेरी बीवी को दहेज में मिला था, अगर अब मैं ज़कात अदा करना चाहूँ तो कैसे अदा करूँ? क्या मुझ पर या मेरी बेगम पर ज़कात ज़रूरी है जबकि इतनी आमदनी नहीं?

जवाब: इस अस्ती तोले की ज़कात आपके ज़िम्मे नहीं बल्कि आपकी बीवी के ज़िम्मे है। अगर ज़कात अदा करने के पैसे न हों तो उतना हिस्सा ज़ेवर का दे दिया जाए। बहरहाल गुज़रे नौ सालों की ज़कात आपकी बीवी के ज़िम्मे है। हर साल का हिसाब करके जितनी ज़कात बनती है अदा की जाए।

निसाब में व्यक्तिगत मिल्कियत का एतिबार है

सवाल: किसी घर में तीन भाई इकट्ठे रहते हैं, एक ही जगह खाते हैं लेकिन कमाते अलग हैं, हर एक की बीवी के पास ढाई या तीन तोले सोना है और सबका मिलाकर तक़रीबन साढ़े आठ तोले सोना बनता है, तो क्या उनको उस ज़ेवर की ज़कात अदा करनी होगी?

जवाब: अगर उनके पास और कोई माल नहीं जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हो और वह निसाब की हद को पहुँचता हो, तो उन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं, क्योंकि ज़कात के निसाब में व्यक्तिगत मिल्कियत का एतिबार है, और यहाँ किसी की इन्फ़रादी (व्यक्तिगत) मिल्कियत ज़कात के निसाब के बराबर नहीं।

खानदान की सामूहिक जकात

सवाल: एक खानदान के चन्द अफ़राद जो रोज़गार पर लगे हैं, उनकी अपनी मिल्कियत में इतना माल नहीं कि जिस पर जकात दें, लेकिन अगर सब अपना माल जमा कर लें तो वह निसाब के मुताबिक़ क़ाबिले जकात बन जाता है, इस सिलसिले में क्या हुक्म है? जकात किस हिसाब से निकाली जाए?

जवाब: हर शख़्स का अलग-अलग साहिबे निसाब होना शर्त है, वरना जकात फ़र्ज नहीं होती। इसलिए आपने जो सूरत लिखी है उस पर जकात फ़र्ज नहीं। अलबत्ता अगर उर्फ़ में सारी मिल्कियत खानदान के मुखिया की समझी जाती है, चूँकि यह एक फ़र्द की मिल्कियत हुई और निसाब के बराबर भी है, तो उस पर जकात फ़र्ज होगी। यह उस सूरत में है कि खानदान के मुखिया को वास्तव में मालिक समझा भी जाता हो।

मुश्तरका घरदारी में जकात कब वाजिब होगी

सवाल: हमारे घर में यह तरीका है कि सब भाई तन्ख़्वाह लाकर वालिदा को देते हैं, जो घर का खर्चा चलाती हैं। जबकि ज़ेवर और कुछ बचत की रक़म हमारे पास होती है। आया जकात देनी हमारे ज़िम्मे है या वालिदा (माँ) के?

जवाब: अगर वह सोना और बचत की रक़म इतनी हो कि अगर उसको तक़सीम किया जाए तो सब भाई साहिबे निसाब (यानी शरीअत के हिसाब से मालदार) हो सकते हैं तो

ज़कात वाजिब है, वरना नहीं।

मुश्तरका ख़ानदान में बीवी, बेटी, बहुओं की ज़कात किस तरह दी जाए

सवाल: मैं घर का मुखिया हूँ। मेरे दोनों लड़के रोज़गार पर लगे हैं और मेरी दोनों बहुओं के यहाँ कम से कम 12-12 तोले हर एक के पास ज़ेवरात हैं और बीवी के पास 5 तोले के ज़ेवर और कुंवारी लड़की की शादी के लिए 3 तोले के ज़ेवरात हैं, जिसको एक साल से ख़रीद कर रखा हुआ है। दूसरे आजकल मुश्तरका (संयुक्त) ख़ानदान में भी ज़ेवर हर संबन्धित औरत की ज़ाती मिल्कियत ही शुमार होता है, एक औरत का ज़ेवर दूसरी औरत मुस्तक़िल तौर से नहीं ले सकती, यहाँ तक कि सास अपनी बहू का ज़ेवर अपनी लड़की को नहीं दे सकती। ऐसी सूरत में मुझे घर के तमाम ज़ेवर की मालियत के मुताबिक़ ज़कात निकालनी चाहिए या अलग-अलग हर एक के हिस्से के हिसाब से?

जवाब: ज़कात के वाजिब होने में हर शख्स की इन्फ़िरादी (व्यक्तिगत) मिल्कियत का एतिबार है। अब आपकी बहुओं के पास जो ज़ेवर है देखना यह है कि उसका मालिक कौन है? आपकी बहुओं का ज़ेवर अगर उनकी मिल्कियत है तो ज़कात उनके ज़िम्मे वाजिब है, और अगर लड़कों की मिल्कियत है तो ज़कात उनके ज़िम्मे वाजिब है, और अगर कुछ ज़ेवर बहुओं की मिल्कियत है जैसे जो ज़ेवर उनके मैके से मिला है और कुछ लड़कों की तो अगर हर एक की मिल्कियत निसाब को पहुँचती है तो ज़कात वाजिब है, वरना नहीं।

इसी तरह आपकी बीवी के पास जो सोना है वह अगर उसकी मालिक हैं और उसके सिवा उनकी मिल्कियत में कोई रुपया पैसा नहीं तो उनके जिम्मे जकात नहीं, और अगर वह सोना आपकी मिल्कियत है तो दूसरे जकात के मालों के साथ इस ज़ेवर की जकात भी आपके जिम्मे होगी।

आपने लड़की के लिए जो सोना खरीद करके रखा हुआ है, उसके बारे में भी यह देखा जायेगा कि आपने वह सोना लड़की की मिल्कियत कर दिया है या नहीं? अगर लड़की की मिल्कियत नहीं तो उसकी जकात आपके जिम्मे है, और अगर लड़की की मिल्कियत है और उसके पास कोई नक़द रुपया पैसा नहीं तो उस पर जकात नहीं। और अगर कुछ रुपया पैसा भी उसके पास है तो जकात उसके जिम्मे वाजिब है।

साझे के कारोबार की जकात

किस तरह अदा की जाएगी

सवाल: मेरा एक दोस्त है, उसको उसके भाई ने छह हज़ार रुपये में खिलौनों की दुकान खोलकर दी है। अब उसकी जकात कौन अदा करेगा, जबकि यह कारोबार साझे में हो गया। यानी रक़म एक भाई की है और चलाता दूसरा भाई है, नफ़ा बराबर है। उस आदमी ने जिसने यह दुकान खोली है एक प्लाट दुकान के लिये दस हज़ार रुपये में खरीदा है, अब उसकी जकात की क्या शक़ल होगी?

जवाब: पहले यह समझ लीजिए कि जब किसी को कारोबार के लिए माल दिया जाए और नफ़े में हिस्सा रखा

जाए तो शरई इस्तिलाह में इसको “मुज़ारबत” कहते हैं। और हमारे यहाँ आम तौर से इसको “शराकत” (पार्टनरशिप) कह दिया जाता है। जबकि आपने भी यही लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है, इस कारोबार में एक असल रक़म होती है और एक उसका मुनाफ़ा, असल रक़म की ज़कात उसके असल मालिक के ज़िम्मे है और उसके ज़िम्मे मुनाफ़ा के उस हिस्से की ज़कात भी वाजिब है जो उसे मिलेगा, और जो नफ़े पर काम करता है अगर उसका नफ़ा निसाब की मिक़दार को पहुँचे और उस पर साल भी गुज़र जाए तो अपने हिस्से की ज़कात उस पर भी होगी। जो प्लाट दुकान के लिए ख़रीदा है उस पर ज़कात नहीं, खिलौने अगर मुजस्समों (तस्वीरों) की शक्ल के हों तो उनका कारोबार दुरुस्त नहीं।

कर्ज़ की ज़कात किसके ज़िम्मे है

सवाल: दस महीने पहले राशिद ने ख़ालिद को बीस हज़ार रुपये कर्ज़ के तौर पर दिये, अदायेगी की मुद्दत मुतैयन नहीं है, ख़ालिद ने दस हज़ार रुपये मकान ख़रीदने में और दस हज़ार रुपये कारोबार में लगाए। रक़म मुनाफ़े के साथ अब दस हज़ार रुपये से बढ़कर तेरह हज़ार रुपये हो गई है। क्या इस सूरत में ज़कात वाजिब हो गई? और अगर हो गई तो किस सूरत में?

जवाब: उसूल यह है कि जो रक़म किसी को कर्ज़ के तौर पर दी जाए उसकी ज़कात कर्ज़ देने वाले के ज़िम्मे होती है, कर्ज़ लेने वाले के ज़िम्मे नहीं होती। पस राशिद ने जो बीस हज़ार की रक़म ख़ालिद को कर्ज़ दे रखी है उसकी ज़कात

राशिद के जिम्मे है।

खालिद के पास जो सरमाया है चाहे वह कारोबार में लगा हुआ हो या सीने चाँदी और नक़दी की शक़ल में उसके पास मौजूद हो, उस तमाम सरमाये की मजमूई रक़म में से बीस हज़ार रुपये निकाल दिये जाएँ जो उसके जिम्मे कर्ज़ हैं, बाकी सरमाया अगर साढ़े बावन तोले चाँदी की मालियत के बराबर है तो उसके जिम्मे उसकी ज़कात वाजिब है।

सवाल: अगर कुछ रक़म किसी को कर्ज़ दी हुई हो तो क्या उस रक़म पर ज़कात देनी होगी?

जवाब: जी हाँ! उस रक़म पर भी हर साल ज़कात वाजिब है, अलबत्ता आपको यह इख़्तियार है कि हर साल जब दूसरे माल की ज़कात देते हैं उसी के साथ कर्ज़ पर दी हुई रक़म की ज़कात दिया करें, और यह भी इख़्तियार है कि जब कर्ज़ वुसूल हो जाए तो पिछले तमाम सालों की ज़कात जो उस कर्ज़ की रक़म पर वाजिब हुई थी, वह एक-मुश्त अदा कर दें।

सवाल: मेरे वालिदैन (माँ-बाप) ने अपने मकान की तामीर के सिलसिले में बीस हज़ार रुपये कर्ज़ लिये थे जो अभी लौटाये नहीं गये हैं। अगरचे वह रक़म हमारे पास जमा शुदा नहीं है बल्कि मकान की तामीर वगैरह के सिलसिले में खर्च हो गई, तो क्या हम पर उसकी ज़कात देनी फ़र्ज़ होगी? क्योंकि इस सिलसिले में मालूम करने पर हमें यह बात मालूम हुई कि जिस शख़्स की रक़म होगी वही ज़कात अदा करने का जिम्मेदार होगा। इस सिलसिले में हमने उस शख़्स से भी मालूम किया जिसकी यह रक़म है, तो उन्होंने साफ़ तौर पर ज़कात अदा करने से इनकार किया और कहा कि ज़कात

आप खुद अदा करें क्योंकि यह रक़म आपके काम आई है।

जवाब: कर्ज़ की रक़म की ज़कात कर्ज़ देने वाले के ज़िम्मे होती है, कर्ज़ लेने वाले के ज़िम्मे नहीं होती। इसलिए उस रक़म की ज़कात आप लोगों के ज़िम्मे नहीं, कर्ज़ देने वाले को चाहिए कि उसकी ज़कात अदा करे।

ना-दहन्दा कर्ज़दार को दी गई

कर्ज़ की रक़म पर ज़कात

सवाल: मुझसे अर्सा चार-पाँच साल हुए अपने ही दोस्तों या रिश्तेदारों ने कुछ रक़म उधार ली थी, जिसके वापस देने की न कोई मुद्दत तय हुई और न कोई तहरीर लिखी गई थी। मैंने इस अर्से में कितनी ही बार पैसों की वापसी का मुतालबा किया, तो जवाब मिला कि क्या हुआ दे देंगे, ऐसे ही होते-होते 5 साल गुज़र गए हैं, लेकिन पैसे वापस मिलने की कोई उम्मीद पुख़्ता नज़र नहीं आती है। हो सकता है कि अभी और ज़्यादा अर्सा गुज़र जाए, ना-उम्मीद होकर मैंने भी पैसे माँगने छोड़ दिए हैं। बराहे मेहरबानी आगाह फ़रमाएँ कि उस रक़म की ज़कात जो अर्सा 5 साल से मेरे पास नहीं, देनी होगी या नहीं?

जवाब: जो रक़म किसी को कर्ज़ दी हो उस पर ज़कात लाज़िम है, अलबत्ता यह इख़्तियार है कि चाहे तो हर साल अदा कर दिया करे या वुसूल होने के बाद पिछले तमाम सालों की ज़कात एक-मुश्त अदा कर दे। लेकिन अगर कर्ज़ लेने वाला कर्ज़ का इनकारी हो और कर्ज़ देने वाले के पास गवाह

भी न हों तो वसूली होने से पहले उसकी जकात लाजिम नहीं, और वसूल होने के बाद भी पिछले सालों की जकात नहीं।

सवाल: मेरे एक दोस्त ने आज से पाँच साल पहले डेढ़ लाख रुपये कारोबार में लगाने के लिए लिये थे, उसने वह तमाम रुपया खुर्द-बुर्द कर दिया। आज पाँच साल के बाद उसने मुझे पन्द्रह हजार रुपया वापस किया है। क्या उन पन्द्रह हजार रुपये पर जकात वाजिब है? क्या पाँच साल की जकात अदा करनी चाहिए या सिर्फ इसी साल की? और जो बाकी का रुपया उसने अदा नहीं किया उस पर भी जकात अदा करनी चाहिए या नहीं?

जवाब: उस पन्द्रह हजार रुपये पर पिछले तमाम सालों की जकात वाजिब है, इसी तरह जो रुपया आपके दोस्त से मिलता जाए उसकी गुजिश्ता सालों की जकात अदा करते रहिये।

अमानत की रकम पर जकात

सवाल: मेरे पास किसी की अमानत है तो उस पर जकात देना मेरा फर्ज है या जिसकी रकम है वह जकात देगा? दूसरी बात अर्जे खिदमत यह है कि मुझसे किसी ने कर्ज माँगा और वह अपने वक़्त पर न दे, और उम्मीद भी कम है तो उस रकम पर भी जकात फर्ज है या नहीं?

जवाब: जिस शख्स की अमानत आपके पास है, आपके जिम्मे उसकी जकात नहीं, क्योंकि उसकी जकात अमानत रखवाने वाले के जिम्मे लाजिम है। अगर उसने आपको जकात देने का इख़्तियार दिया है तो आप भी उस रकम में से अदा

कर सकते हैं। किसी के ज़िम्मे जो आपका कर्ज़ है अगर वह क़बूल करता है कि मुझे कर्ज़ देना है तो आपके ज़िम्मे उसकी ज़कात लाज़िम है, चाहे हर साल अदा करते रहें या जब वुसूल हो जाए तब पिछले तमाम सालों की अदा करें।

अगर अमानत की रक़म से हुकूमत

ज़कात काट ले तो?

सवाल: दूसरे शहरों के लोग अपनी तिजारात (कारोबार) और अमानत के तौर पर किसी के पास जो रक़म जमा कराते हैं तो हिफ़ाज़त के ख़्याल से वह शख्स अपने नाम से उसको बैंक में रख देता है, और वक़्त-वक़्त पर उन लोगों की हिदायत के मुताबिक़ रक़म निकालता भी रहता है, तो हुकूमत क्या उन रक़मों पर ज़कात काटने की हक़दार है या नहीं?

जवाब: जिस शख्स की अमानत है उसके ज़िम्मे ज़कात फ़र्ज़ होगी, मगर चूँकि हुकूमत आपके एकाउन्ट से ज़बरदस्ती ज़कात काट लेती है, इसलिए अमानत रखने वालों को चाहिए कि आपको ज़कात अदा करने का इख़्तियार दे दें। इस इख़्तियार देने के बाद उनकी रक़म से जो ज़कात कटेगी वह उनकी तरफ़ से होगी और आप (ज़कात की रक़म जो काट ली गई) उसको कम करके बाकी रक़म उनको वापस करेंगे।

ज़मानत की रक़म की ज़कात

सवाल: जो रक़म हमारे पास अमानत के तौर पर रखी हो उस पर ज़कात कौन अदा करेगा? हम अदा करेंगे या असली मालिक? मकान के किराये पर जो रक़म बतौर पेशगी ज़मानत

के तौर पर किरायेदार से ली जाती है वह क़ाबिले वापसी है, और कई साल मालिक मकान के पास अमानत रहती है, उस पर कौन ज़कात अदा करेगा?

जवाब: जो शख्स रक़म का मालिक हो उसके ज़िम्मे ज़कात है। पस अमानत की रक़म की ज़कात अमीन पर नहीं बल्कि अमानत रखने वाले मालिक के ज़िम्मे है, और ज़रे ज़मानत का मालिक किरायेदार है, उसकी ज़कात भी उसी के ज़िम्मे है।

ज़कात का निसाब और शर्तें

ज़कात किन चीज़ों पर फ़र्ज़ है

सवाल: ज़कात किस-किस चीज़ पर फ़र्ज़ है?

जवाब: ज़कात निम्नलिखित चीज़ों पर फ़र्ज़ है:

1. सोना, जबकि साढ़े सात तोले (87.479 ग्राम) या इससे ज़्यादा हो।
2. चाँदी जबकि साढ़े बावन तोले (612.35 ग्राम) या इससे ज़्यादा हो।
3. रुपया, पैसा, और माले तिजारत जबकि उसकी मालियत साढ़े बावन तोले चाँदी (612.35 ग्राम) के बराबर हो।

नोट: अगर किसी के पास थोड़ा सा सोना है, कुछ चाँदी है, कुछ नक़द रुपये हैं, कुछ माले तिजारत है और उनकी मजमूई मालियत साढ़े बावन तोले (612.35 ग्राम) चाँदी के

बराबर है तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। इसी तरह अगर कुछ सोना है, कुछ चाँदी है या कुछ सोना है कुछ नक़द रुपया है, या कुछ चाँदी है कुछ माले तिजारत है तब भी उनको मिलाकर देखा जाएगा कि साढ़े बावन तोले चाँदी की मालियत बनती है या नहीं, अगर बनती हो तो ज़कात वाजिब है, वरना नहीं। गर्ज़ यह कि सोना, चाँदी नक़दी, माले तिजारत में से दो चीज़ों की मालियत जब चाँदी के निसाब के बराबर हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है।

4. इन चीज़ों के अलावा चरने वाले पशुओं पर भी ज़कात फ़र्ज़ है, और भेड़, बकरी, गाय, भैंस और ऊँट के अलग-अलग निसाब हैं, उनमें चूँकि तफ़्सील ज़्यादा है इसलिए नहीं लिखता, जो लोग ऐसे मवेशी (पशु) रखते हों वे उलेमा से दरियाफ़्त करें।

5. उश्री ज़मीन की पैदावार पर भी ज़कात फ़र्ज़ है, जिसको उश्र कहा जाता है, इसकी तफ़्सीलात आगे मुलाहिज़ा करें।

निसाब की एकमात्र शर्त क्या है?

सवाल: आम तौर से ज़कात के लिए शर्तें निसाब जो सुनने में आता है, वह है साढ़े बावन तोले चाँदी या साढ़े सात तोले सोना, या उनकी मालियत है।

मसला यह है कि एक शख्स जिसके पास न सोना है न चाँदी बल्कि पाँच हज़ार रुपये नक़द हैं, उसको किस निसाब पर अमल करना चाहिए? सोने पर या चाँदी पर? और मालियत का हिसाब लगाए तो किस चीज़ के मुताबिक? अगर

चाँदी की शर्त पर अमल करता है तो वह साहिबे निसाब ठहरेगा, लेकिन अगर सोने की शर्त पर अमल करता है तो हरगिज़ साहिबे ज़कात नहीं ठहरता, लिहाज़ा वह ज़कात की अदायेगी का जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता, वज़ाहत फ़रमाएँ कि ऐसे शख्स को कौनसी राह इख़्तियार करनी चाहिए।

आजकल निसाब के दो मेयार बयों चल रहे हैं, जबकि हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में तो एक ही मेयार था, यानी दो सौ दिर्हम (चाँदी) की मालियत बीस दीनार (सोने) की मालियत के बराबर थे, आज उनकी मालियतों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है, लिहाज़ा किस शर्त पर अमल करना लाज़िमी है? निसाब की वाहिद (एकमात्र) शर्त क्या है?

जवाब: आपके सवाल के सिलसिले में चन्द बातें समझ लेनी ज़रूरी हैं:

अव्वल: किस माल में कितनी मिक़दार (मात्रा) वाजिबुल-अदा है? किस माल में कितने निसाब पर ज़कात वाजिब होती है? यह बात महज़ अक्ल व अन्दाज़े से मालूम नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इरशादात की तरफ़ रुजू करना लाज़िमी है। पस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जिस माल का जो निसाब मुकरर फ़रमाया है उसको कायम रखना ज़रूरी है, और उसमें रद्दोबदल की गुन्जाईश नहीं, ठीक उसी तरह जिस तरह कि नमाज़ की रकअतों में रद्दोबदल की गुन्जाईश नहीं।

दूसरे: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने चाँदी का निसाब दो सौ दिर्हम (यानी साढ़े बावन तोले यानी तक़रीबन 612.35 ग्राम) और सोने का निसाब बीस मिस्क़ाल (साढ़े सात तोले यानी तक़रीबन 87.5 ग्राम) मुकर्रर फ़रमाया है, अब चाहे सोने चाँदी की कीमतों के बीच वह तनासुब (अनुपात) जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में था कायम रहे या न रहे, सोने चाँदी के इन निसाबों में तब्दीली करने का हमें कोई हक़ नहीं। जिस तरह फ़जर की नमाज़ में दो के बजाए चार रक़अतें और मग़रिब की नमाज़ में तीन के बजाए दो रक़अतें पढ़ने का कोई इख़्तियार नहीं।

तीसरे: जिसके पास नक़द रुपया पैसा हो या माले तिजारत हो, यह तो ज़ाहिर है कि उसके लिए सोने चाँदी में से किसी एक के निसाब को मेयार बनाना होगा, रहा यह कि चाँदी के निसाब को मेयार बनाया जाए या सोने के निसाब को? इसके लिए उम्मत के फ़ुक़हा ने जो दर हक़ीक़त हुक्मा-ए-उम्मत हैं, यह फ़ैसला दिया है कि इन दोनों में से जिसके साथ भी निसाब पूरा हो जाए उसी को मेयार बनाया जाएगा। मसलन् चाँदी की कीमत से निसाब पूरा हो जाता है, मगर सोने से निसाब पूरा नहीं होता (और यही आपके सवाल का बुनियादी नुक्ता है) तो चाँदी की कीमत से हिसाब लगाया जाएगा, और इसकी दो वजहें हैं- एक यह कि ज़कात फ़कीरों ग़रीबों के नफ़े के लिए है, और इसमें ग़रीबों का नफ़ा ज़्यादा है, दूसरे यह कि इसमें एहतियात भी ज़्यादा है कि जब एक नक़दी (यानी चाँदी) के साथ निसाब पूरा हो जाता है और दूसरी नक़दी (यानी सोने) के साथ पूरा नहीं होता तो

एहतियात का तकाजा यह होगा कि जिस नकदी के साथ निसाब पूरा हो जाता है उसी का एतिबार किया जाएगा।

जकात कब वाजिब हुई

सवाल: मेरे पास साल भर से कुछ रकम थी जिसे मैं खर्च करती रही, शव्वाल के महीने से रजब तक मेरे पास दस हजार रुपये बचे और रजब में ही 35 हजार रुपये की आमदनी हुई, अब यह बताएँ कि रमजान में सिर्फ दस हजार की जकात निकालनी होगी या 35 हजार भी उसमें शामिल किए जाएँगे, जबकि 35 हजार पर रमजान तक सिर्फ तीन महीने का अर्सा (समय) गुज़रा होगा।

जवाब: जो आदमी एक बार निसाब का मालिक ह्वे जाए जब उस निसाब पर एक साल गुज़रेगा तो साल के दौखन हासिल होने वाले कुल सरमाये पर जकात वाजिब होगी, हर रकम पर अलग-अलग साल गुज़रना शर्त नहीं। इसलिए रमजान मुबारक में आप पर उस कुल रकम की जकात वाजिब होगी जो उस वक्त आपके पास हो।

सवाल: अगर किसी के पास 68 हजार रुपये और 6 तोले सोना है तो उस सोने पर भी जकात दी जाएगी या सिर्फ रुपये की ही जकात निकालनी होगी?

जवाब: इस सूरत में जकात सोने पर भी वाजिब है, साल पूरा होने के दिन सोने की जो कीमत हो उसके हिसाब से 6 तोले सोने की मालियत को भी रकम में शामिल करके जकात अदा की जाए।

नक़द और तिज़ारत के माल के लिए

चाँदी का निसाब मेयार है

सवाल: निसाब साढ़े सात तोले सोना, साढ़े बावन तोले चाँदी का है, इस सिलसिले में जानना चाहूँगा कि नक़दी और माल का हिसाब किसके मेयार पर किया जाए? चाँदी या सोने के?

जवाब: चाँदी के निसाब का एतिबार किया जाए।

नोट: सोढ़ सात तोले सोना बराबर है 87.479 ग्राम के, और साढ़े बावन तोले चाँदी 612.35 ग्राम के बराबर है।

सवाल: आजकल कम से कम कितनी रक़म की मिल्कियत पर ज़कात फ़र्ज़ होगी?

जवाब: साढ़े बावन तोले चाँदी की बाज़ार में जितनी कीमत हो उतनी मालियत पर, चूँकि चाँदी का भाव बदलता रहता है इसलिए उसकी मालियत का लिखना बेफ़ायदा है, जिस दिन ज़कात वाजिब हो उस दिन की कीमत का एतिबार है।

निसाब से कम अगर केवल सोना हो तो

ज़कात वाजिब नहीं

सवाल: अगर किसी औरत के पास साढ़े सात तोले सोना और साढ़े बावन तोले चाँदी हो तो उस पर ज़कात वाजिब है, इससे कम पर ज़कात वाजिब नहीं। अगर किसी औरत के पास 5-6 तोला सोना हो चाँदी और नक़दी वगैरह कुछ न हो

और वह जकात नहीं देती, यह सही है या नहीं?

जवाब: अगर सिर्फ सोना हो, उसके साथ चाँदी या नक़दी रुपया और दीगर कोई चीज़ काबिले जकात न हो तो साढ़े सात तोले (87.5 ग्राम) से कम सोने पर जकात नहीं।

साढ़े सात तोले सोने से कम पर नक़दी

मिलकर जकात वाजिब है

सवाल: मेरी चार लड़कियाँ बालिग हैं, हर एक के पास 4 तोले सोना जायद या कम है, मैंने हमेशा के लिए दे दिया था और हर एक के पास रुपया चार सौ रियाल, छह सौ, एक हजार रियाल जमा रहता है, क्या उन सब पर जकात, कुरबानी फ़ित्रा अलग-अलग अदा करना वाजिब है या नहीं?

जवाब: आपने जो सूरत लिखी है उसमें आपकी सब लड़कियों पर अलग-अलग जकात, कुरबानी और सदका-ए-फ़ित्रा लाज़िम है। क्योंकि सीना अगरचे निसाब से कम है मगर नक़दी के साथ सोने की कीमत मिलाई जाए तो साढ़े बावन तोले (612.35 ग्राम) चाँदी की कीमत बन जाती है।

क्या निसाब से जायद में निसाब के पाँचवे

हिस्से तक छूट है?

सवाल: मेरे पास सिर्फ सोने के तीन ज़ेवरात हैं एक का वज़न 78 तोला, दूसरे का 2 तोला, तीसरे का एक तोला 5 माशे, कुल 81 तोले 5 माशे के ज़ेवरात हैं। मैं चाहता हूँ कि

सिर्फ़ चालीसवें हिस्से की दर से दो तोले की ज़कात निकाल दूँ और वह इस तरह कि दो तोले का एक ज़ेवर ही अपनी ग़रीब फूफी को दे दूँ। क्या ऐसा हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि 17 माशे पर ज़कात माफ़ है, क्योंकि निसाब के पाँचवे हिस्से से कम है, मगर एक साहिब फ़रमाते हैं कि मौजूदा ज़माने में ढाई फ़ीसद की दर ज़कात की हो गई है, चालीसवें की इस्तिलाह मन्सूख़ (निरस्त और ख़त्म) हो गई, अब मुझको ढाई फ़ीसद के हिसाब से कुल नौ सत्तर माशे का ढाई फ़ीसद यानी 24.425 माशे देना होगा, न कि सिर्फ़ 24 माशे, यानी 2 तोला। यह उलझन दूर फ़रमायें।

जवाब: ढाई फ़ीसद और चालीसवाँ हिस्सा तो एक ही चीज़ है, इस्तिलाहें बदलती रहती हैं, मन्सूख़ नहीं हुआ करतीं। दर असल इस मसले में हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रह० और साहिबैन (इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद रह०) का मतभेद है कि निसाब से रक़म कुछ ज़्यादा हो तो ज़ायद पर ज़कात है या नहीं? हज़रत इमाम साहिब के नज़दीक निसाब से ज़ायद जब पाँचवाँ हिस्सा हो जाए तो उस पर ज़कात है, निसाब और पाँचवे हिस्से के बीच की मालियत पर “छूट” है। इसी तरह पाँचवे हिस्से से पाँचवे हिस्से तक “छूट” है, जब और पाँचवाँ हिस्सा हो जाएगा उस पर ज़कात आएगी।

साहिबैन रहमतुल्लाहि अलैहिमा फ़रमाते हैं कि निसाब से ज़ायद जितनी भी मालियत हो चाहे कम या ज़्यादा, उस पर ज़कात है। पस हज़रत इमाम रह० के क़ौल के मुताबिक़ आपके ज़िम्मे सिर्फ़ अस्सी तोले पर ज़कात है, और ज़ायद मात्रा जो सत्तर माशे की है, वह चूँकि निसाब के पाँचवे हिस्से

से कम है, उस पर जकात नहीं, जबकि साहिबैन रह0 के नज़दीक उस ज़ायद सत्तर माशे पर भी उसके हिसाब से जकात है। अंजाम के लिए ज़्यादा बारीकी में जाना मुश्किल है, उनके लिए सीधी सी बात यह है कि कुल मालियत पर चालीसवाँ हिस्सा (या ढाई फ़ीसद) अदा कर दिया करें। लिहाज़ा आप दो तोले अपनी फूफी साहिबा को दे दें यह अस्सी तोले की जकात हो गई, और एक तोला 5 माशे जो ज़ायद है उसकी कीमत लगाकर उसका चालीसवाँ हिस्सा अदा कर दें।

एक और सवाल

सवाल: मैं बुजुर्गों से सुनता चला आ रहा हूँ और किताबों में पढ़ता हूँ कि जकात चाँदी सोने पर है, अगर किसी के पास रुपये हों या नोट हों तो उनका भी चाँदी सोने में हिसाब कर लो, अब फिर देखो साढ़े बावन तोले चाँदी या साढ़े सात तोले सोने के बराबर हुए कि नहीं, अगर हो गए तो साहिबे निसाब हो गए और अब उसका चालीसवाँ हिस्सा जकात निकाल दो। यानी चालीस से तक़सीम कर दो। और अगर बाकी कुछ बच जाए तो अगर वह निसाब के पाँचवे हिस्से से कम है तो उसको छोड़ दो, उस पर जकात माफ़ है।

मेरे पास मिसाल के तौर पर 20 तोले चाँदी के ज़ेवरात हैं और 450 रुपये बैंक में हैं जिन पर एक साल मुकम्मल गुज़र गया, अब 450 रुपये को मैंने नौ तोले चाँदी 50 रुपये फ़ी तोले से बना लिया, गोया मेरे पास कुल एक सौ उन्तीस तोले चाँदी या कुल छह हज़ार चार सौ पचास रुपये नक़दी हैं, अगर

मैं सिर्फ़ उनको चाँदी समझ कर चालीसवाँ हिस्सा निकालता हूँ तो सिर्फ़ तीन तोले चाँदी यानी एक सौ पचास रुपये ज़कात वाजिब है। 9 तोले बढ़ोतरी पर जो निसाब के पाँचवे हिस्से से कम है ज़कात वाजिब नहीं। अगर मैं दूसरे तरीके से यानी 6450 रुपये पर ढाई फीसद के हिसाब से निकालता हूँ तो उस पर 161 रुपये 25 पैसे ज़कात आएगी। बताइये कि कौनसी रक़म 150 रुपये या 161 रुपये 25 पैसे सही हैं? मेरी इस उलझन को दूर फ़रमाएँ।

जवाब: जो सोना चाँदी निसाब से ज़ायद हो मगर निसाब के पाँचवे हिस्से से कम हो उसमें ज़कात वाजिब होने या न होने में इख़िलाफ़ (मतभेद) है, एहतियात की बात यही है कि उसको भी वाजिब समझ कर अदा किया जाए। इसलिए आपकी ज़िक्र की हुई मिसाल में 161 रुपये 25 पैसे ही अदा करने चाहिएँ।

निसाब से ज़्यादा सोने की ज़कात

सवाल: अगर किसी शख़्स के पास निसाब से ज़्यादा सोना है तो इस सूरत में क्या ज़कात पूरी मिक़दार पर फ़र्ज है या निसाब से ज़ायद मिक़दार पर?

जवाब: पूरी मिक़दार पर, बाज़ लोग ज़कात को इन्क़म टैक्स पर क़ियास (अन्दाज़ा) करके यह समझते हैं कि निसाब से कम मिक़दार (मात्रा) पर ज़कात नहीं, इसलिए जब निसाब से ज़्यादा हो जाए तो सिर्फ़ ज़ायद पर ज़कात है और निसाब की मिक़दार “छूट” में दाख़िल है, मगर यह ख़्याल सही नहीं बल्कि जितना भी सोना चाँदी या रुपया पैसा हो उस सबकी

जकात लाज़िम है, जबकि निसाब को पहुँच जाए।

नोट पर जकात

सवाल: इस ज़माने में तमाम मुल्कों में सिक्के के बजाए कागज़ी नोट राईज (चलते) हैं, जिनकी हैसियत वादे या इकरार-नामे की है, क्या यह कागज़ी नोट सिक्के में शुमार हो सकता है? अगर सिक्के में शुमार नहीं हो सकता तो उस पर जकात भी वाजिब नहीं, क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़िलिज़्ज़ी (यानी धातु जैसे सोने-चाँदी वगैरह) सिक्का राईजुल-वक़्त पर जकात लाज़िम की है।

जवाब: नोट या तो खुद सिक्का है या मालियत की रसीद है, इसलिए जकात नोटों पर हर हाल में लाज़िम है, अलबत्ता नोट से जकात अदा होने का मसला विचारनीय रहा है, बहुत से अकाबिर की राय में यह खुद सिक्का नहीं बल्कि रसीद है, इसलिए जकात इससे आद नहीं होती, और बाज़ उलेमा के नज़दीक इसको नये दौर में सिक्के की हैसियत हासिल है इसलिए जकात अदा हो जाती है, पहले क़ौल पर एहतियात ज़्यादा है और दूसरे क़ौल में सहूलत ज़्यादा है।

जकात बचत की रक़म पर होती है,

तन्ख्याह पर नहीं

सवाल: फ़ौजी सिपाही को तन्ख्याह मिलती है उसके साथ मकान का किराया, ट्रांसपोर्ट का किराया वगैरह मिलता है, 1300 रुपये तक नक़द ले लेते हैं। क्या इस रक़म पर जकात है? जबकि रुपये इकट्ठे उसके पास आते हैं, लेकिन बड़ी

मुश्किल से गुज़ारा होता है।

जवाब: ज़कात बचत की रक़म पर होती है, जबकि बचत की रक़म साढ़े बावन तोले यानी 612.35 ग्राम चाँदी की मालियत को पहुँच जाए। जब कुछ बचता ही नहीं तो उस पर ज़कात क्या होगी।

ज़कात माहाना तन्ख़्वाह पर नहीं

बल्कि बचत पर साल गुज़र जाने पर है

सवाल: अपनी तन्ख़्वाह की कितनी फ़ीसद रक़म ज़कात में देनी चाहिए? हमारी कुल तन्ख़्वाह सिर्फ़ पाँच सौ है।

जवाब: अगर बचत निसाब के बराबर हो जाए और उस पर साल भी गुज़र जाए तो ढाई फ़ीसद ज़कात वाजिब है, वरना नहीं।

तन्ख़्वाह की रक़म जब तक वुसूल न हो

उस पर ज़कात नहीं

सवाल: मैं जिस कम्पनी में काम करता हूँ उस कम्पनी पर मेरी कुछ रक़म (तन्ख़्वाह की मद में) वाजिब है, मौजूदा जाहिरी सूरतेहाल के मुताबिक़ उसके मिलने की कोई खास उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से यह रक़म मिल जाती है तो मेरा इरादा है कि उससे अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए एक मकान या फ़्लैट ख़रीद लूँ (मेरे पास अपना ज़ाती मकान नहीं है), क्या मुझे उस रक़म पर ज़कात अदा करनी चाहिए? वाज़ेह रहे कि यह रक़म कम्पनी

पर एक साल से ज़्यादा के अर्से से वाजिबुल-अदा (दिय) है।

जवाब: तन्ख्वाह की रक़म जब तक वुसूल न हो उस पर जकात नहीं, तन्ख्वाह की रक़म मिलने के बाद उस पर साल पूरा होगा तब उस पर जकात वाजिब होगी, और अगर आप पहले से साहिबे निसाब हैं तो जब निसाब पर साल पूरा होगा उसके साथ उस तन्ख्वाह की प्राप्त की हुई रक़म पर भी जकात वाजिब हो जाएगी।

जकात किस हिसाब से अदा करें

सवाल: यह फ़रमाएँ कि जकात जमा शुदा रक़म पर अदा की जाती है, जैसे किसी महीने एक शख्स के पास 2 हज़ार रुपये हैं, तीसरे या चौथे महीने में वे पन्द्रह सौ रह जाते हैं, और जब साल मुकम्मल होता है तो वह रक़म दो हज़ार पाँच सौ होती है, तो अब किस हिसाब से जकात अदा करनी होगी, तफसील से मुत्तला फ़रमाएँ।

जवाब: पहले यह उसूल समझ लीजिए कि जिस शख्स के पास थोड़ी-थोड़ी बचत होती रही, जब तक उसकी जमा शुदा पूँजी साढ़े बावन तोले (612.35 ग्राम) चाँदी की मालियत को न पहुँचे उस पर जकात वाजिब नहीं, और जब उसकी जमा शुदा पूँजी इतनी मालियत को पहुँच जाए (और वह कर्ज़ से भी फ़ारिग़ हो) तो उस तारीख़ को वह “साहिबे निसाब” कहलाएगा। अब साल के बाद उसी चाँद की तारीख़ को उस पर जकात वाजिब हो जाएगी। उस वक़्त उसके पास जितनी जमा शुदा पूँजी हो (बशर्ते कि निसाब के बराबर हो) उस पर जकात वाजिब होगी, साल के दौरान अगर वह रक़म कम

ज़्यादा होती रही, उसका एतिबार नहीं। बस साल के अक्वल व आखिर में निसाब का होना शर्त है।

कारोबार में लगाई गई रक़म पर ज़कात वाजिब है

सवाल: मैं खुद एक कम्पनी में नौकरी करता हूँ। उसके साथ मैंने कुछ पैसा साझे में कारोबार में लगाया हुआ है, जिससे कुछ आमदनी हो जाती है। जिससे हमारा खर्च चलता है, और कुछ बचत (ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 हज़ार रुपये सालाना) हो जाती है। क्या कारोबार में लगाए हुए पैसे पर ज़कात देना होगी जबकि हम बचत की हुई रक़म पर पूरे साल की ज़कात देते हैं?

जवाब: कारोबार में लगे हुए रुपये पर भी ज़कात है।

असल रक़म और मुनाफ़े पर ज़कात

सवाल: एक शख़्स ने 5 हज़ार रुपये एक जायज़ तिजारत में लगाए हैं, साल गुज़रने के बाद वह कितनी रक़म ज़कात में देगा? असल रक़म पर ज़कात अदा की जाएगी या उस कुल मुनाफ़े पर जो साल भर में कमाया?

जवाब: साल गुज़रने पर असल रक़म मयं मुनाफ़े के जितनी रक़म बनती हो उस पर ज़कात है।

काबिले फ़रोख़्त माल और नफ़ा दोनों पर

ज़कात वाजिब है

सवाल: मुझे दुकान चलाते हुए तक़रीबन 3 साल हो गए

हैं। दुकान खोले तो ज़्यादा अर्सा हो गया है, लेकिन पहले बच्चों का सामान वगैरह था। मेरा सवाल यह है कि मैंने ज़कात कभी नहीं दी, आप मुझे बताइये कि मैं किस तरह से ज़कात दूँ। दुकान के पूरे माल पर ज़कात है या उससे जो सालाना मुनाफ़ा होता है उस पर? और इससे पहले जो मैंने ज़कात नहीं दी उसका क्या करूँ? क्योंकि मेरे वालिद साहिब का हज का भी फ़र्म भरवा दिया गया है, उसमें मैंने भी कुछ रक़म दी है।

जवाब: आपकी दुकान में जितना काबिले फ़रोख़्त (बेचने के लिये) सामान है, उसका हिसाब लगाकर और मुनाफ़ा जोड़कर साल के साल ज़कात दिया कीजिए, और उसके साथ घर में जो काबिले ज़कात चीज़ हो उसकी ज़कात भी उसके साथ अदा कर दिया कीजिए। गुज़रे सालों की ज़कात भी आपके ज़िम्मे वाजिबुल-अदा है, उसको भी हिसाब करके अदा कीजिए। साल के अन्दर जो रक़म घर के मसारिफ़ (ख़र्चों) और दूसरी ज़रूरतों में ख़र्च हो जाती है उस पर ज़कात नहीं।

कारोबार में लगे कर्ज़ को निकाल

करके ज़कात दें

सवाल: सूरतेहाल यह है कि मैं स्पेयर पार्ट्स का कारोबार करता हूँ। मैं कराची से माल लेकर आता हूँ और आगे छोटे-छोटे गाँवों में सप्लाय करता हूँ। मैं जिनसे माल लेता हूँ उनका कर्ज़ा मेरे ऊपर तक़रीबन 30,000 रुपये है। और दूसरों के ऊपर मेरा कर्ज़ा तक़रीबन 18,000 रुपये है, और मेरे पास

तक़रबीन 80,000 रुपये का माल मौजूद है। सवाल यह है कि मैं किस तरह से ज़कात निकालूँ?

एक जगह मैंने पढ़ा है कि कुल रकम में से कर्ज़ा निकाल कर जो बचे उस पर ज़कात अदा करनी पड़ती है, लेकिन वह रकम जो कि दूसरों पर कर्ज़ा हो उसके लिए क्या हुक्म है, और वह रकम जो मैंने कर्ज़ा दे रखी हो?

जवाब: जितनी मालियत आपके पास मौजूद है, चाहे नक़दी की शक्ल में हो या माले तिजारत की शक्ल में, तथा आपके वे कर्ज़े जो लोगों के ज़िम्मे हैं, उन सबको जमा कर लिया जाए। इस मजमूई रकम में से वे कर्ज़े निकाल दिये जाएँ जो आपके ज़िम्मे हैं, निकालने के बाद जितनी मालियत बाकी है उसकी ज़कात अदा कर दिया करें। पूछी गयी सूरात में 68 हज़ार रुपये की ज़कात आपके ज़िम्मे वाजिब है।

काबिले फ़रोख़्त माल की कीमत से कर्ज़

निकाल करके ज़कात दी जाए

सवाल: एक शख्स ने कर्ज़ के पैसों से एक दुकान खोली, साल पूरा होने पर हिसाब करके 95,000 रुपये का माल मौजूद था, जबकि शुरू में 1,10,000 का माल डाला था, और कर्ज़ जो दुकान पर 60,000 रुपये का बकाया है, और नक़द दो हज़ार पड़े हुए, तो क्या उन पर ज़कात अदा हो सकती है या नहीं? अगर हो सकती है तो कितनी?

जवाब: जितनी मालियत का सामान काबिले फ़रोख़्त (बेचने के लिये) है उसकी कीमत में से कर्ज़ की रकम अलग

करके बाकी बची रकम में दो हजार जमा करके उसकी जकात अदा कर दीजिए।

उद्योग का हर काबिले फरोख्त माल भी माले जकात है

सवाल: उद्योग के सिलसिले में कौनसा माल जकात से खारिज है और कौनसे माल पर जकात वाजिब है?

जवाब: उद्योगपति के पास दो किस्म का माल होता है— एक कच्चा माल जो चीजों की तैयारी में काम आता है, और दूसरा तैयार शुदा माल। इन दोनों किस्म के मालों पर जकात है, अलबत्ता मशीनरी और दूसरी वे चीजें जिनके जरिये माल तैयार किया जाता है, उन पर जकात नहीं।

साल के दौरान जितनी भी रकम आती रहे,
लेकिन जकात साल के समापन पर मौजूद
रकम पर होगी

सवाल: जकात के लिए रकम या माल पर पूरा साल गुजर जाना जरूरी है, जबकि माले तिजारत में फायदे से जो इजाफा होता है उस तमाम पर 12 महीने का पूरा अर्सा नहीं गुजरता। मिसाल के तौर पर एक शख्स के पास जनवरी 1984 ई. तक कुल सरमाया 20 हजार रुपये था, जो 3 महीने बाद अन्दाज़न 22 हजार रुपये हो गया, छह महीने गुजरने पर 25 हजार रुपये हो गया, नौ महीने गुजरने पर 28 हजार रुपये हो

गया और बारहवें महीने के ख़त्म तक उसकी रक़म बढ़कर तीस (30) हज़ार रुपये हो गई। अब ज़कात किस रक़म पर वाजिब होगी? जबकि वह शख़्स हमेशा अपनी ज़कात और दूसरी आमदनी के लिए हिसाब अंग्रेज़ी साल के समापन पर करता है।

जवाब: यहाँ दो मसले हैं- एक यह कि ज़कात में क़मरी (चाँद के) साल का एतिबार है, शमसी (अंग्रेज़ी) साल का एतिबार नहीं। अब या तो हिसाब चाँद के हिसाब से करना चाहिए और अगर अंग्रेज़ी साल के एतिबार से हिसाब करना ही मजबूरी और लाज़िमी हो तो दस दिन की ज़कात ज़्यादा अदा कर देनी चाहिए।

दूसरा मसला यह है कि चाँद के साल के ख़त्म होने पर उसके पास जितना माल हो उस सब पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। जैसे किसी का ज़कात का साल पहली मुहर्रम से शुरू होता है, तो अगले साल पहली मुहर्रम को उसके पास जितना माल हो उस पर ज़कात अदा करे, चाहे उसमें से कुछ हिस्सा दो महीने पहले मिला हो या दो दिन पहले, गर्ज़ यह कि साल के दौरान जो माल आता रहे उस पर साल गुज़रने का हिसाब अलग से नहीं लगाया जाएगा, बल्कि जब असल निसाब पर साल पूरा होगा तो साल के पूरा होने पर जिस क़द्र भी सरमाया हो उस पूरे सरमाये पर ज़कात वाजिब हो जाएगी, चाहे उसके हिस्सों पर साल पूरा न हुआ हो।

जब निसाब के बराबर माल पर साल गुज़र जाए तो ज़कात वाजिब होगी

सवाल: एक शख़्स का ऐसा कारोबार है कि उसे रोज़ाना

सौ रुपये बचत होती है, वह यह सौ रुपये बैंक में रखता है। मिसाल के तौर पर दस रजब से उसने यह पैसे जमा करने शुरू किए और दूसरे साल दस रजब को उसने हिसाब किया तो तक्रीबन 36,000 रुपये थे। अब उन पैसों में रमज़ान शब्वाल वगैरह के पैसे भी हैं जिन पर अभी साल नहीं गुज़रा, अब सवाल यह है कि आया वह शख्स दस रजब को 36000 रुपये की ज़कात इकट्ठी निकालेगा या दस रजब से ढाई रुपये रोज़ाना निकालेगा? क्योंकि उसकी रोज़ाना बचत सौ रुपये है। क्या इकट्ठी ज़कात निकालने से वह दूसरे रजब तक ज़कात से फ़ारिग़ हो जाएगा, और यूँ उसकी ज़कात अदा हो जाएगी? जबकि माले ज़कात पर साल गुज़रना शर्त है।

जवाब: जब निसाब पर साल पूरा हो जाए तो साल के बाद जितना रुपया हो सब पर ज़कात वाजिब हो जाती है, चाहे कुछ रुपया बीच साल में हासिल हुआ हो, पूरे साल की ज़कात का हिसाब एक ही वक़्त किया जाता है, अलग-अलग दिनों का हिसाब नहीं किया जाता।

जैसे आपने जो सूरत लिखी है कि एक शख्स ने दस रजब को सौ रुपये रोज़ाना जमा करने शुरू किए, अगले साल दस रजब को उसके पास 36000 रुपये हो गए, उसका साल उस वक़्त शुरू होगा जब उसकी उतनी रक़म जमा हो जाए जो साढ़े बावन तोले (612.35 ग्राम) चाँदी की मालियत के बराबर हो, जिस तारीख़ को इतनी मालियत जमा होगी उससे अगले साल उसी तारीख़ को जमा शुदा पूरी रक़म की ज़कात उसके ज़िम्मे वाजिब हो जाएगी।

साईं बचान लीले (यानी 612.35 ग्राम) चांदी की मालियत से

जवाब: चूंकि पूरा हजार रुपये और सोना दोनों मिलकर क्या उस पर जंकात देनी पड़ेगी? अगर हाँ तो कितनी?

पस पूरा हजार रुपये ही और निसाब से कम सोना हो तो सवाल: जंकात किस पर फर्ज है? अगर किसी श्रावण के

कम सोना ही तो जंकात का हक

अगर पूरा हजार रुपये ही और निसाब से

जवाब: जी हाँ वाजिब है।

तो भी क्या उस पर जंकात वाजिब है?

मकसद जैसे बहन बौरह की शादी के लिए जमा कर रखी हो, सवाल: अगर मैंने निसाब के बराबर रकम किसी खास

बराबर मात्रा पर जंकात

किसी खास मकसद के लिए निसाब के

अन्दाजा लगाना चाहिए।

तौर पर निसाब करना मुश्किल न हो तो ज्यादा से ज्यादा का अन्दाजा कम रखा तो जंकात का फर्ज निम्न रहेगा, अगर पूरे

जवाब: जंकात पूरा निसाब करके देनी चाहिए। अगर

चाहिए या अन्दाजे से अदा कर दिया जाए?

हे या नहीं? यानी अगर कपड़ा है तो उसको पूरा नापना सवाल: इकान की जंकात अन्दाजे से अदा करना जायज

जंकात अन्दाजे से देना सही नहीं

बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए उस शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ है, उसको चाहिए कि सोने के “आज के भाव” से कीमत लगा ले, और उसको पाँच हज़ार में जमा करके ढाई फीसद के हिसाब से ज़कात अदा कर दे।

ज़ेवर की ज़कात बिक्री की कीमत पर

सवाल: वाजिब ज़कात सोने की कीमत पर कैसे लगाई जाए? आया बाज़ार की मौजूदा बिक्री की कीमत (जिस पर सुनार बेचत हैं) या वह कीमत लगाई जाए जो अगर हम बेचना चाहें तो मिले (जो सुनार अदा करें)?

जवाब: जिस कीमत पर ज़ेवर फ़रोख्त हो सकता है उतनी कीमत पर ज़कात वाजिब होगी।

ज़ेवरात की ज़कात की दर

सवाल: 1: औरतों के पहनने के ज़ेवर पर ज़कात की शरह (दर) क्या है?

2: ज़ेवरात की कीमत मौजूदा बाज़ार के भाव पर लगाई जाएगी या जिस कीमत पर ख़रीदे गए हैं?

3: सात तोले से ज़ायद अगर सोने के ज़ेवरात हों तो पूरे ज़ेवरात पर ज़कात लगेगी या सात तोले उसमें से कम कर दिए जाएँगे?

जवाब: सोने चाँदी के ज़ेवरात की कीमत लगाकर ढाई फीसद के हिसाब से ज़कात अदा की जाए। कीमत का हिसाब ज़कात वाजिब होने के दिन बाज़ार की कीमत से होगा, पूरे ज़ेवरात पर ज़कात होगी, सात तोले कम करके नहीं।

इस्तेमाल वाले ज़ेवरात पर ज़कात

सवाल: ज़ेवरात जो औरत के इस्तेमाल में रहते हैं क्या उनपर ज़कात है या नहीं? क्योंकि इस्तेमाल में रहने वाली चीज़ों पर ज़कात नहीं है। मेरे एक अज़ीज़ जेदा में रहते हैं, उनका बयान है कि जेदा के अरब लोग ज़ेवर पर ज़कात नहीं देते और कहते हैं कि यह रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ है, वगैरह।

जवाब: इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़दीक ऐसे ज़ेवरात पर भी ज़कात है जो इस्तेमाल में रहते हों, अरबों के मस्लक में नहीं होगी।

ज़ेवरात और अशरफ़ी पर ज़कात वाजिब है

सवाल: मेरे पास सोने-चाँदी के ज़ेवरात हैं जो कि इस्तेमाल में हैं और कुछ सोना चाँदी अपनी असली हालत पर यानी अशरफ़ी की सूरत में है। अब आया ज़कात दोनों किस्मों के सोने चाँदी पर है या सिर्फ़ अशरफ़ी की शक़्ल के सोने और चाँदी पर? बाज़ लोगों का ख़्याल है कि इस्तेमाल के ज़ेवरात पर ज़कात नहीं, असल सूरतेहाल से मुत्तला फ़रमाएँ।

जवाब: इस्तेमाल के ज़ेवरात पर भी ज़कात है, लिहाज़ा उक्त सूरत में ज़कात दोनों पर वाजिब है, यानी ज़ेवरात और अशरफ़ी दोनों पर।

**ज़ेवर के नग पर ज़कात नहीं
लेकिन ख़ोट सोने में शुमार होगा**

सवाल: क्या ज़कात ख़ालिस सोने पर लगाएँगे या ज़ेवरात

जिस में नग वगैरह भी शामिल हों उस नग के वज़न को शामिल करते हुए ज़कात लाज़िम होगी? और इसी तरह से खोट का क्या मसला है?

जवाब: सोने में जो नग वगैरह लगाते हैं उन पर ज़कात नहीं, क्योंकि उनको अलग किया जा सकता है, अलबत्ता जो खोट मिला देते हैं वह सोने के वज़न ही में शुमार होगा, उस खोट मिले सोने की बाज़ार में जो कीमत होगी उसके हिसाब से ज़कात अदा की जाएगी।

सोने की ज़कात

सवाल: ज़कात जो माल के चालीसवें हिस्से की सूरत में अदा की जाती है, अगले साल अगर माल में इज़ाफ़ा नहीं हुआ तो क्या अदा किये हुए माल को कम करके दी जाएगी? जैसे साढ़े सात तोले सोने पर ज़कात वाजिब है, मौजूदा रेट के हिसाब से रक़म का ढाई फ़ीसद अदा कर देती हूँ। फ़र्ज़ करें कि सोने की मालियत 15000 है और ढाई फ़ीसद के हिसाब से 325 रुपये बनती है, अब अगले साल जबकि मेरे पास सोना साढ़े सात तोले से ज़्यादा नहीं हुआ, क्या उस सोने पर ज़कात होगी जो मैं 325 रुपये की सूरत में पिछले साल अदा कर चुकी हूँ। (क्योंकि माल का चालीसवाँ हिस्सा तो निकल चुका है) या इस साल भी साढ़े सात तोले पर दूँगी। मेरी ख़ाला बेवा है उसके पास साढ़े सात तोले से ज़ायद सोना है, क्या उस पर ज़कात वाजिब है? वह ज़कात की रक़म ले सकती हैं या नहीं? क्या उनकी यतीम बेटी (नाबालिग) को रक़म देना सही है?

जवाब: साल पूरा होने के बाद आदमी के पास जितनी मालियत है उस पर जकात लाजिम आती है। आपकी लिखी सूरत में आपने साढ़े सात तोले सोने पर 325 रुपये जकात के इस साल अदा कर दिए लेकिन सोने की यह मिकदार (मात्रा) तो आपके पास महफूज है और साल पूरा होने तक महफूज रहेगी, इसलिए आईन्दा साल भी इस पूरी मालियत पर जकात लाजिम होगी, अलबत्ता अगर आप सोने ही का कुछ हिस्सा जकात में अदा कर देतीं और बाकी सोना बकद्रे निसाब न रहता तो इस सूरत में यह देखना होगा कि उस सोने के अलावा तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पर जकात फर्ज है, जैसे नक़द रुपया, तिजारती माल या किसी कम्पनी के शेयर वगैरह, पस अगर सोने के अलावा कोई और चीज़ भी मौजूद हो जिस पर जकात आती है और वह सोने के साथ मिलकर निसाब की मिकदार को पहुँच जाती है तो जकात फर्ज ह्येगी।

आपकी खाला के पास अगर साढ़े सात तोले सोना मौजूद हो तो उस पर जकात फर्ज है, उसको जकात देना जायज़ नहीं, यतीम नाबालिग़ लड़की अगर निसाब की मालिक न हो तो उसको जकात दे सकते हैं।

सोने की जकात का एक मसला

सवाल: फर्ज करें मेरे पास निसाब का सोना 8 तोला है, मैंने आठ तोले की जकात अदा की, आईन्दा साल तक मैंने उसमें कोई इज़ाफ़ा नहीं किया और पिछले साल की जकात निकाल कर अब यह सोना निसाब से कम है, यानी मौजूद तो

आठ तोले ही है लेकिन चूँकि मैं आठ तोले का चालीसवाँ हिस्सा अदा कर चुका हूँ तो वह चालीसवाँ हिस्सा निकाल कर फिर निसाब बनेगा या हर साल आठ तोले पर ही जकात देनी होगी? वज़ाहत कर दें।

जवाब: पहले साल आपके पास आठ तोले सोना था, आपने उसकी जकात अपने पास के पैसों से अदा कर दी और वह सोना जूँ का तूँ आठ तोले महफ़ूज़ रहा तो आईन्दा साल भी उस पर जकात वाजिब होगी। हाँ! अगर आपने सोना ही जकात में दे दिया होता और सोने की मिक्दर साढ़े सात तोले से कम हो गई होती और आपके पास कोई और असासा (माल) न होता जिस पर जकात आती हो तो इस सूरत में आप पर जकात वाजिब न होती।

ज़ेवरात पर पिछले सालों की जकात

सवाल: मेरे पास दस तोले सोने का ज़ेवर है जो मुझे दहेज में मिला था, अब हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम उसकी जकात अदा करें। हमारी शादी को भी तक़रीबन बीस साल हो गए हैं इस अर्से में किसी साल हमने जकात अदा की और किसी साल नहीं, अब मैं यह चाहती हूँ कि यह सोना अपने दोनों लड़कों के नाम पर पाँच-पाँच तोला तक़सीम कर दूँ। इस तरह पाँच तोले पर जकात अदा नहीं करनी पड़ेगी, अब इस बारे में तफ़्सील से जवाब इनायत करें कि यह जायज़ है कि नहीं।

जवाब: पिछले जितने सालों की जकात आपने नहीं दी वह तो सोना फ़रोख़्त करके अदा कर दीजिए, आईन्दा अगर

आप अपने बेटों को हिबा कर देंगी तो आप पर ज़कात नहीं होगी, बेटे अगर साहिबे निसाब हुए तो उन पर होगी घरना उन पर भी नहीं होगी, लेकिन बेटों को हिबा करने के बाद उस ज़ेवर से आपका कोई ताल्लुक नहीं होगा।

बच्चियों के नाम पाँच-पाँच तोले सोना कर दिया और उनके पास चाँदी और रक़म नहीं तो किसी पर भी ज़कात नहीं

सवाल: अगर कोई शख़्स अपनी बच्चियों के नाम अलग-अलग 5-5 तोले सोना रख दे ताकि उनके ब्याह-शादी में काम आ सके तो यह शरअन कैसा है? क्या मजमूए पर ज़कात वाजिब होगी? या यह अलग-अलग होने की सूरत में वाजिब न होगी?

जवाब: चूँकि ज़ेवर बच्चियों के नाम कर दिया गया है इसलिए वे उसकी मालिक बन गईं। इसलिए इस शख़्स के जिम्मे उसकी ज़कात नहीं और हर एक बच्ची की मिल्कियत चूँकि निसाब की हद से कम है इसलिए उनके जिम्मे भी ज़कात नहीं, अलबत्ता जो लड़की बालिग़ हो और उसके पास उस ज़ेवर के अलावा भी कुछ नक़द रुपया पैसा हो चाहे उसकी मिक्दार कितनी ही कम हो उस पर साल भी गुज़र जाए तो उस लड़की पर ज़कात लाज़िम होगी, क्योंकि जब सोने चाँदी के साथ कुछ नक़दी मिल जाए और मजमूए की कीमत साढ़े बावन तोले चाँदी के बराबर हो जाए तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। और जो लड़की नाबालिग़ है उसकी मिल्कियत पर ज़कात नहीं, जब तक कि वह बालिग़ नहीं हो

जाती।

पिछली ज़कात मालूम न हो तो अन्दाज़े से अदा करना जायज़ है

सवाल: अगर ज़कात वाजिबुल-अदा (देय) थी लेकिन कम-इल्मी की बिना पर अदा न की जा सकी, ज़कात के वाजिबुल-अदा होने की मुद्दत का तो शुमार है जबकि ज़कात की रक़म का ठीक-ठीक हिसाब करना दुश्वार है, क्योंकि उस मुद्दत के सोने का भाव हासिल करना नामुम्किन तो नहीं मगर मुश्किल ज़रूर है, तो फिर ज़कात क्योंकर और किस तरह अदा की जाए? अगर यह मुद्दत 1970 ई. से हो तो?

जवाब: इस सूरत में तख़मीना और अन्दाज़ा ही किया जा सकता है, कि तक़रीबन इतनी रक़म वाजिबुल-अदा होगी, एहतियात के तौर पर अन्दाज़े से कुछ ज़्यादा दें।

ज़कात का साल शुमार करने का उसूल

सवाल: ज़कात कब तक अदा की जाती है, यानी ईद की नमाज़ से पहले या फिर बाद में भी अदा की जा सकती है?

जवाब: जिस तारीख़ को किसी शख्स के पास निसाब के बक़द्र माल आ जाए तो उस तारीख़ से चाँद कि हिसाब से पूरा साल गुज़रने पर जितनी रक़म उसकी मिल्कियत हो उसकी ज़कात वाजिब है, ज़कात में ईद से पहले और बाद का सवाल नहीं।

ज़कात की अदायेगी का वक़्त

सवाल: ज़कात क्या सिर्फ़ रमज़ान के महीने ही में निकालना चाहिए या अगर किसी ज़रूरत-मन्द को हम ज़कात की मुक़र्ररा रक़म शाबान के महीने में देना चाहें तो क्या नहीं दे सकते? यह इसलिए पूछ रही हूँ कि कुछ लोगों को जिनको मैं यह रक़म देती हूँ वे कहते हैं कि रमज़ान में तक़रीबन हर चीज़ महंगी हो जाती है इसलिए अगर रक़म रमज़ान से पहले मिल जाए तो बच्चों वगैरह के लिए चीज़ें आसानी से ख़रीदी जा सकती हैं।

जवाब: ज़कात के लिए कोई महीना मुक़र्रर नहीं, इसलिए शाबान में या किसी और महीने में ज़कात दे सकते हैं और ज़कात का जो महीना मुक़र्रर हो उससे पहले ज़कात देना भी सही है।

सवाल: कारोबारी आदमी ज़कात किस तरह निकाले? फ़र्ज़ कर लिया कि रमज़ान मुबारक 1400 (हिजरी) में हमारे पास एक लाख रुपया है, 2500 रुपया ज़कात दे दी, अब रमज़ान मुबारक 1401 हिजरी आने वाला है, हमारे पास एक लाख बीस हज़ार रुपये हो गए, एक साल में बीस हज़ार रुपया मुनाफ़ा हो गया, तक़रीबन शव्वाल के महीने में पाँच हज़ार, ज़िलहिज्जा में दस हज़ार, इसी तरह हर महीने में नफ़ा हुआ और साल के आख़िर में बीस हज़ार रुपये ख़ालिस नफ़ा हो गया, अब ज़कात कितनी रक़म पर निकालें और किस तरह निकालें? सुना है कि रक़म को एक साल पूरा होना चाहिए।

जवाब: साल के ख़त्म होने पर जितनी रक़म हो उसकी

जकात अदा की जाएगी, चाहे कुछ रकम चन्द रोज पहले ही हासिल हुई हो। अ़वाम का ख़्याल है कि जकात का साल रमज़ान मुबारक ही से शुरू होता है और बाज़ रजब के महीने को “जकात का महीना” समझते हैं हालाँकि यह ख़्याल बिल्कुल ग़लत है।

शरई मसला यह है कि साल के किसी महीने में भी जिस तारीख़ को कोई शख्स निसाब का मालिक हुआ हो एक साल गुज़रने के बाद उसी तारीख़ को उस पर जकात वाजिब हो जाएगी, चाहे मुहर्रम का महीना हो या कोई और, उस शख्स को साल पूरा होने के बाद उस पर जकात अदा करना लाज़िम है। और साल के दौरान जो रकम उसको हासिल हुई साल पूरा होने के बाद जब असल निसाब की जकात फ़र्ज़ होगी उसके साथ ही दौराने साल हासिल होने वाली रकम पर भी जकात फ़र्ज़ होगी।

सवाल: जकात की अदायेगी के लिए साल की एक तारीख़ का निर्धारित करना ज़रूरी है? या उस महीने की किसी तारीख़ को हिसाब कर लेना चाहिए?

जवाब: असल हुकम यह है कि जिस तारीख़ से आप साहिबे निसाब हुए साल के बाद उसी तारीख़ को आप पर जकात फ़र्ज़ होगी, लेकिन जकात पेशगी अदा करना भी जायज़ है और इसमें ताख़ीर की भी गुन्जाईश है, इसलिए कोई तारीख़ मुक़रर कर ली जाए। अगर कुछ आगे पीछे हो जाए तब भी कोई हर्ज नहीं।

सवाल: जकात ईसवी (अंग्रेज़ी) साल पर या सन् हिजरी (इस्लामी) साल पर निकाली जाए?

जवाब: ज़कात में कमरी (चाँद के) साल का एतिबार है, अंग्रेज़ी साल का एतिबार नहीं। हुकूमत ने अगर अंग्रेज़ी साल मुकर्रर कर लिया है तो ग़लत किया है।

साल पूरा होने से पहले

ज़कात अदा करना सही है

सवाल: जनाब हम ज़कात शबे-बराअत या रमज़ान मुबारक में निकालते हैं, शरई नुक्ता-ए-नज़र से मालूम करना है कि मजबूरी के तहत ज़कात वक़्त से पहली निकाली जा सकती है या नहीं?

जवाब: जब आदमी निसाब का मालिक हो जाए ज़कात उसके ज़िम्मे वाजिब हो जाती है, और साल गुज़रने पर उसका अदा करना लाज़िम हो जाता है। अगर साल पूरा होने से पहले ज़कात अदा कर दे या आईन्दा के कई सालों की इकट्टी ज़कात अदा कर दे तब भी जायज़ है।

ज़कात अदा न करने पर साल का शुमार

सवाल: पिछले साल की ज़कात जो कि फ़र्ज़ थी किसी वजह से अदा न की जा सकी, दूसरा साल शुरू हो गया तो नये साल का हिसाब किस तरह किया जाएगा?

जवाब: जिस तारीख़ को पहला साल ख़त्म हुआ उस दिन जितनी मालियत थी उस पर पहले साल की ज़कात फ़र्ज़ होगी, अगले दिन से दूसरा साल शुरू समझा जाएगा।

बीच साल की आमदनी पर ज़कात

सवाल: मैंने दस हज़ार रुपये तिजारत में लगाए और एक साल के बाद सितम्बर में ज़कात की मतलूबा रक़म निकाल दी। ज़कात निकालने के दो महीने बाद नवम्बर में एक प्लाट बेचकर मज़ीद पन्द्रह हज़ार रुपये तिजारत में लगा दिए। अब मैं मजमूई रक़म पच्चीस हज़ार रुपये पर आईन्दा साल किस महीने में ज़कात निकालूँ? या फिर अलग-अलग रक़म पर अलग-अलग महीनों में ज़कात अदा करूँ?

जवाब: ज़कात अंग्रेज़ी महीनों के हिसाब से नहीं निकाली जाती बल्कि इस्लामी चाँद के महीनों के हिसाब से निकाली जाती है। जब पहली रक़म पर साल पूरा हो जाए तो पूरी रक़म जो दरमियान साल में हासिल हुई उसकी ज़कात भी लाज़िम हो जाती है। हर एक के लिए अलग-अलग हिसाब नहीं किया जाता, इसलिए जब आपके साल पूरा होने की तारीख़ आए तो आप पच्चीस हज़ार रुपये और उस पर जो मुनाफ़ा हासिल हुआ उस सब की ज़कात अदा कीजिए।

गुज़रे साल की अदा न की हुई

ज़कात का मसला

सवाल: मेरा मसला यह है कि मैं पाबन्दी से हर साल ज़कात अदा करता हूँ। इस साल भी मेरी नीयत बिल्कुल साफ़ थी कि ज़कात अदा की जाएगी। चूँकि ज़कात देने के लिए सबसे पहली शर्त है कि ज़कात के महीने में हिसाब हर हाल में कर लिया जाए मगर ज़कात के आखिरी दिनों में यानी

महीने के आखिरी दस-पन्द्रह दिनों में एक पुलिस कैंस मुझ पर हो गया, जिसकी भाग-दौड़ की वजह से ज़कात के महीने में हिसाब न कर सका। अब आपसे दरियाफ्त करना है कि अब जबकि ज़कात का महीना ख़त्म हो चुका है, अब हिसाब इन दिनों में करके ज़कात अदा कर सकता हूँ या नहीं? और वह ज़कात काबिले क़बूल होगी या नहीं? मैं चाहता हूँ कि बहरहाल अदा होनी चाहिए। या इसके अलावा अगर दूसरा कोई तरीका क़ुरआन और सुन्नत की रोशनी में हो तो वैसा किया जाए।

जवाब: जब भी मौका मिले हिसाब करके ज़कात अदा कर दीजिए अदा हो जाएगी, और ज़कात का कोई मुकर्रर महीना नहीं होता, बल्कि चाँद के साल के जिस महीने की जिस तारीख़ को आदमी साहिबे निसाब हुआ हो आईन्दा साल उसी तारीख़ को उसका नया साल शुरू होगा, और पिछले साल की ज़कात उसके ज़िम्मे लाज़िम होगी, चाहे कोई सा महीना हो। बाज़ लोग रमज़ान को और बाज़ लोग रजब को ज़कात का महीना समझते हैं, यह ग़लत है।

माल की निकाली हुई ज़कात पर अगर साल

गुज़र गया तो क्या उस पर भी ज़कात आएगी?

सवाल: किसी ने अपने माल की ज़कात निकाली लेकिन उसे किसी मुस्तहिक के हवाले नहीं किया और एक साल पड़ी रही, तो क्या इस रक़म पर भी ज़कात निकाली जाएगी? यानी क्या ज़कात पर ज़कात निकाली जाएगी?

जवाब: ज़कात पर ज़कात नहीं, इस रक़म को तो ज़कात में अदा कर दे, उसके बाद जो रक़म बाकी बचे उसकी ज़कात अदा कर दे।

किस प्लाट पर ज़कात वाजिब है किस पर नहीं

सवाल: अगर ख़ाली प्लाट पड़ा है और वह इस्तेमाल में नहीं है तो ज़कात उस पर लागू होती है या नहीं?

जवाब: अगर प्लाट के ख़रीदने के वक़्त यह नीयत थी कि मुनासिब मौक़े पर इसको फ़रोख़्त कर देंगे तो उसकी क़ीमत पर ज़कात वाजिब है, और अगर ज़ाती इस्तेमाल की नीयत से ख़रीदा था तो ज़कात वाजिब नहीं।

ख़रीदे हुए प्लाट पर ज़कात कब वाजिब होगी

सवाल: अगर एक प्लाट (ज़मीन) लिया गया हो और उसके लिए कुछ इरादा नहीं कि आया उसमें हम रहेंगे या नहीं, तो इस सिलसिले में ज़कात के लिए क्या हुक्म है?

जवाब: प्लाट अगर इस नीयत से लिया गया था कि इसको फ़रोख़्त करेंगे तब तो वह माले तिजारत है और उस पर ज़कात वाजिब होगी, और अगर ज़ाती ज़रूरत के लिए लिया गया था तो उस पर ज़कात नहीं। और अगर ख़रीदते वक़्त तो फ़रोख़्त करने की नीयत नहीं की थी लेकिन बाद में फ़रोख़्त करने का इरादा हो गया तो जब तक उसको फ़रोख़्त न कर दिया जाए उस पर ज़कात वाजिब नहीं।

रिहाईशी मकान के लिए प्लाट पर ज़कात

सवाल: मेरे पास ज़मीन का एक प्लाट 150 गज़ का है

जो कि मुझे चन्द साल पहले वालिदैन (माँ-बाप) ने ख़रीद कर दिया था, उस वक़्त प्लाट 35000 रुपये का लिया था मगर अब जब तक सिर्फ़ कीमते फ़रोख़्त चालीस हज़ार से ज़्यादा नहीं है (जबकि बेचने का इरादा नहीं बल्कि मकान की तामीर का इरादा है) क्या उस प्लाट पर ज़कात वाजिबुल-अदा है? कब से और किस हिसाब से?

जवाब: जो प्लाट रिहाईशी मकान के लिए ख़रीदा गया हो उस पर ज़कात नहीं।

तिजारती प्लाट पर ज़कात

सवाल: अगर मकानात के प्लाटों की ख़रीद व फ़रोख़्त की जाए तो क्या ये माले तिजारत की तरह तसव्वुर होंगे, यानी उनकी मालियत पर ज़कात वाजिब है? या सिर्फ़ नफ़े पर? अगर प्लाट कई साल बाद फ़रोख़्त किया गया हो तो क्या हर साल उसकी ज़कात अदा करनी होगी या एक दफ़ा सिर्फ़ बेचने के साल में?

जवाब: अगर प्लाटों की ख़रीद व फ़रोख़्त का कारोबार किया जाए और फ़रोख़्त करने की नीयत से प्लाट ख़रीदा जाए तो प्लाटों की हैसियत तिजारती माल की होगी, उनकी कुल मालियत पर ज़कात वाजिब होगी।

सवाल: कारोबारी मक़सद के लिए और अपनी रिहाईशी ज़रूरत के अलावा जो ज़मीन और मकानात ख़रीदे और कीमत बढ़ने पर फ़रोख़्त कर दिए इस सिलसिले में ज़कात के क्या अहकाम हैं?

जवाब: जो ज़मीन मकान या प्लाट फ़रोख़्त की नीयत से

खरीदा हो उस पर हर साल जकात वाजिब है, हर साल जितनी उसकी कीमत हो उसका चालीसवाँ हिस्सा निकाल दिया करें।

तिजारत के लिए मकान या प्लाट की

मार्केट कीमत पर जकात है

सवाल: जो मकान या प्लाट अपने पैसे से यह सोचकर खरीदा हो कि बाद में सोचेंगे, अगर रहना हुआ तो खुद रहेंगे वरना बेच देंगे, उन प्लाट और मकान की तादाद अगर कई हो तो आया जकात वाजिब होगी? और अगर हाँ, तो कीमते खरीद पर या मार्केट वैल्यू पर?

जवाब: जो जमीन या प्लाट खरीदा जाए, खरीदते वक्त उसमें तीन किस्म की नीयतें होती हैं- कभी तो यह नीयत होती है कि बाद में इसको फरोख्त कर देंगे। इस सूरत में उसकी कीमत पर हर साल जकात फर्ज होगी, और हर साल मार्केट में जो उसकी कीमत हो उसका एतिबार होगा। जैसे एक प्लाट आपने पचास हजार का खरीदा था, साल के बाद उसकी कीमत सत्तर हजार हो गई तो जकात सत्तर हजार की देनी होगी। और दस साल बाद उसकी कीमत पाँच लाख हो गई तो अब जकात भी पाँच लाख की देनी होगी। गर्ज यह कि हर साल जितनी कीमत मार्केट में हो उसके हिसाब से जकात देनी होगी। और कभी यह नीयत होती है कि यहाँ मकान बनाकर खुद रहेंगे, अगर इस नीयत से प्लाट खरीदा हो तो उस पर जकात नहीं। इसी तरह अगर खरीदते वक्त न तो

फ़रोख़्त करने की नीयत थी और न खुद रहने की, इस सूरात में भी उस पर ज़कात नहीं।

जो मकान किराये पर दिया है उसके किराये पर ज़कात है

सवाल: मेरे पास दो मकान हैं- एक मकान में मैं खुद रहता हूँ और दूसरा किराये पर, तो आया ज़कात मकान की मालियत पर है या उसके किराये पर? अल्लाह तआला आपको अज़े अज़ीम नसीब फ़रमाए।

जवाब: इस सूरात में ज़कात मकान की कीमत पर वाजिब नहीं, अलबत्ता उसके किराये पर जबकि निसाब को पहुँचे तो ज़कात वाजिब होगी।

मकान की ख़रीद पर

ख़र्च होने वाली रक़म पर ज़कात

सवाल: एक महीना पहले मकान का सौदा कर चुके हैं, हमने दो महीने का वक़्त लिया था, जो कि रमज़ान में ख़त्म हो रहा है। बैआना एडवाँस अदा कर चुके हैं। अब ज़कात की अदायेगी किस तरह होगी? क्योंकि रक़म अब हमारी नहीं है मालिके मकान की हो गई, अब हमारा तो सिर्फ़ मकान हो गया, क्या उस रक़म से ज़कात अदा करें जो कि मालिक को देनी है।

जवाब: अगर ज़कात अदा करने से पहले मकान की कीमत अदा कर दी तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है, और

अगर साल खत्म हो गया अब तक मकान के पैसे अदा नहीं किए बल्कि बाद में वक़्ते मुकर्ररा पर अदा करेंगे तो इस सूरत में जकात साक़ित न होगी, उस पर जकात वाजिब है।

हज के लिए रखी हुई रक़म पर जकात

सवाल: एक शख़्स के पास अपनी कमाई की कुछ रक़म थी, उन्होंने हज करने के इरादे से दरख्वास्त दी और रक़म जमा कराई, लेकिन कुर्आ-अन्दाज़ी में उनका नाम नहीं आया और हुकूमते वक़्त की जानिब से उनकी रक़म वापस मिल गई। वह शख़्स फिर आईन्दा साल हज करने का इरादा रखता है और दरख्वास्त भी देने का इरादा है, आप यह बताएँ कि हज करने के लिए जो रक़म रखी गई है उस पर जकात अदा करनी ज़रूरी है या ऐसी रक़म से कोई जकात निकाली नहीं जाएगी, या दूसरी रक़म की तरह इस रक़म पर भी जकात निकाली जाएगी?

जवाब: इस रक़म पर भी जकात है।

चन्दे की जकात

सवाल: हम एक बिरादरी के लोग एक मुश्तरका मक़सद के लिए (यानी खुदा न करे अगर उन्हीं लोगों में से किसी की मौत वाक़े हो जाए तो उसकी लाश को उसके वारिसों के हवाले करने के लिए जो खर्चे वगैरह होते हैं) चन्दा इकट्ठा कर लेते और यह चन्दा किसी का ज़्यादा होता है किसी का कम, लिहाज़ा मसला यह पूछना है कि एक साल इस चन्दे का गुज़र जाए और मजमूई तौर पर निसाबे जकात पर पूरा उतरे तो

क्या ज़कात वाजिबुल-अदा होगी या नहीं? अगर ज़कात वाजिबुल-अदा हो तो उसका अदायेगी का तरीका क्या होगा?

जवाब: जो रक़म किसी नेक काम के चन्दे में दे दी जाए उसकी हैसियत माले वक़फ़ की हो जाती है, और वह चन्दा देने वालों की मिल्क से ख़ारिज हो जाती है, इसलिए उस पर ज़कात नहीं।

ज़ेवरात के अलावा जो चीज़ें इस्तेमाल में हों उन पर ज़कात नहीं

सवाल: एक आदमी के पास कुछ भैंसें हैं, कुछ कशियॉ हैं जिनसे वह मछली का शिकार करता है, और जाल भी है, जाल की कीमत साठ सत्तर हज़ार रुपये है, और तमाम चीज़ों की मालियत तक़रीबन 4 लाख बनती है, उन पर ज़कात देनी होगी या नहीं?

जवाब: ये चीज़ें इस्तेमाल की हैं, इन पर ज़कात नहीं, अलबत्ता ज़ेवरात पर ज़कात है चाहे वह पहने हुए रहते हों।

ज़ेवरात के अलावा

इस्तेमाल की चीज़ों पर ज़कात नहीं

सवाल: ज़कात किन लोगों पर वाजिब है? क्या राहत व आराम की चीज़ों जैसे (रेडियो, टी. वी., फ़्रिज, वाशिंग मशीन, मोटर साईकल) वगैरह पर भी ज़कात देनी है?

जवाब: ज़ेवरात के अलावा इस्तेमाल की चीज़ों पर ज़कात नहीं।

इस्तेमाल के बरतनों पर ज़कात

सवाल: ऐसे बरतन (जैसे देग, बड़े देगचे वगैरह) जो साल में दो-तीन बार इस्तेमाल हों, उनकी भी ज़कात कीमत ख़रीद या मौजूदा पर होगी (ताँबे की) या उस कीमत पर जिस पर कि दुकानदार पुराने (बिना टूटे हुए) बरतन ख़रीद कर अदा करते हैं।

जवाब: ऐसे बरतन जो इस्तेमाल के लिए रखे हों, चाहे उनके इस्तेमाल की नौबत कम ही आती हो, उन पर ज़कात वाजिब नहीं।

दवाओं पर ज़कात

सवाल: दुकान में पड़ी दवाओं पर ज़कात लाज़िम है या सिर्फ़ उसकी आमदनी पर?

जवाब: दवाओं की कीमत पर भी लाज़िम है।

उधार की रक़म की ज़कात

सवाल: मैं एक ऐसा काम करता हूँ कि मेरी मेहनत की काफ़ी रक़म लोगों की तरफ़ वाजिबुल-वुसूल (आनी बाकी) रहती है, और वुसूली भी पाँच-छह महीने बाद होती है, कुछ लोगों से वुसूली की बहुत कम उम्मीद भी होती है, क्या उन आने वाली रक़मों पर ज़कात देनी चाहिए या जब वुसूल हो जाएँ उसके बाद?

जवाब: कारीगर को काम करने के बाद जब उसकी उजरत व मेहनत वुसूल हो जाए तब उसका मालिक होता है, पस अगर आप साहिबे निसाब हैं तो जब आपका ज़कात का

साल पूरा हो उस वक़्त तक जितनी रक़में वुसूल हो जाएँ उनकी ज़कात अदा कर दिया कीजिए और जो आईन्दा साल वुसूल होंगी उनकी ज़कात भी आईन्दा साल दी जाएगी।

शेयरों पर ज़कात

सवाल: मेरे पास एक कम्पनी के सात सौ शेयर हैं, जिनकी असली कीमत दस हज़ार रुपये प्रति शेयर है, जबकि मौजूदा कीमत 30 रुपये प्रति शेयर है, ज़कात कौनसी कीमत पर वाजिब होगी?

जवाब: शेयरों की उस कीमत पर जो ज़कात वाजिब होने के दिन हो।

सवाल: जुमा के प्रकाशन में शेयरों पर ज़कात की अदायेगी के बारे में मसला पढ़ा, लेकिन सवाल यह है कि तमाम लिमिटेड कम्पनियाँ ज़कात व उशर के हुक्म नामे (1980 ई.) के तहत कम्पनी के असासों (सरमाये और मालियत) पर ज़कात काटती करती हैं और यह रक़म उस हुक्म नामे की दफ़ा 7 के मुताबिक़ कायम-शुदा केन्द्रीय ज़कात फ़न्ड को मुन्तक़िल कर दी जाती है, तथा यह अदा शुदा ज़कात शेयर धारकों के शेयरों के अनुपात के हिसाब से उनके हासिल शुदा मुनाफ़े में से काट ली जाती है। पूछना यह है कि एक बार मुश्तरका कारोबार में से ज़कात काटने के बाद भी क्या दोबारा हर हिस्सेदार को अपने उन शेयरों पर व्यक्तिगत तौर पर ज़कात अदा करनी होगी?

जवाब: अगर हिस्सेदारों (शेयर धारकों) के शेयरों से ज़कात वुसूल कर ली गई तो उनको व्यक्तिगत तौर पर अपने

हिस्सों (शेयरों) की ज़कात देने की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता इसमें गुफ्तगू हो सकती है कि हुकूमत जिस अन्दाज़ से ज़कात काट लेती है वह सही है या नहीं? और उससे ज़कात अदा हो जाती है या नहीं? बहुत से उलेमा हुकूमत के काम के तरीके को सही कहते हैं और इससे ज़कात अदा हो जाने का फ़तवा देते हैं, जबकि बहुत से उलेमा की राय इसके खिलाफ़ है, और वे हुकूमत की काटी हुई ज़कात को अदा शुदा नहीं समझते, उन हज़रात के नज़दीक तमाम रक़मों की ज़कात मालिकों को खुद अदा करनी चाहिए जो हुकूमत ने काट ली हो।

ख़रीदे हुए बीज या खाद पर ज़कात नहीं

सवाल: ज़मीन के लिए जिन पैसों से बीज और खाद ख़रीद कर रखा है क्या उन पर भी ज़कात अदा करनी चाहिए?

जवाब: जो खाद और बीज ख़रीदकर रख लिया है, उस पर ज़कात नहीं।

प्राविडेंट फ़न्ड पर ज़कात

सवाल: मैं एक मक़ामी बैंक में मुलाज़िम हूँ जहाँ मेरा फ़न्ड 29 हज़ार रुपये जमा हो गया है और उसमें से मैंने कुल 27 हज़ार रुपये बतौर लोन लिया है, क्या उस पर भी ज़कात देनी होगी? अगर देनी होगी तो कब से और कितनी?

जवाब: प्राविडेंट फ़न्ड (पी. एफ़.) पर ज़कात उस वक़्त वाजिब होती है जब वह वुसूल हो जाए, जब तक वह हुकूमत के खाते में जमा है उस पर ज़कात वाजिब नहीं, इस मसले पर

हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी साहिब का रिसाला मुताले के काबिल है।

कम्पनी में निसाब के बराबर जमा शुदा

रक़म पर ज़कात वाजिब है

सवाल: मैंने पैसे किसी कम्पनी को दिए हैं जो कि मुनाफ़े व नुक़सान की बुनियाद पर हर महीने मुनाफ़ा अदा करती है, जिससे हमारे घर के खर्चे मुश्किल से पूरे होते हैं। मेरी आमदनी कभी इतनी नहीं होती कि बहुत ही ज़रूरी घर के खर्चों के बाद कुछ बचत कर ली जाए क्योंकि हमारे बच्चे बहुत हैं।

अब मालूम यह करना है कि ज़कात किस तरह से अदा हो, अगर माहाना आमदनी से अदा करते हैं तो फ़ाके की सूरत पेश आती है, और अगर असल माल से निकलवाते हैं तो भी आमदनी और कम हो जाती है, और हाथ तो पहले ही तंग रहता है, फिर कर्ज़ उठाने की ज़रूरत पेश आएगी, जिससे हमेशा बचता हूँ और कर्ज़ कभी नहीं लेता, रहनुमाई फ़रमाएँ।

जवाब: जो रक़म आपने कम्पनी में जमा कर रखी है, अगर वह मालियते निसाब (साढ़े बावन तौले चाँदी) के बराबर हो तो उसकी ज़कात आपके ज़िम्मे है, ज़कात अदा करने की जो सूरत भी आप इख़्तियार करें।

बैंक जो ज़कात काटता है उसका

इन्कम टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं

सवाल: एक शख्स के पास घर में 10 हज़ार हैं, बैंक में

भी 10 हज़ार हैं, बैंक की रक़म से हुकूमत ज़कात काटती है और वह शाख़्स इन्कम टैक्स भी अदा करता है, तो क्या वह रक़म जो बैंक में जमा है उस पर ज़कात दोबारा देगा? जबकि इन्कम टैक्स भी हुकूमत को देना है, या सिर्फ़ वह रक़म जो उसके घर में मौजूद है सिर्फ़ उस पर ज़कात अदा करनी होगी?

जवाब: बैंक जो ज़कात काटता है बाज़ उलेमा के नज़दीक ज़कात अदा हो जाती है और हुकूमत को जो इन्कम टैक्स देना है उतनी मिक्दार (मात्रा) को छोड़कर बाकी रक़म की ज़कात अदा कर दी जाए।

कर्ज़दार को दी हुई रक़म पर ज़कात वाजिब है और ज़कात में कीमती कपड़े दे सकते हैं

सवाल: मेरा सवाल यह है कि मैंने घर-खर्च में से बचा-बचाकर 5 हज़ार रुपये जमा किए हैं और उनमें से 600 रुपये तो एक आदमी को कर्ज़ दे दिए, दो साल हो गए उसने आज तक वापस नहीं किए हैं, और न ही अभी वापस करने का कोई इरादा है, बाकी रक़म भी किसी ज़रूरत-मन्द ने माँगी तो मैंने उसे दे दी, उसे भी एक साल हो गया, उसने भी वापस नहीं दी, तो पूछना यह है कि क्या इस रक़म पर भी ज़कात देनी होगी या नहीं? जवाब ज़रूर दें और जो कपड़े मैंने अपने पहनने के लिए बनाए हैं वे कपड़े ज़कात में दे सकते हैं या नहीं?

जवाब: जो रक़म किसी को कर्ज़ दे रखी हो उसकी

ज़कात हर साल अदा करना ज़रूरी है, चाहे रक़म की वापसी से पहले हर साल देते रहें या रक़म वुसूल होने के बाद पिछले तमाम सालों की ज़कात एक-मुश्त अदा करें। कपड़ों की कीमत लगाकर उनको ज़कात में दे सकते हैं, लेकिन ऐसा न हो कि वे कपड़े लायक़े इस्तेमाल न रहने की वजह से आपके दिल से उतर गए हों और आप सोचें कि चलो इनको ज़कात ही मैं दे डालूँगा।

टैक्सी के ज़रिये किराये की कमाई पर ज़कात है, टैक्सी पर नहीं

सवाल: एक शख़्स के पास एक लाख रुपया है, उससे दो एक टैक्सी ख़रीदता है, एक साल बाद चालीस हज़ार रुपया कमाई हो गई, अब ज़कात कितनी रक़म पर दे?

जवाब: अगर गाड़ी फ़रोख़्त की नीयत से नहीं ख़रीदी बल्कि कमाई के लिए ख़रीदी है तो साल के बाद सिर्फ़ चालीस हज़ार रुपये की ज़कात देंगे, गाड़ी कमाने का ज़रिया है उस पर ज़कात नहीं।

और अगर उस शख़्स के पास गाड़ी की कमाई के अलावा कुछ रुपया पैसा या ज़ेवर न हो तो उसकी ज़कात का साल उस दिन से शुरू होगा जिस दिन गाड़ी की कमाई साढ़े बावन तोले चाँदी की मालियत को पहुँच गई थी।

सवाल: एक टैक्सी हमने 48 हज़ार की ली थी, मालिक को किस्तों के ज़रिये हम रुपये दे चुके हैं, फिर यह टैक्सी हमने 55 हज़ार रुपये में फ़रोख़्त कर दी, जिसमें हमने दस

हज़ार रुपये नक़द लिए और डेढ़ हज़ार रुपये किस्त में उनसे ले रहे हैं। तफ़रीबन 32 हज़ार रुपये हम वसूल कर चुके हैं और 13 हज़ार रुपये बाकी हैं, उस पहले वाली टैक्सी को फ़रोख़्त करके वैसी ही दूसरी टैक्सी अठानवे हज़ार पाँच सौ रुपये की उधार ली, तीन हज़ार रुपये किस्त वार देते हैं, डेढ़ हज़ार रुपये पहले वाली टैक्सी के और डेढ़ हज़ार इस नई टैक्सी पर कमाते हैं, और किस्त देते हैं। इस टैक्सी के 70 हज़ार रुपये का हिसाब यानी ज़कात हम किस तरह अदा करें और यह कि कितने रुपये हमें ज़कात के देने होंगे?

जवाब: इन गाड़ियों से जो मुनाफ़ा हासिल हो जाए और निसाब की हद तक पहुँच जाए तो साल गुज़रने के बाद उस पर ज़कात आएगी, सिर्फ़ गाड़ियों पर ज़कात नहीं आएगी, क्योंकि यह नफ़ा और कमाई करने के आलात (सामान और यंत्र) हैं, उन पर ज़कात नहीं आती, लेकिन यह ख़याल रहे कि बाज़ लोग गाड़ी इसी नीयत से ख़रीदते हैं कि जूँही इसके अच्छे दाम मिलेंगे इसको फ़रोख़्त कर देंगे, और यह उनका गोया बाकायदा कारोबार है, ऐसी गाड़ी दर हकीकत माले तिजारत है और उसकी कीमत पर ज़कात वाजिब है।

ज़कात अदा करने का तरीक़ा

एकमुश्त किसी एक को ज़कात

निसाब के बराबर देना

सवाल: एक मसला आपसे मालूम करना चाहता हूँ। वह यह कि मैं ज़कात किसी एक को दे देता हूँ और उसकी रक़म तक़रीबन हज़ारों रुपये होती है, यह मैं इस वजह से करता हूँ कि किसी मुस्तहिक़् का कोई काम पूरा हो जाए। क्या ऐसी सूरत में यह ज़कात देना जायज़ है?

जवाब: ज़कात अदा हो जाती है मगर किसी को एकमुश्त इतनी ज़कात दे देना कि वह साहिबे निसाब हो जाए, मक्रूह है।

बग़ैर बताये ज़कात देना

सवाल: समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़कात लेना शर्म का सबब समझते हैं, अगरचे यह नज़रिया ग़लत है। तो क्या ऐसे लोगों को बग़ैर बताये इस मद में से किसी दूसरे तरीक़े से अदा की जा सकती है, जैसे उनके बच्चों के कपड़े बनवा दिए जाएँ, उनके बच्चों की तालीम में इमदाद की जाए, इस सूरत में जबकि ज़कात देने वाले पर और रक़म मुम्किन न हो।

जवाब: ज़कात देते वक़्त यह बताना ज़रूरी नहीं कि यह ज़कात है। हदिये या तोहफ़े के नाम से अदा की जाए और

अदा करते वक़्त नीयत ज़कात की कर ली जाए तो ज़कात अदा हो जाएगी।

सवाल: किसी दोस्त अहबाब की हम ज़कात की रक़म से मदद करें और उसको एहसास हो जाने की वजह से हम बताएँ नहीं, तो क्या ज़कात अदा हो जाएगी?

जवाब: मुस्तहिक़ को यह बताना ज़रूरी नहीं कि यह ज़कात है, उसे किसी भी उनवान से ज़कात दे दी जाए और नीयत ज़कात की कर ली जाए तो ज़कात अदा हो जाएगी।

ज़कात अदा करने की एक सूरत

सवाल: अगर ज़कात के रुपये हमारे पास घर पर रखे हैं, घर के बाहर अगर कोई ज़रूरत-मन्द मिल जाए हम जेब के पैसों में से कुछ दे दें और उतने पैसे हम घर आकर ज़कात के पैसों में से ले लें तो ज़कात अदा हो जाएगी या नहीं?

जवाब: अदा हो जाएगी।

माल वाले के हुक्म के बग़ैर वकील ज़कात

अदा नहीं कर सकता

सवाल: एक साहिबे ज़कात ने अपनी ज़कात के पैसे का किसी को वकील नहीं बनाया और दूसरा कोई माल वाले की इजाज़त के बग़ैर अदा कर दे तो अदा होगी या नहीं?

जवाब: अगर दूसरा आदमी माल वाले के हुक्म या इजाज़त से उसकी तरफ़ से ज़कात अदा कर दे तो ज़कात अदा हो जाएगी, वरना नहीं।

ज़कात की पब्लिसिटी

सवाल: अख़बार जंग में एक फ़ोटो शायद हुआ है कि बेवाओं में मशीनें तक़सीम कर रहे हैं, ज़कात कमेटी के चेयरमैन हैं, क्या शरीअत इसकी इजाज़त देती है कि इस तरह ज़कात की तशहीर (पब्लिसिटी) की जाए?

जवाब: फ़ोटो छापना तो आजकल नुमाईश और रियाकरी का पसन्दीदा मशग़ला है, जिन बेवाओं को सिलाई मशीनें तक़सीम की गईं अगर वे ज़कात की मुस्तहिक् थीं तो ज़कात अदा हो गई, वरना नहीं। ज़कात की तशहीर (पब्लिसिटी करना) इस नीयत से तो दुरुस्त है कि उससे ज़कात देने वालों को तरगीब (तवज्जोह और शौक) हो और रियाकारी और नमूद व नुमाईश की गर्ज़ से ज़कात की तशहीर जायज़ नहीं, बल्कि उससे सवाब बातिल हो जाता है।

थोड़ी-थोड़ी ज़कात देना

सवाल: अगर कोई औरत अपनी रक़म या सोना जो उसके पास है, उस पर सालाना ज़कात न निकालती हो बल्कि हर महीने कुछ न कुछ किसी ज़रूरत-मन्द को दे देती हो, कभी नक़द रक़म कभी अनाज वगैरह और वह उसका हिसाब भी अपने पास न रखती हो, तो ऐसा करना ज़कात देने में शुमार होगा या नहीं?

जवाब: ज़कात की नीयत से जो कुछ देती है उतनी ज़कात अदा हो जाएगी, लेकिन यह कैसे मालूम होगा कि उसकी ज़कात पूरी हो गई या नहीं, इसलिए हिसाब करके

जितनी ज़कात निकलती हो वह अदा करनी चाहिए। अलबत्ता यह इख़्तियार है कि इकट्ठी दे दी जाए या थोड़ी-थोड़ी करके साल भर में अदा कर दी जाए। मगर हिसाब रखना चाहिए। और यह भी याद रखना चाहिए कि ज़कात अदा करते वक़्त ज़कात की नीयत करना ज़रूरी है, जो चीज़ ज़कात की नीयत से न दी जाए उससे ज़कात अदा नहीं होगी, अलबत्ता अगर ज़कात की नीयत करके कुछ रक़म अलग रख ली और फिर उसमें से वक़्त-वक़्त पर देती रहे तो ज़कात अदा हो जाएगी।

सवाल: अगर कोई शख्स यह चाहे कि साल के आख़िर में ज़कात अदा करने के बजाये हर महीने कुछ रक़म ज़कात के तौर पर निकालता रहे तो यह अमल दुरुस्त है या नहीं? एक साहिब का कहना है कि इस तरह ज़कात अदा नहीं होगी, इस तरह सदका निकालना चाहिए।

जवाब: हर महीने थोड़ी-थोड़ी ज़कात निकालते रहना दुरुस्त है।

सवाल: अर्ज़ है कि मेरा बड़ा कारोबार है, लेकिन मैं जो सालाना ज़कात हिसाब करके आहिस्ता-आहिस्ता विभिन्न मदरसों या ग़रीबों में तक़रीबन आठ नौ महीनों में ज़कात अदा कर देता हूँ। मैंने सुना है कि ज़कात रमज़ान के महीने में पूरी की पूरी अदा कर देनी चाहिए। बराहे मेहरबानी कुरआन व सुन्नत की रोशनी में मुकम्मल बताएँ कि ज़कात की रक़म किस महीने में या फिर आहिस्ता-आहिस्ता दे दें तो कोई हर्ज़ तो नहीं? तफ़सील के साथ लिखें।

जवाब: आप जब से साहिबे निसाब हुए उस तारीख़ (चाँद की तारीख़ मुराद है) के आने पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती

है चाहे रमज़ान हो या मुहर्रम, बेहतर तो यही है कि हिसाब करके ज़कात की रक़म अलग कर ली जाए, लेकिन अगर थोड़ी-थोड़ी करके साल भर में अदा की जाए तब भी ज़कात अदा हो जाएगी, और जब साल शुरू हो उसी वक़्त से थोड़ी-थोड़ी ज़कात पेशगी अदा करते रहें तो यह भी दुरुस्त है, ताकि साल के ख़त्म होने पर ज़कात भी अदा हो जाए।

बहरहाल जितनी मिक़दार ज़कात की वाजिब हो उसका अदा हो जाना ज़रूरी है।

सवाल: अगर कोई ज़कात हर महीने किस्तों में अदा करना चाहता है तो दो सूरतें हो सकती हैं- फ़र्ज़ करें वह पिछली ज़कात अदा कर चुका है, अब उस पर ज़कात वाजिब नहीं।

(1) पहली सूरत में वह एक साल गुज़रने के बाद हिसाब लगाए कि उस पर कितनी ज़कात फ़र्ज़ हुई है और उस रक़म को महीनेवार किस्तों में अदा करना शुरू कर दे, लेकिन अगर इस दौरान वह मर गया तो ज़कात का बोझ उस पर रह जाएगा।

(2) दूसरी सूरत में वह हिसाब लगाए कि साल के आख़िर तक उस पर कितनी ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी और किस्तवार अदा करना शुरू कर दे, जो कमी-बेशी हो वह आख़िरी महीने में बराबर करे, ऐसी सूरत में जब वह मरेगा तो उस पर ज़कात का बोझ नहीं होगा, लेकिन क्या इस तरह ज़कात अदा हो जाएगी?

जवाब: पेशगी ज़कात देना सही है, इसलिए उसकी ज़कात अदा हो जाएगी।

सवाल: मैंने रमज़ान के महीने में जितनी ज़कात निकाली थी वह रक़म अलग करके रख दी, अब एक दो घरों को जिनको मैं ज़कात देना चाहता हूँ उनको हर महीने उसमें से निकाल कर दे देता हूँ क्योंकि अगर एक साथ दे दिए जाएँ तो ये लोग खर्च कर देते हैं और फिर परेशान रहते हैं। आप शर्ई मुक्ता-ए-नज़र से बता दीजिए कि मेरा यह फ़ेल दुरुस्त है या नहीं? इस सिलसिले में एडवांस ज़कात देने के मुताल्लिक़ भी बता दें तो इनायत होगी।

जवाब: आपका यह फ़ेल दुरुस्त है कि ज़कात की रक़म निकाल कर अलग रखे और मौक़े के मुताबिक़ निकालता रहे, और जो शख़्स साहिब निसाब हो अगर वह साल गुज़रने से पहले ज़कात अदा कर दे या कई साल की पेशगी ज़कात अदा कर दे तो यह भी जायज़ है।

प्रस्तावित पेशगी ज़कात की रक़म से कर्ज़ देना

सवाल: मैं हर महीने ज़कात के रुपये निकालती हूँ और रमज़ान शरीफ़ में दे देती हूँ। अगर कोई अ़म दिनों में मुझसे यह रुपये कर्ज़ माँगे तो क्या मैं दे सकती हूँ?

जवाब: जब तक वह रक़म आपके पास है आपकी मिल्लियत है, आप उसका जो चाहें कर सकती हैं।

गुज़रे सालों की ज़कात

सवाल: एक शख़्स पर ज़कात वाजिब है लेकिन वह ज़कात अदा नहीं करता, कुछ अ़से के वह खुदा के हुज़ूर तौबा इस्तिग़फ़ार करता है और आईन्दा ज़कात अदा करने का

अपने खुदा से वादा करता है, पिछली ज़कात के बारे में उस पर क्या हुक्म है? क्या वह पिछली ज़कात भी अदा करे? मसलन् दस साल तक ज़कात अदा नहीं की जबकि उसके पास ज़ाती मकान भी नहीं और तन्ख्वाह भी सिर्फ़ गुज़ारे की हो, ऐसे शख्स के लिए ज़कात के बारे में क्या हुक्म है?

जवाब: नमाज़, ज़कात, रोज़ा सब का एक ही हुक्म है। अगर कोई शख्स ग़फ़लत और कोताही की वजह से इन फ़राईज़ को छोड़ता रहा तो सिर्फ़ तौबा इस्तिग़फ़ार से ये फ़राईज़ माफ़ नहीं होंगे, बल्कि हिसाब करके जितने सालों की नमाज़ें उसके जिम्मे हैं उनको थोड़ी-थोड़ी करके अदा करना शुरू कर दे। जैसे हर नमाज़ के साथ एक क़ज़ा नमाज़ अदा कर लिया करे, बल्कि नफ़लों की जगह भी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ा करे, यहाँ तक कि गुज़रे सालों की सारी नमाज़ें पूरी हो जाएँगी। इसी तरह ज़कात का हिसाब करके वक़्त-वक़्त पर अदा करता रहे यहाँ तक कि गुज़िश्ता सालों की ज़कात पूरी हो जाए। इसी तरह रोज़े का हुक्म समझ लिया जाए। गर्ज़ यह कि इन क़ज़ा हुए फ़राईज़ का अदा करना भी ऐसा ही ज़रूरी है जैसा कि अदा फ़राईज़ का।

गुज़रे सालों की ज़कात कैसे अदा करें

सवाल: मेरी शादी तेरह साल पहले हुई थी, उस पर मैंने अपनी बीवी को छह तोले सोना और बीस तोले चाँदी तोहफ़े के तौर पर दी थी-

- (1) इस मालियत पर कितनी ज़कात हो गई।
- (2) दो साल बाद उस मालियत में सोना एक तोला कम

हो गया, यानी बाद में 5 तोले सोना और 20 तोले चाँदी रह गई है, उसको तकरीबन 11 साल हो गए हैं, जिसकी कोई जकात नहीं दी गई, अब उसकी कितनी जकात दें, हिसाब करके बताएँ। अगर सोना दें तो कितना देना है।

सवाल: मेरी बहन के पास 9 तोले सोना है और 20 तोले चाँदी है, और यह सत्रह साल से है, आप बताएँ उसको अब कितनी जकात देनी है?

जवाब: दोनों मसलों का एक ही जवाब है, आपकी बीवी और आपकी बहन की मिलिकियत में जिस तारीख को सोना और चाँदी आए हर साल चाँद के उस महीने की तारीख को उन पर जकात फर्ज होती रही, जो उन्होंने अदा नहीं की, इसलिए तमाम गुजरे सालों की जकात अदा करना उनके जिम्मे लाज़िम है।

गुज़िश्ता (पिछले) सालों की जकात अदा करने का तरीका यह है कि पहले साल सोने और चाँदी की जो मिकदार थी उसका चालीसवाँ हिस्सा जकात में दिया जाए। फिर दूसरे साल उस चालीसवें हिस्से की मिकदार निकाल करके बाकी बचे का चालीसवाँ हिस्सा निकाला जाए। इसी तरह सत्रह साल का हिसाब लगाया जाए और उन बाकी तमाम सालों की जकात का मजमूआ जितनी मिकदार सोने और चाँदी की बने वह जकात में अदा कर दी जाए।

आपकी बहन के पास सत्रह साल पहले 9 तोले सोना और 20 तोले चाँदी थी, मैंने सत्रह साल की जकात का हिसाब लगाया तो सोने की जकात की मजमूई मिकदार 36.7 ग्राम बनी, और चाँदी की जकात की मजमूई मिकदार (मात्रा)

81.601 ग्राम बनी, लिहाज़ा 9 तोले सोने और 20 तोले चाँदी की ज़कात में उपर्युक्त मिक्दार का अदा करना आपकी बहन के जिम्मे लाज़िम है, और आपकी बीवी के जिम्मे ग्यारह साल की ज़कात में 14.795 ग्राम सोना और 25.509 ग्राम चाँदी का अदा करना लाज़िम है।

दुकान की ज़कात किस तरह अदा की जाए

सवाल: मैं एक दुकान का मालिक हूँ जो कि आज से तक्रीबन चार साल पहले 20 हज़ार रुपये में ख़रीदी थी और तक्रीबन एक साल पहले मैंने उसमें 50 हज़ार रुपये का सामान ख़रीद कर भरा था, जिसमें से तक्रीबन 20 हज़ार रुपये का सामान क़र्ज़ लिया था, जो अब मैंने अदा कर दिया है। उस दुकान से मुझको जो आमदनी होती है मैं वह पूरी दुकान ही में लगा देता हूँ, मार्केट के हिसाब से मेरी दुकान की कीमत एक लाख रुपये से ज़्यादा है, और उसमें जो सामान है उसकी कीमत भी 60 या 65 हज़ार रुपये बनती है, रमज़ान का महीना आने वाला है, आपसे सवाल यह है कि मैं उस पर ज़कात किस हिसाब से अदा करूँ? दुकान की आमदनी से मैं कुछ खर्च नहीं करता।

जवाब: दुकान में जितनी मालियत का सामान है उसकी कीमत लगाकर आपके जिम्मे अगर कुछ क़र्ज़ हो उसको निकाल दिया करें और बाकी जितनी रक़म बचे उसका चालीवाँ हिस्सा ज़कात में अदा कर दिया करें, दुकान की इमारत, बारदाने और फ़र्नीचर वगैरह पर ज़कात नहीं, सिर्फ़ बेचे जाने वाले माल पर ज़कात है।

इस्तेमाल शुदा चीज़ जकात के तौर पर देना

सवाल: एक शख्स एक चीज़ छह महीने तक इस्तेमाल करता है, छह महीने इस्तेमाल के बाद वही चीज़ अपने दिल में जकात की नीयत करके आधी कीमत पर बगैर बताए मुस्तहिक को दे देता है, तो जकात अदा हो जाएगी या नहीं?

जवाब: अगर बाज़र में फरोख्त की जाए और उतनी कीमत मिल जाए तो जकात अदा हो जाएगी।

न बिकने वाली चीज़ जकात में देना

सवाल: एक दुकानदार से एक चीज़ नहीं बिकती, वह चीज़ जकात में दी जा सकती है या नहीं? और कबूल होगी भी या नहीं?

जवाब: रद्दी चीज़ जकात में देना इख्लास के खिलाफ़ है, लेकिन उस चीज़ की जितनी मालियत बाज़ार में हो उसके देने से उतनी जकात अदा हो जाएगी।

सामान और चीज़ों की शक्ल में

जकात की अदायेगी

सवाल: क्या जकात की रक़म मुस्तहिक लोगों को सामान और चीज़ों की शक्ल में भी दी जा सकती है?

जवाब: दी जा सकती है, लेकिन उसमें यह एहतियात मलहूज़ रहे कि रद्दी किस्म की चीज़ें जकात में न दी जाएँ।

ज़कात की रक़म से

मुस्तहिक़ लोगों के लिए कारोबार करना

सवाल: ज़कात की इमदाद की तफ़्सीम के बारे में एक नज़रिया यह सामने आया है कि यह रक़म मुस्तहिक़ लोगों को देने के बजाये उससे मुस्तहिक़ लोगों के हक़ में किसी जिम्मेदार फ़र्द की निगरानी में उद्योग की किस्म का कोई कारोबार कर दिया जाए ताकि उससे मुनाफ़ा हासिल हो और ग़रीबों को रोज़गार भी मुहैया करके मुस्तहिक़ लोगों को जल्दी या देर से उन्हें साहिबे निसाब लोगों के बराबर ला खड़ा किया जाए, जबकि मैंने एक दीनी और दुनियावी उलूम दोनों में काफ़ी महारत और मालूमात रखने वाले एक कोने में बैठे बुजुर्ग से यह सुना है कि ज़कात की रक़म देने वाले अफ़राद से मुस्तहिक़ लोगों को डायरेक्ट मिलनी चाहिए, किसी तीसरे फ़र्द को उन दोनों के दरमियान न तो रोक होने की इजाज़त है और न उस रक़म को मुस्तहिक़ आदमी के पास पहुँचने से पहले उससे किसी किस्म का फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करने का इख़्तियार है, चाहे वह मुस्तहिक़ लोगों के हक़ में ही क्यों न हो। इन दोनों नज़रियों (धारणाओं और सोच) के सही या ग़लत होने के बारे में ज़रूरी वज़ाहत फ़रमाएँ।

जवाब: उस बुजुर्ग की यह बात सही है कि ज़कात की रक़म का जब तक किसी फ़कीर मोहताज को मालिक नहीं बना दिया जाएगा ज़कात अदा नहीं होगी, उस रक़म का मालिक बना देने के बाद अगर उनकी इजाज़त और वकील

बनाने से ऐसा कोई इन्तिज़ाम किया जाए जो आपने लिखा है तो दुरुस्त है।

ज़कात की रक़म से

ग़रीबों के लिए कारख़ाना लगाना

सवाल: क्या ज़कात की रक़म से मिल और औद्योगिक कारख़ाने लगाए जा सकते हैं ताकि ग़रीबों व नादार और ज़कात के मुस्तहक़ लोगों की बेहतरीन और मुस्तक़िल तौर पर मदद की जा सके।

जवाब: ज़कात की अदायेगी के लिए फ़कीर को मालिक बनाना शर्त है, औद्योगिक कारख़ाना लगाने से ज़कात अदा नहीं होगी, हाँ! अगर कारख़ाना लगाकर एक फ़कीर को या चन्द ग़रीबों को आप उसका मालिक बना देते हैं, जितनी मालियत का वह कारख़ाना है, उतनी मालियत की ज़कात अदा हो जाएगी।

क़र्ज़ दी हुई रक़म में ज़कात की नीयत करने

से ज़कात अदा नहीं होती

सवाल: हमने किसी ग़रीब और परेशान-हाल व ज़रूरत-मन्द की माली मदद की, उसने उधार रक़म माँगी थी उसकी ख़स्ता हालत के पेशे नज़र हमने माली मदद की, अब वह मुक़र्रर मियाद में क़र्ज़ ली हुई रक़म को आज तक वापस नहीं कर सका, न ही सूरत दिखाई देती। अब क्या हम क़र्ज़ दी हुई रक़म को उसके लिये ज़कात की नीयत करके छोड़ दें

तो ज़कात अदा हो जाएगी? जबकि हमने उसे रक़म उधार दी थी तो ज़कात की नीयत नहीं की थी, न ही यह ख़याल था कि वह रक़म हमको वापस नहीं करेगा, और हज़म कर जाएगा।

जवाब: जो सूरत आपने लिखी है उससे ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि ज़कात अदा करते वक़्त नीयत करना शर्त है।

कर्ज़ दी हुई रक़म पर ज़कात सालाना दें

चाहे कर्ज़ की वुसूली पर एकमुश्त

सवाल: मैंने कुछ रक़म एक दोस्त को कर्ज़ के तौर पर दी हुई है, क्या मैं उस पर हर साल ज़कात दूँ या जब वह वुसूल हो जाए तब दूँ? वाज़ेह रहे कि रक़म को दिए हुए कई साल हो गए हैं और अब उस दोस्त का कारोबार अच्छा चल रहा है, मेरे दो चार दफ़ा माँगने पर भी उसने रक़म वापस नहीं की, टाल देता है कि अभी नहीं है। एक बिल फंसा हुआ है, जब मिल गया तो फ़ौरन अदा कर दूँगा।

जवाब: इस कर्ज़ की रक़म पर ज़कात तो आपके ज़िम्मे हर साल वाज़िब है, अलबत्ता यह आपको इख़्तियार है कि साल के साल अदा कर दिया करें या जब वह कर्ज़ वुसूल हो तो गुज़िश्ता (पीछे गुज़रे) तमाम सालों की ज़कात वक़्त पर अदा करें।

मक्ख़ज़ आदमी सोने की ज़कात

किस तरह अदा करे

सवाल: मेरे पास ज़ेवर 9 तोले है, उसकी ज़कात के

मुताल्लिक पूछना चाहता हूँ। जकात कितने तोले पर लागू होती है, और कितने तोले के बाद जकात देनी पड़ती है? फर्ज करो कि 5 तोले पर जकात है तो मुझे बकाया 4 तोले की जकात देनी पड़ेगी या टोटल 9 तोले की देनी होगी? मैं सरकारी इदारे में मुलाजिम हूँ और मुझे काफी कर्जा भी देना है, इस सूरत में जकात का तरीका क्या है? जबकि मेरी तन्ख्याह भी ज्यादा नहीं है, मुश्किल से गुज़ारा होता है।

जवाब: आपके जिम्मे जो कर्जा है उसको निकालने बाद अगर आपके पास साढ़े सात तोले सोना बाकी रह जाता है तो आप पर उस बाकी बचे की जकात वाजिब है।

जकात से मुलाजिम को तन्ख्याह देना जायज़ नहीं, इमदाद के लिए जकात देना जायज़ है

सवाल: मेरे यहाँ एक मुलाजिम (नौकर) है, जिसने तन्ख्याह में इजाफ़े का मुतालबा किया तो मैंने जकात की नीयत से इजाफ़ा कर दिया। अब वह यह समझता है कि तन्ख्याह में इजाफ़ा हुआ, उसी के बदले मैं काम कर रहा हूँ। क्या इस तरह दी हुई मेरी जकात अदा हुई या नहीं?

जवाब: मुलाजिम की तन्ख्याह तो उसके काम का मुआवज़ा (बदला) है, और जब आपने तन्ख्याह बढ़ाने के नाम पर इजाफ़ा किया तो वह भी काम के मुआवज़े में हुआ, इसलिए उससे जकात अदा नहीं हुई। जो तन्ख्याह उसके साथ तय हो वह अदा करने के अलावा अगर उसको ज़रूरत-मन्द और मोहताज समझ कर जकात दे दी जाए तो जकात अदा हो जाएगी।

मुलाज़िम को एडवांस दी हुई रक़म की

ज़कात की नीयत दुरुस्त नहीं

सवाल: मैंने अपने मुलाज़िम को कुछ रक़म बतौर एडवांस वापसी की शर्त पर दी, लेकिन मैं देखता हूँ कि यह रक़म अदा नहीं कर सकेगा, अगर मैं ज़कात की नीयत कर लूँ तो क्या अदा हो जाएगी?

जवाब: ज़कात की नीयत देते वक़्त करनी ज़रूरी है, बाद में की हुई नीयत काफ़ी नहीं, इसलिए आप रक़म को ज़कात की मद में दाख़िल नहीं कर सकते, हाँ यह कर सकते हैं कि ज़कात की नीयत से उसको उतनी रक़म देकर फिर चाहे उसी वक़्त अपना कर्ज़ वुसूल करें।

आईन्दा के मज़दूरी के खर्चे ज़कात से

निकालना दुरुस्त नहीं

सवाल: एक शख्स मकान बनवा रहा है, मज़दूर काम कर रहे हैं, उस दौरान ज़कात देने का वक़्त आता है, क्या वह उन मज़दूरों की उजरत अलग रखकर ज़कात निकालेगा, यानी अगर फ़र्ज़ किया 50 हज़ार में मकान बनने का अन्दाज़ा है तो 50 हज़ार अलग रहने दे और उसकी ज़कात न निकाले? क्योंकि मैंने पढ़ा है कि अगर नौकर हैं किसी के तो वह उनकी तन्ख़्वाह उन्हें देकर फिर ज़कात दे।

जवाब: जितना खर्च मकान पर उठ चुका है और उसके ज़िम्मे मज़दूरी वाजिबुल-अदा हो गई है, उसको ज़कात से

अलग कर सकता है, लेकिन आगे जो खर्चे होंगे या मजदूरी वाजिब होगी उसको निकालना दुरुस्त नहीं।

जकात की रकम से मस्जिद का जनरेटर

खरीदना जायज नहीं

सवाल: एक आदमी अपनी जकात की रकम से मस्जिद का जनरेटर खरीद सकता है या नहीं?

जवाब: जकात की रकम से मस्जिद का जनरेटर नहीं खरीदा जा सकता, अलबत्ता यह हो सकता है कि कोई गरीब आदमी कर्ज लेकर जनरेटर खरीद कर मस्जिद को दे दे और जकात की रकम उसको कर्जा अदा करने के लिए दे दी जाए।

पैसे न हों तो ज़ेवर बेचकर जकात अदा करे

सवाल: जकात देना सिर्फ़ बीवी पर फर्ज है, वह तो कमाकर नहीं लाती, फिर वह किस तरह जकात दे? जबकि शौहर उसको सिर्फ़ उतनी ही रकम देता है जो घर की ज़रूरतों के लिए होती है।

जवाब: अगर पैसे न हों तो ज़ेवर बेच करके जकात दिया करे, या ज़ेवर ही का चालीसवाँ हिस्सा देना मुम्किन हो तो वह दे दिया करे।

सवाल: ज़ेद की बीवी के पास सोने के ज़ेवरात हैं जिनका वज़न नहीं कराया है, क्या उसकी जकात बीवी को देनी है या शौहर को? जबकि तमाम ज़रूरतें शौहर खुद पूरी करता है और बीवी को बहुत कम रकम जेब खर्च के लिए देता है।

कई बार शौहर के पास साल के आख़िर में इतने पैसे नहीं होते कि ज़कात अदा की जाए। शौहर की आमदनी स्कूल के उसताद की तन्ख्याह और ट्यूशन वगैरह पर है, शौहर की कुछ रक़म नफ़ा व नुक़सान के कारोबार में लगी हुई है, जिस पर ज़कात दे दी जाती है, क्या फिर भी सोने के ज़ेवरात पर ज़कात देनी होगी?

जवाब: सोने का निसाब साढ़े सात तोले है, अगर ज़ैद की बीवी के पास इतना सोना है जिसकी वह खुद मालिक है तो ज़कात उस पर फ़र्ज़ है, अगर पैसे न हों तो ज़ेवरात फ़रोख़्त करके ज़कात दी जाए।

बीवी खुद ज़कात अदा करे चाहे ज़ेवर बेचना पड़े

सवाल: मेरे तमाम ज़ेवरात की संख्या तक़रीबन आठ तोले सोना है, लेकिन उसके अलावा मेरे पास न तो कुरबानी के लिए और न ही ज़कात के लिए कुछ रक़म है, लिहाज़ा मैंने एक सेट अपनी बच्ची के नाम रख छोड़ा है, वह अब इस्तेमाल में भी नहीं, और शौहर ज़कात देने पर राज़ी नहीं, कहता है तुम्हारा ज़ेवर है तुम जानो, मगर उसमें मेरी सिर्फ़ इतनी मिल्लियत है कि पहन सकूँ। तब्दील या फ़रोख़्त भी नहीं कर सकती। अब बच्ची वाले ज़ेवर की ज़कात कौन देगा? भाई के दिए हुए ढाई हज़ार रुपये पर ज़कात निकाल देती हूँ।

जवाब: जो ज़ेवर आपने बच्ची की मिल्ल कर दिया है वह जब तक नाबालिग़ है उस पर ज़कात नहीं, लेकिन उसकी मिल्लियत कर देने के बाद आपके लिए उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं, बाकी ज़ेवर अगर नक़दी मिलाकर ज़कात की हद

तक पहुँचता है तो उस पर जकात फ़र्ज़ है। अगर नक़द रुपया न हो तो ज़ेवर फ़रोख़्त करके जकात देना ज़रूरी है। अगर शौहर आपके कहने पर आपकी तरफ़ से जकात अदा कर दिया करे तो जकात अदा हो जाएगी मगर उसके ज़िम्मे फ़र्ज़ नहीं, फ़र्ज़ आपके ज़िम्मे है।

जकात अदा करने की गुन्जाईश न हो तो इतना ज़ेवर ही न रखा जाए जिस पर जकात फ़र्ज़ हो, यह जवाब तो उस सूरत में है कि ज़ेवर आपकी मिल्कियत हो, लेकिन आपने जो लिखा है कि “उसमें मेरी सिर्फ़ इतनी मिल्कियत है कि पहन सकूँ, तब्दील या फ़रोख़्त भी नहीं कर सकती” इस जुमले से मालूम होता है कि ज़ेवर दर असल शौहर की मिल्कियत है और आपको सिर्फ़ पहनने के लिए दिया गया है, अगर यही मतलब है तो उस ज़ेवर की जकात आपके शौहर पर फ़र्ज़ है, आप पर नहीं।

ग़रीब माँ निसाब भर सोने की जकात

ज़ेवर बेचकर दे

सवाल: वालिदा साहिबा के पास क़ाबिले जकात ज़ेवर है, उनकी अपनी कोई आमदनी नहीं बल्कि औलाद पर गुज़ारा है, इस सूरत में जकात उनके ज़ेवर पर वाजिब है या नहीं?

जवाब: जकात वाजिब है, बशर्तेकि यह ज़ेवर निसाब की मालियत को पहुँचता हो, ज़ेवर बेचकर जकात दी जाए।

शौहर के मरने पर जकात किस तरह अदा करें

सवाल: हमारी एक अज़ीज़ा (रिश्तेदार) हैं, उनके शौहर

मर गए हैं और उन पर बारह हजार का कर्ज़ा है, जबकि उनके पास थोड़ा बहुत सोना है, आप से यह पूछना है कि क्या उनको ज़कात देनी चाहिए? अगर देनी है तो कितनी?

जवाब: शौहर का छोड़ा हुआ तर्का सिर्फ़ बीवी का नहीं बल्कि सब से पहले उसके शौहर का कर्ज़ा अदा किया जाए, फिर उसे शरई हिस्सों पर तक्सीम किया जाए और फिर उन वारिसों में से जो बालिग़ हों उनका हिस्सा निसाब को पहुँचता हो तो उस पर ज़कात होगी।

अगर नक़दी न हो तो पिछले और आने वाले

सालों की ज़कात में ज़ेवर दे सकते हैं

सवाल: अगर कोई लड़की दहेज में अपने आप इतना ज़ेवर लाए जिसकी ज़कात की रक़म अच्छी खासी बनती हो और शौहर की आमदनी से साल में इतनी रक़म न बचती हो सकती हो तो बताया जाए ज़कात किस तरह अदा की जाए?

जवाब: उन ज़ेवरात का कुछ हिस्सा फ़रोख़्त कर दिया जाए या कई साल की ज़कात में दे दिया जाए। यानी उसकी कीमत लगाई जाए और ज़ेवरात की ज़कात जितने साल की उसके बराबर हो उतने साल की नीयत करके वह ज़ेवर ज़कात में दे दिया जाए।

दुकान में मौजूद माले तिजारत पर ज़कात

और अदायेगी का तरीका

सवाल: मैं किताबों और स्टेशनरी की दुकान करता हूँ।

सामान की मालियत तक़रीबन बारह से पन्द्रह हज़ार तक होगी, दुकान किराये की है, आया यह दुकान का सामान ज़कात की अदायेगी के काबिल है या नहीं? यानी क्या इस माले तिजारत पर ज़कात फ़र्ज़ है?

जवाब: दुकान का जो भी माल फ़रोख्त किया जाता है, अगर उसकी मालियत साढ़े बावन तोले चाँदी की मालियत को पहुँचती हो तो उस माल पर ज़कात फ़र्ज़ होगी।

सवाल: अगर उस माल पर ज़कात फ़र्ज़ है तो चूँक स्टेशनरी का सामान बहुत सारी चीज़ों पर मुश्तमिल है और मैं रोज़ाना ख़रीदारी और फ़रोख्त भी करता हूँ इसलिए उसका हिसाब किताब नामुम्किन सा हो जाता है, तो क्या अन्दाजे से उसकी कीमत लगाकर ज़कात अदा कर सकता हूँ?

जवाब: रोज़ाना का हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं, साल में एक तारीख़ मुक़र्रर कर लीजिए- जैसे पहली रमज़ान को पूरी दुकान के काबिले फ़रोख्त सामान का जायज़ा लेकर उसकी मालियत का हिसाब (निर्धारण) कर लिया जाए और उसके मुताबिक़ ज़कात अदा कर दी जाए। जिस तारीख़ को आपने दुकान शुरू की थी, हर साल उस तारीख़ को हिसाब कर लिया कीजिए।

इन्कम टैक्स अदा करने से

ज़कात अदा नहीं होती

सवाल: एक शख्स साहिबे निसाब है, अगर वह शरह (हिसाब) के मुताबिक़ अपनी जायदाद, रक़म वगैरह से ज़कात

अदा करता है, तो क्या शर्ई तौर पर वह हुकूमत के बनाये हुए इन्कम टैक्स सिस्टम अदा करने से बरी हो जाता है? अगर वह सिर्फ़ इन्कम टैक्स अदा करता है और ज़कात नहीं देता तो उसके लिए क्या हुक्म है? तथा मौजूदा व्यवस्था में वह क्या तरीका इस्त्रियार करे?

जवाब: इन्कम टैक्स मुल्की ज़रूरतों के लिए हुकूमत की तरफ़ से मुकर्रर है, जबकि ज़कात एक मुसलमान के लिए फ़रीज़ा-ए-खुदावन्दी और इबादत है, इन्कम टैक्स अदा करने से ज़कात अदा नहीं होती, बल्कि ज़कात का अलग अदा करना फ़र्ज़ है।

मालिक बनाए बग़ैर फ़्लेट रहने के लिए देने से ज़कात अदा नहीं होगी

सवाल: पूछना यह है कि ज़कात की मद से तामीर किए गए फ़्लेट निम्नलिखित शर्तों पर ज़कात के मुस्तहिक़ लोगों को दिए गए हैं, तो ज़कात देने वालों की ज़कात अदा हो जाती है या नहीं?

शर्तें: 1: यह फ़्लेट कम से कम पाँच साल तक आप किसी के हाथ बेच नहीं सकेंगे (ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद नहीं)।

2: संबन्धित फ़्लेट आपको अपने इस्तेमाल के लिए दिया जा रहा है, इसमें आप किरायेदार नहीं रखेंगे, पगड़ी पर नहीं दे सकेंगे और किसी दूसरे शख्स को इस्तेमाल के लिए भी नहीं दे सकेंगे।

3: आपने फ्लेट अगर किसी को पगड़ी पर दिया या किरायेदार रखा तो उसकी इत्तिला जमाअत को मिलने पर आपके फ्लेट का हक मन्सूख कर दिया जाएगा।

4: फ्लेट के रख-रखाव और मरम्मत की रकम जो जमाअत मुकरर करे वह हर महीने अदा करके उससे रसीद हासिल करनी पड़ेगी।

5: फ्लेट के बदले में किसी दूसरे कब्जेदार से कोई और मकान बदली नहीं किया जा सकेगा।

6: इस इमारत की छत जमाअत के कब्जे में रहेगी।

7 : मुस्तकबिल (भविष्य) में फ्लेट बेचने या छोड़ने की सूरत में जमाअत से “नो ऑब्जेकशन सर्टिफिकेट” हासिल करने के बाद मज्जीद कार्रवाई हो सकेगी।

8: ऊपर बयान की गई शर्तों के अलावा जमाअत की जानिब से अमल में आने वाले नये अहकामात और शर्तों को मानकर उन पर भी अमल करना होगा।

इन बयान की गई शर्तों और पाबन्दियों की खिलाफवर्जी करने वाले मिम्बर से जमाअत फ्लेट खाली करा सकेगी और फ्लेट में रहने वाले को उस पर अमल करना और कानूनी हक छोड़ना होगा।

(उपर्युक्त इकरार नामे की तमाम शर्तों और हिदायतों को पढ़कर समझ कर मन्जूर करता और राजी खुशी से इस पर अपने दस्तखत कर देता हूँ)।

मेहरबानी करके जवाब बजरिये अखबार जंग इनायत फरमाएँ ताकि सब जमाअतों को पता चल जाए। क्योंकि यह सिलसिला सिन्ध, हैदराबाद और कराची की मैमन बिरादरी में

आम चल पड़ा है, और इसमें करोड़ों रुपये ज़कात की मद में लोगों से वसूल करके लगाए जा रहे हैं।

जवाब: ज़कात तब अदा होती है जब मोहताज (ग़रीब और ज़कात के मुस्तहिक) को माले ज़कात का मालिक बना दिया जाए और ज़कात देने वाले का उससे कोई ताल्लुक और वास्ता न रहे। आपके ज़िक्र किये हुए शराईत-नामे में जो शर्तें ज़िक्र की गई हैं वह अरियत (यानी किसी को कोई चीज़ मांगे के तौर पर देने) की हैं, तम्लीक (मालिक बनाने) की नहीं। लिहाज़ा इन शराईत के साथ अगर किसी को ज़कात की रक़म से फ़्लेट बनाकर दिया गया तो ज़कात अदा नहीं होगी, ज़कात के अदा होने की सूरत यही है कि जिनको ये फ़्लेट दिए जाएँ उनको मालिक बना दिया जाए और मिल्कियत के कागज़ात समेत उनको मालिकाना हुक्क दे दिए जाएँ कि ये लोग उन फ़्लेटों में जैसे चाहें मालिकाना तसरुफ़ (अमल-दख़ल) करें और जमाअत की तरफ़ से उन पर कोई पाबन्दी न हो। अगर उनको मालिकाना हुक्क न दिए गए तो ज़कात देने वालों की ज़कात अदा नहीं होगी, और उन पर लाज़िम होगा कि अपनी ज़कात दोबारा अदा करें।

किन लोगों को ज़कात दे सकते हैं (ज़कात अदा करने के मसाले)

ज़कात के मुस्तहिक लोग

सवाल: किन-किन लोगों को ज़कात देना जायज़ है और किन-किन को नाजायज़?

जवाब: अपने माँ बाप और अपनी औलाद को ज़कात देना जायज़ नहीं, इसी तरह शौहर बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते हैं। जो लोग खुद साहिबे निसाब हों उनको ज़कात देना जायज़ नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के खानदान (हाशमी हज़रात) को ज़कात देने का हुक्म नहीं, बल्कि अगर वे ज़रूरत-मन्द हों तो उनकी मदद ग़ैर-ज़कात से लाज़िम है। अपने भाई बहन चचा भतीजे मामूँ भाँजे को ज़कात देना जायज़ है, मज़ीद तफ़्सील खुद पूछिये या किसी किताब में पढ़ लीजिए।

ज़कात किसे दी जाये

सवाल: ज़कात की तक़सीम किन-किन कौमों पर हराम है, जबकि हमारे इलाक़े तहसील पिलन्दरी बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर में सय्यद, मलिक, आवान और लोहार, तरखान, कुरैशी वग़ैरह इनके लिए ज़कात हराम करार देकर बन्द कर दी गई। अलबत्ता सैयद हज़रात के लिए ज़कात लेना जायज़

नहीं, दीगर दो कौमें जिनमें कुरैशी कहलाने वाले तरखान लोहार और आवान मलिक शामिल हैं, ज़कात के हक़दार हैं या नहीं, बराहे करम इसकी भी वज़ाहत करें कि सैयद घराने के अलावा हाज़त-मन्द लोग जैसे यतीम बेवा माज़ूर ज़कात लेने के हक़दार हैं या नहीं?

जवाब: ज़कात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ख़ानदान के लिए हलाल नहीं और नबी पाक के ख़ानदान से मुराद हैं आले अली, आले अकील, आले जाफ़र, आले अब्बास और आले हारिस बिन अब्दुल-मुत्तलिब। पस जो शख्स इन पाँच बुजुर्गों की नस्त से हो उसको ज़कात नहीं दी जा सकती, अगर वे ग़रीब और ज़रूरत-मन्द हों तो दूसरे फ़न्ड से उनकी ख़िदमत करनी चाहिए।

सैयद और हाशमियों की मदद ज़कात के अलावा दूसरी रक़म से की जाए

सवाल: इस्लाम बराबरी और अदल व हिक्मत का दीन है, इस्लाम ग़ैर-मुस्लिमों से जिज़्या (इस्लामी हुकूमत में रहने वाले ग़ैर-मुस्लिमों से उनकी हिफ़ाज़त के बदले टैक्स) वुसूल करता है, तो उन्हें अपने ज़ेरे साया सुरक्षा फ़राहम करता है। इस्लाम ज़कात देने का हुक्म देता है और हुक्म देता है कि उसे उम्मत (हाशमी हज़रात के अलावा) के ग़रीबों मिस्कीनों यतीमों और बेवाओं पर खर्च किया जाए। यह इस्लाम का एक हुक्म है जिस पर अमल करना वाजिब है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि हमारा मज़हब हाशमी उम्मत के ग़रीबों, बेवाओं, यतीमों, नादारों, मिस्कीनों और मोहताजों ग़रीब तालिब-इल्मों

के लिए क्या माली सुरक्षा फ़राहम करता है?

जवाब: हाशमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का ख़ानदान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने लिए और अपने मुताल्लिकीन के लिए ज़कात को ममनूअ (वर्जित) करार दिया है। ये हज़रात अगर ज़रूरत-मन्द हों तो ज़कात के अलावा दूसरे फ़न्ड से उनकी ख़िदमत करनी चाहिये और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़राबत (रिश्ते) का लिहाज़ रखते हुए उनकी ख़िदमत करना बड़े अज़्र का मूजिब (सबब) है।

सैयद हज़रात को ज़कात क्यों नहीं दी जाती?

सवाल: मौलाना साहिब! मैंने अक्सर किताबों में पढ़ा है और सुना भी है कि सादात (सैयद लोगों) को ज़कात नहीं देनी चाहिए, ऐसा क्यों है?

जवाब: ज़कात लोगों के माल का मैल है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आल (औलाद) को इससे मुलव्वस करना मुनासिब न था, वे अगर ज़रूरत-मन्द हों तो पाक माल से उनकी मदद की जाए। साथ ही अगर आपकी आल को ज़कात देने का हुक्म होता तो एक नावाकिफ़ को वस्वसा (ख़्याल और गुमान) हो सकता था कि यह ख़ूबसूरत निज़ाम अपनी औलाद ही के लिए तो (खुदा की पनाह) जारी नहीं फ़रमा गए? तथा इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है और वह यह कि अगर आपकी आल को ज़कात देना जायज़ होता तो लोग आपसे रिश्तेदारी की बिना पर उन्हीं को तरजीह देते, ग़ैर-सैयद को ज़कात देने पर उनका दिल मुत्मईन न

होता, इससे दूसरे फ़ुक़रा और ग़रीबों को शिकायत पैदा होती।

सैयदों को ज़कात क्यों न दी जाये

सवाल: सुन्नी फ़िक़े में सैयदों पर ज़कात ख़ैरात और सदक़े के इस्तेमाल की मनाही है। सवाल यह है कि क्या इस फ़िक़े में ग़रीब सैयद नहीं होते? और अगर होते हैं तो उनकी हाज़त पूरी करने के लिए फ़िक़ा सुन्नी में कौनसा तरीका है? और इस सिलसिले में हुकूमते पाकिस्तान के ज़कात और उश्र में कोई गुन्जाईश है या नहीं?

जवाब: यह मसला सुन्नी फ़िक़े का नहीं बल्कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद फ़रमाया हुआ है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आपकी आल के लिए ज़कात और सदक़ा हलाल नहीं, क्योंकि यह लोगों के माल का मैल-कुचैल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को और आपकी आल को अल्लाह तआला ने इस मैल-कुचैल से पाक रखा है, सैयद अगर ग़रीब हों तो उनकी ख़िदमत में इज़्ज़त व एहतिराम से हदिया पेश करना चाहिए। हुकूमत को भी चाहिए कि सैयदों की कफ़ालत (परवरिश और ज़रूरतें पूरी करना) सदक़ाती फ़न्ड के अलावा दूसरे फ़न्डों से करे।

सैयद की बीवी को ज़कात

सवाल: हमारे एक अज़ीज़ जो कि सैयद हैं, जिस्मानी तौर पर बिल्कुल माज़ूर होने के सबब कमाने के काबिल नहीं हैं, उनके घर का ख़र्चा उनकी बीवी जो कि ग़ैर-सैयद हैं बच्चों को

द्यूशन पढ़ाकर और कुछ करीबी अजीजों की मदद से चलाती हैं। सवाल यह है कि चूँकि उनकी बीवी गैर-सैयद हैं और घर की कफ़ील हैं तो बावजूद उसके शौहर और बच्चे सैयद हैं, उनको जकात दी जा सकती है या नहीं?

जवाब: बीवी अगर गैर-सैयद है और वह जकात की मुस्तहिक है तो उसको जकात दे सकते हैं, उस जकात की मालिक होने के बाद वह अगर चाहे तो अपने शौहर और बच्चों पर खर्च कर सकती है।

सादात लड़की की औलाद को जकात

सवाल: आबिदा की शादी हामिद के साथ हुई थी, जिस से उसके दो बच्चे हैं। कुछ अर्सा के बाद हामिद ने आबिदा को तलाक़ दे दी, बच्चे आबिदा के पास हैं जो मेहनत करके उनकी परवरिश करती है। हामिद बच्चों की परवरिश के लिए उसको कुछ नहीं देता, आबिदा खानदाने सादात से ताल्लुक रखती है और उसके ये बच्चे सिद्दीकी हैं, आबिदा के अजीज, रिश्तेदार, बहन भाई या माँ बाप उन बच्चों की परवरिश वगैरह के लिए जकात का रुपया आबिदा को दे सकते हैं या नहीं? कि वह सिर्फ बच्चों के खर्च में लाए। क्योंकि आबिदा के लिए तो जकात लेना जायज़ नहीं है, शरई एतिबार से इस मसले पर रोशनी डालें।

जवाब: ये बच्चे सैयद नहीं बल्कि सिद्दीकी हैं, इसलिए इन बच्चों को जकात देना सही है और आबिदा अपने इन बच्चों के लिए जकात वुसूल कर सकती है, अपने लिए नहीं।

ज़कात का सही मसुरफ़

सवाल: क्या ज़कात और उश्र की रक़म को मुल्की रक्षा पर या इन्डस्ट्री लगाने पर खर्च किया जा सकता है या नहीं? आज तक हम लोग यही सुनते आए हैं कि ज़कात व उश्र की रक़मों को इन चीज़ों पर नहीं खर्च किया जा सकता, लेकिन मियाँ.... साहिब के एक अख़बारी बयान ने हमें हैरान ही नहीं बल्कि परेशान भी कर दिया।

मियाँ साहिब फ़रमाते हैं:

“शरई नुक्ता-ए-निगाह से हुकूमत ज़कात व उश्र की रक़मों को मुल्की रक्षा पर खर्च करने का हक़ रखती है, ज़कात व उश्र के मसारिफ़ के मुताल्लिक़ जंग अख़बार के रिपोर्टर के सवाल पर उन्होंने कहा कि मज़हबी नुक्ता-ए-नज़र से मुल्की रक्षा की ज़रूरत पूरी करने के लिए अगर वसाईल (संसाधन) मौजूद न हों या कम हों तो फिर इस मक़सद के लिए ज़कात व उश्र को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह तब्लीगे दीन और दीन के प्रचार व प्रसार के लिए ज़कात व उश्र को भरपूर तरीक़े से इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि इस सिलसिले में ‘फ़ी सबीलिल्लाह’ (अल्लाह के रास्ते) की मद मौजूद है।”

उन्होंने कहा कि ज़कात की रक़मों से मुल्क में इन्डस्ट्री भी लगाई जा सकती है, जिसमें ग़रीबों, यतीमों और मुस्ताहिक़ लोगों को नौकरियाँ मिलनी चाहिए। लेकिन उस इन्डस्ट्री की स्थापना के साथ एक शर्त भी ज़रूरी है और वह यह कि खाते-पीते अफ़राद को उसमें नौकरी न दी जाए। (दैनिक जंग

कराची, 10 दिसम्बर 1984 ई.)

क्या मियाँ साहिब का यह नुक्ता-ए-नज़र कुरआन व सुन्नत और फ़िका हनफ़ी के मुताबिक़ है? दलाईल से इसकी वज़ाहत फ़रमाएँ।

जवाब: ज़कात फ़ुकरा व मसाकीन के लिए है, कुरआन करीम ने “फ़ी सबीलिल्लाह” की जो मद ज़िक्र की है उसमें फ़क़ (गुर्बत व तंगदस्ती) बतौर शर्त बयान की गयी है, यानी जो मुजाहिद नादार हो उसको उसकी ज़रूरतें ज़कात की मद में से ख़ी जा सकती हैं, जिनका वह मालिक हो जाए। आम तरीक़े से मुल्की रक्षा, तालीम, सेहत और आम जनता के फ़ायदों की मदों पर ज़कात का पैसा खर्च करना सही नहीं, जो लोग इस किस्म के फ़तवे सादिर करते हैं उनके मुताबिक़ ज़कात और टैक्स में कोई फ़र्क नहीं रह जाता।

ज़कात लेने वाले के ज़ाहिर का एतिबार होगा

सवाल: रिश्तेदारों, अहबाब और करीबी लोगों में जो बज़ाहिर ज़कात के मुस्तहिक़ नज़र आते हैं, यह किस तरह तस्दीक़ की जाए कि ये साहिबे निसाब हैं या नहीं?

जवाब: ज़ाहिर का एतिबार है, पस अगर ज़ाहिरे हाल के मुताबिक़ दिल मानता है कि यह मुस्तहिक़ होगा तो उसको दे दी जाए।

मामूली आमदनी वाले रिश्तेदार को ज़कात देना जायज़ है

सवाल: मेरी एक करीबी अज़ीज़ा (रिश्तेदार) हैं, उनके

शौहर एक मामूली हैसियत से काम कर रहे हैं, आमदनी इतनी नहीं कि घर के खर्चे अच्छी तरह चल सकें, रिहाईशी मकान भी किराये का है, मालूम यह करना है कि इन हालात में ज़कात व सदक़े की रक़म उन्हें दे सकते हैं या नहीं?

जवाब: अगर वे ज़कात के मुस्तहिक़ हैं तो ज़कात की मद से उनकी मदद करनी चाहिए।

भाई को ज़कात देना

सवाल: उलेमा-ए-दीन इस मसले के बारे में क्या फ़रमाते हैं कि अगर अपना हकीकी (सगा) भाई माज़ूर और बीमार हो और आमदनी का ज़रिया भी न हो तो क्या दूसरा भाई उसको ज़कात दे सकता है?

जवाब: बहन, भाई और चचा मामूँ को ज़कात देना जायज़ है।

भाई और वालिद को ज़कात देना

सवाल: अगर कोई शख़्स हिसाब किताब में अपने वालिद और भाईयों से अलग हो और साहिबे हैसियत भी हो, अब अगर यह बेटा वालिद साहिब को ज़कात इस तरह देना चाहे कि अपने ग़रीब मुस्तहिक़ भाई को दे दे और भाई से कह दे कि यह रक़म आप और वालिद दोनों इस्तेमाल में लाएँ। या भाई से कह दे कि यह रक़म क़बूल करके वालिद को देना, जबकि वालिद मुस्तहिक़ भी हो, क्या यह सही है या ऐसी कोई सूरत है कि यह रक़म वालिद को दे दी जाए और ज़कात अदा हो जाए?

जवाब: भाई को ज़कात देना सही है, मगर उससे यह फ़रमाईश करना कि वह फ़ुलॉ शख़्स (जैसे वालिद साहिब) पर खर्च करे, ग़लत है। जब उसने भाई को ज़कात दे दी तो वह उसकी मिल्कियत हो गई है, अब वह उसका जो चाहे करे। और अगर भाई को ज़कात देना मक़सूद नहीं, बल्कि वालिद को देना मक़सूद है और भाई महज़ वकील है तो भाई को देने से ज़कात अदा नहीं होगी।

ग़रीब बहन भाईयों को ज़कात देना

सवाल: मेरे वालिद साहिब मुद्दत डेढ़ साल पहले इन्तिक़ाल कर चुके हैं और मैं घर में बड़ा हूँ और शादी शुदा हूँ। फ़िलहाल सारे घर की कफ़ालत (देखभाल) भी खुद कर रहा हूँ। घर के अफ़राद कुछ यूँ हैं- एक वालिदा साहिबा, एक बहन साहिबा और तीन अदद छोटे भाई हैं, जिनमें एक रोज़गार से लगा है, और दो अभी पढ़ रहे हैं। मेरे ज़िम्मे ज़कात भी वाजिब है, क्या मैं वह ज़कात अपने भाईयों को दे सकता हूँ और बहन साहिबा को? क्योंकि उनका कोई रोज़गार का ज़रिया नहीं है। रहा मसला वालिदा साहिबा वाला तो वह मेरा फ़र्ज़ है और सब ज़िम्मेदारी मैं क़बूल करूँगा।

जवाब: ज़कात बहन भाई को देना जायज़ है।

चचा को ज़कात

सवाल: हमारे वालिद साहिब का इन्तिक़ाल हो गया है, और हम सात भाई बहनें हैं, वालिदा है अल्लाह तआला के फ़ज़ल से ज़कात हम पर फ़र्ज़ है और हम ज़कात निकालना चाहते हैं। क्या ज़कात की कुछ रक़म अपने चचा को दे दें?

चचा के माली हालात सही नहीं हैं। हम ज़कात चचा को दे सकते हैं या नहीं, और हम यह भी चाहते हैं कि ज़कात का चचा को इल्म भी न हो।

जवाब: चचा को ज़कात देना जायज़ है और जिसको ज़कात दी जाए उसको यह बताना ज़रूरी नहीं कि यह ज़कात की रक़म है, सिर्फ़ ज़कात की नीयत कर लेना काफी है।

भतीजे या बेटे को ज़कात देना

सवाल: मेरे पास मेरी यतीम भतीजी रहती है, क्या मैं ज़कात की रक़म उस पर खर्च कर सकती हूँ। दूसरा सवाल यह है कि मैं अपने बेटे को भी ज़कात दे सकती हूँ या नहीं? वह मामूली मुलाज़िम है।

जवाब: बेटा बेटी, पोता पोती और नवासी नवासे को ज़कात देना जायज़ नहीं, भतीजा भतीजी को देना दुरुस्त है।

बीवी का शौहर को ज़कात देना जायज़ नहीं

सवाल: (1) आम तौर पर बीवी की पूरी ज़िम्मेदारी और खर्चा शौहर के ज़िम्मे है। अगर बद-नसीबी से शौहर ग़रीब हो जाए और बीवी मालदार हो तो शरई तौर पर शौहर के बीवी पर क्या हुक्क़ आयद होते हैं?

(2) उक्त शौहर को बीवी से ज़कात लेकर खाना क्या दुरुस्त है?

जवाब: (1) औरत पर शौहर के लिए जो हुक्क़ हैं वे शौहर की गुर्बत और मालदारी दोनों में बराबर हैं। शौहर के ग़रीब होने पर बीवी पर शरअन् यह हक़ है कि शौहर की गुर्बत के पेशे नज़र सिर्फ़ इस कद्र रोटी-कपड़े और खर्चे का

मुतालबा करे जिसको शौहर बरदाश्त कर सके, अलबत्ता अख़्लाकी तौर पर बीवी को चाहिए कि वह अपने माल से शौहर की इमदाद करे या अपने माल से शौहर को कोई कारोबार वगैरह करने की इजाज़त दे।

(2) चूँकि शौहर और बीवी के फ़ायदे आदतनु मुशतरक और एक दूसरे से जुड़े हैं और वे दोनों एक दूसरे की चीज़ों से उमूमन फ़ायदा उठाते हैं इसलिए शौहर और बीवी का आपस में एक दूसरे को ज़कात देना जायज़ नहीं।

मालदार बीवी के ग़रीब शौहर को

ज़कात देना सही है

सवाल: एक शख्स की बीवी के पास चार हज़ार रुपये का सोना और चाँदी है, जबकि मकरूज़ उससे जायद है (याद रहे सोना चाँदी उसकी बीवी की मिल्कियत हैं) और उसके वालिदैन ने उसे घर से हिस्सा देने से इनकार कर दिया है। तसल्ली-बख़्श जवाब इनायत फ़रमाएँ कि यह शख्स ज़कात ले सकता है या नहीं? कर्ज़दार खुद यह शख्स है, माल इसकी बीवी के पास है।

जवाब: यह शख्स दूसरों से ज़कात ले सकता है, मगर उसकी बीवी उसको ज़कात नहीं दे सकती। बहरहाल शौहर अगर ग़रीब है तो वह ज़कात का मुस्तहिक है, बीवी के मालदार होने की वजह से वह मालदार नहीं कहलायेगा।

शादीशुदा औरत को ज़कात देना

सवाल: एक औरत जिसका शौहर जिन्दा है, लेकिन वे

लोग मेहनत-मज़दूरी करते हैं, क्या उनको ख़ैरात सदका या ज़कात देना जायज़ है?

जवाब: अगर वे ग़रीब और मुस्तहिक़ हैं तो जायज़ है।

मालदार औलाद वाली बेवा को ज़कात

सवाल: एक औरत जो कि बेवा है, लेकिन उसके चार पाँच लड़के रोज़गार पर हैं, अच्छी खासी आमदनी होती है, अगर वे लड़के माँ की बिल्कुल माली मदद नहीं करते तो क्या उस औरत को ज़कात देना जायज़ है? अगर मान लीजिये औलाद थोड़ी बहुत इमदाद देती है जो उसके लिए नाकाफी है तब उसे ज़कात देना जायज़ है या नहीं?

जवाब: उस औरत के ख़र्चे उसके बेटों के जिम्मे हैं, लेकिन अगर वह नादार है और लड़के उसकी माली मदद इतनी नहीं करते जो उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए काफी हो तो उसको ज़कात देना जायज़ है।

ज़कात की मुस्तहिक़

सवाल: मेरी बेवा भावज हैं, उनके पास तक्रीबन 15 तोले सोने का ज़ेवर है, जबकि उनकी कोई आमदनी नहीं है, न कोई मकान है न कोई आमदनी का ज़रिया है, उनको क्या ज़कात दी जा सकती है? यह वाज़ेह रहे कि यह ज़ेवर उनके पास है, वह उनके शौहर और उनके वालिदैन (माँ-बाप) ने दिया था, हमारे साथ ही रहती हैं। उनका एक बेटा है जो अभी पढ़ रहा है और कर्माने के काबिल नहीं है।

जवाब: आपकी भावज के पास अगर 15 तोले सोना

उनकी मिल्कियत में हैं तो उनको जकात देना जायज़ नहीं, बल्कि खुद उन पर जकात फर्ज़ है। हाँ उनके बेटे के पास अगर कुछ नहीं तो उसको जकात दे सकते हैं।

बेवा और बच्चों को तर्का मिलने पर जकात

सवाल: एक बेवा औरत है जिसकी औलाद में तीन बेटे हैं, उसे अपने शौहर के तर्के (छोड़े हुए माल) में तकरीबन चालीस हजार रुपये मिले। उसने वह रक़म बैंक में फ़िक्सड डिपॉज़िट रखवा दी और उस पर जो सूद या मुनाफ़ा जो भी मिलता है उससे उसका गुज़ारा होता है, क्या उसके ऊपर जकात वाजिब है? (याद रहे कि इसके अलावा उनका कोई आमदनी का ज़रिया नहीं)

जवाब: उस रक़म को शरई हिस्सों पर तक़सीम किया जाए। हर एक के हिस्से में जो रक़म आए अगर वह निसाब (साढ़े बावन तोले चाँदी की मालियत) को पहुँचती हो तो उस पर जकात फर्ज़ है, नाबालिग बच्चों के हिस्से पर नहीं।

सवाल: जब हुकूमते पाकिस्तान ने जकात के बारे में हुक्म-नामा लागू किया और जकात काट ली, उसके बाद आला अफ़सरान से रूजू किया गया तो जवाब में उन्होंने मौहल्ला-कमेटी को जकात फ़न्ड से जकात वज़ीफ़ा देने के लिए कहा। क्या वह जकात लेने की हक़दार है? जबकि वह अपनी आमदनी से गुज़ारा कर रही है, और जकात लेना नहीं चाहती।

जवाब: साहिबे निसाब (यानी शरीअत के हिसाब से मालदार आदमी) जकात नहीं ले सकता।

ज़रूरत-मन्द लेकिन साहिबे निसाब बेवा की ज़कात से इमदाद कैसे?

सवाल: एक ज़रूरत मन्द औरत जो अब बेवा हैं, उनके शौहर का एक हफ़्ता पहले इन्तिक़ाल हो गया, उन ख़ातून का कोई गुज़ारे का ज़रिया नहीं, मरहूम की एक बच्ची की उम्र 9 साल है, किराये के मकान में रहती हैं, मासिक किराया 500 रुपये है, उन बेवा ख़ातून के पास एक सेट सोने का शादी के वक़्त का है, वज़न तकरीबन दस तोले है, बेवा उसको बेटी के लिए मख़्सूस करना चाहती हैं, यानी उस ज़ेवर की मिल्कियत 9 साल की बच्ची के नाम करना चाहती हैं, इन हालात में क्या उक्त बेवा को शर्ई तौर पर ज़कात की मुस्तहिक़ करार दे सकते हैं? यानी उनकी ज़रूरत ज़कात के मासिक वज़ीफ़े की शक़्ल में पूरी की जा सकती है या नहीं?

जवाब: अगर सोने का सेट अपनी लड़की के नाम हिबा कर दिया तो उक्त बेवा ज़कात की मुस्तहिक़ है और उसकी इमदाद ज़कात से की जा सकती है।

परेशान-हाल बेवा को ज़कात देना

सवाल: हमारे मौहल्ले में एक बेवा औरत रहती है, उसकी एक नौजवान बेटी है जो कि स्थानीय कालिज में पढ़ती है, उस बेवा औरत का एक भाई है जो अनाज की दलाली करता है और महीने के दो हज़ार रुपये कमाता है, लेकिन अपनी बेवा बहन और माँ को कुछ भी नहीं देता। उस बेवा औरत की माँ बिल्कुल ज़र्ईफ़ और बीमार है, उन सब का ख़र्च

भतीजा उठाता है। उस भतीजे की भी शादी हो गई है, और उसकी एक बच्ची भी है, अब वह भातीजा यह कहता है कि मैं सब का खर्च नहीं उठा सकता, अब वह बेवा औरत बिल्कुल अकेली हो गई है, और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं। तो क्या इस सूरतेहाल में उसका जकात लेना जायज है? और क्या हम सब बिरादरी वाले मिलकर बेवा औरत के भाई को रुपये न देने पर उससे जबरदस्ती कर सकते हैं?

जवाब: भाई की अगर गुंजाईश है तो उसे चाहिए कि अपनी बहन के खर्चे बरदाश्त करे, अगर वह नहीं करता या गुंजाईश नहीं रखता और उस बेवा के पास भी निसाब की मिकदार में सोना चाँदी या रुपया पैसा नहीं है, तो ज़ाहिर है कि वह नादार भी है और बेसहारा भी, इस सूरत में उसको जकात व सदके देना ज़रूरी है।

रोज़गार पर लगी बेवा को जकात देना

सवाल: हमारे इलाके में एक बेवा औरत है जो हुकूमते पाकिस्तान के शिक्षा विभाग में मुलाज़िम है। तन्ख्वाह माहाना पाँच सौ रुपये है, उनका एक जवान लड़का भी सरकारी मुलाज़िम है, दोनों एक साथ हुकूमत के दिये हुए सरकारी कुवार्टर में रहते हैं। हमारे इलाके की जकात कमेटी ने उस बेवा औरत के लिए जकात फ़न्ड से पचास रुपये माहाना वज़ीफ़ा मुकर्रर किया है, और हर महीने अदा किया जाता है। क्या बेवा होने की वजह से जबकि सरकारी मुलाज़िमा हो, वह जकात की मुस्तहिक है?

जवाब: अगर वह मकरूज़ (कर्जदार) नहीं, रोज़गार पर है

तो उसको ज़कात नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर वह साहिबे निसाब नहीं तो उसको देने से ज़कात अदा हो जाएगी।

शौहर के भाईयों और भतीजों को ज़कात देना

सवाल: मेरे शौहर के चार भाई और एक बहन है, जो पहले शौहर से तलाक़ लेने के बाद दूसरी जगह शादी कर चुकी है, मगर पहले शौहर से तीन बच्चे हैं जो मेरे दूसरे देवर के यहाँ रहते हैं, और तालीम हासिल कर रहे हैं। इतनी महंगाई में जहाँ घर का खर्चा पूरा नहीं होता वहाँ उनको खर्चा देना भी एक मसला है, इसके अलावा मेरे बड़े देवर का इन्तिक़ाल हो चुका है और उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं। मालूम यह करना है कि क्या हम उन बच्चों की तालीम या शादी-ब्याह पर ज़कात की मद में खर्च कर सकते हैं? और हमारी ज़कात अदा हो जाएगी? लेकिन उन बच्चों को इल्म न हो कि यह ज़कात है।

जवाब: आप अपने शौहर के भांजों और भतीजों को ज़कात दे सकती हैं। आपके शौहर भी दे सकते हैं। ज़कात की अदायेगी के लिए उनको बताना ज़रूरी नहीं कि यह ज़कात की रक़म है, खुद नीयत कर लेना काफी है। उनको चाहे हदिये-तोहफ़े के नाम से दी जाए तब भी ज़कात अदा हो जाएगी।

गैर-मुस्तहिक़ को ज़कात की अदायेगी

सवाल: सदक़ा ख़ैरात या ज़कात किसी शख़्स को मुस्तहिक़ समझ कर दी जाए और हकीक़त में वह मुस्तहिक़ न

हो बल्कि अपने आपको मिस्कीन ज़ाहिर करता हो, जैसे आजकल के अक्सर भिखारी, तो सद्का ख़ैरात या ज़कात देने वाला सवाब पायेगा या नहीं?

जवाब: ज़कात अदा करते वक़्त अगर गुमाने ग़ालिब था कि यह शख्स ज़कात का मुस्तहिक़ है तो ज़कात अदा हो गई, मगर भीख माँगने वालों को नहीं देना चाहिए।

काम-काज न करने वाले आदमी की कफ़ालत

ज़कात से करना जायज़ है

सवाल: एक शख्स जान-बूझकर काम नहीं करता, बड़ा हराम है, रिश्तेदारों से धाखेबाज़ी करता है, वे मजबूरन उसकी कफ़ालत (ज़रूरत पूरी और देखभाल) करते हैं। क्या ज़कात से उसकी कफ़ालत जायज़ है और ज़कात अदा हो जाएगी?

जवाब: ज़कात तो अदा हो जाएगी।

साहिबे निसाब मकरूज़ पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं

सवाल: अगर साहिबे निसाब मकरूज़ हो तो उसके लिए क्या हुक़्म है? हमने सुना है कि कर्ज़दार पर किसी सूरत में भी ज़कात वाजिब नहीं होती, जब तक कि वह कर्ज़ अदा न कर दे, चाहे उसके पास इतना रुपया हो कि वह कर्ज़ अदा कर सकता हो।

जवाब: उसूल यह है कि अगर किसी के पास माल भी हो और वह मकरूज़ भी हो तो यह देखा जाएगा कि कर्ज़ निकालने के बाद उसके पास निसाब के बराबर मालियत बचती है या नहीं? अगर कर्ज़ निकालने के बाद निसाब के

बराबर मालियत बच रहती है तो उस पर उस बचत की ज़कात वाजिब है, चाहे वह कर्ज़ अदा करे या न करे, और कर्ज़ निकालने के बाद निसाब के बराबर मालियत नहीं बचती तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। इस उसूल को अच्छी तरह समझ लिया जाए।

कर्ज़दार की ज़कात का हुक्म

सवाल: ज़ैद व उमर दो भाई हैं, ज़ैद ने उमर को कारोबार के लिये विभिन्न वक्तों में अच्छी ख़ासी रक़म बतौर कर्ज़ दी, कुछ कारणों की बिना पर कारोबार में घाटा होता चला गया, ज़ैद काफ़ी अर्से से अपनी रक़म का तलबगार है, लेकिन उमर के लिए रक़म की अदायेगी मुम्किन नज़र नहीं आती और कारोबार भी सिर्फ़ नाम का है, तो क्या अब उसके लिए ज़कात लेकर कर्ज़ की मद में अदा करना शरअन मुनासिब है? तथा अपने में से किसी को इतनी या थोड़ी सी रक़म ज़कात की निकाल कर उमर को देनी चाहिए ताकि वह कर्ज़ चुका सके, तो आया उनके लिए भी शरअन जायज़ है या नहीं?

जवाब: अगर उमर का असासा इतना नहीं कि वह कर्ज़ अदा कर सके तो उसको ज़कात की रक़म दी जा सकती है।

मक़रूज़ को ज़कात देकर कर्ज़ वुसूल करना

सवाल: एक शख़्स पर हमारे 3300 रुपये कर्ज़ थे, वह शख़्स बहुत ग़रीब है, हमने उस शख़्स को इतनी रक़म बतौर ज़कात अदा कर दी और उसने वह रक़म हमें कर्ज़ में वापस कर दी, क्या इस तरह हमारी ज़कात अदा हो गई?

जवाब: आपकी जकात अदा हो गई और उसका कर्ज अदा हो गया।

मुस्तहिक को जकात में मकान बनाकर देना और वापसी की उम्मीद करना

सवाल: अल्लाह का शुक्र है, आजकल जकात व उशर के निफाज (लागू होने) और सूद के खात्मे पर अमल दरामद किया जा रहा है, और इस सिलसिले में शरई कवानीन का निफाज अमल में लाया जा रहा है। जकात व उशर की मुस्तहिक लोगों को तक्सीम के सिलसिले में मोहतरम जनाब वजीरे खज़ाना ने गुज़िश्ता दिनों मुख्तलिफ़ मौकों पर फ़रमाया था कि जकात की तक्सीम का बेहतरीन तरीका यह है कि मुस्तहिक की इज़्ज़ते नफ़्स मजरूह न हो, और उसको इस तरह तक्सीम किया जाए कि मुस्तक़बिल में वह जकात लेने का मुस्तहिक न रहे। यानी थोड़ी मात्रा में नहीं बल्कि ऐसी मदद हो कि मुस्तहिक का मुस्तक़बिल (भविष्य) संवर जाए।

लिहाज़ा क्या ऐसे अफ़राद में भी जकात तक्सीम की जा सकती है जो “ग़रीबुल-वतनी” की जिन्दगी गुज़ार रहे हैं, यानी जिनके पास अभी तक मुस्तक़िल रहने का कोई मकान ज़ाती नहीं, प्लाट है लेकिन नौकरी पेशा होने की बिना पर आमदनी में सिर्फ़ खाने पहनने के लिए ही मुश्किल से होता है, या और किसी वजह से बहुत ही बदहाली के सबब ज़ाती रहने का मकान अपने हासिल किये हुए प्लाट में मौजूदा दौर की सख़्त महंगाई में तामीर कराने के बारे में सोच भी नहीं सकते

हैं। क्या ऐसी सूरत में मकान की तामीर के लिए, तामीराती अन्दाज़े के मुताबिक़ एकमुश्त रक़म ज़कात से दी जा सकती है, ताकि एक कुबा और एक ख़ानदान का सर छुप जाए। इसके अलावा क्या ज़कात लेने वाला ऐसा मुस्तहिक़ मकान का तामीरी काम मुकम्मल होने के बाद ज़कात की रक़म वापस किस्तों में अपनी खुशी से अदा कर सकता है?

जवाब: ऐसे ग़रीब और नादार लोग जो निसाब के बक़्दर असासा (माल और सरमाया) न रखते हों उनको ज़कात देना जायज़ है और उसकी सूरत यह हो सकती है कि ज़कात की रक़म से मकान बनवाकर उनको मकान का मालिक बना दिया जाए। ऐसे ग़रीब व नादारों से रक़म की वापसी की उम्मीद रखना बेकार है, इसलिए रज़ाकाराना (अपनी खुशी से) वापसी का सवाल बहस से ख़ारिज है।

साहिबे निसाब के लिए ज़कात की मद से खाना

सवाल: मैं मदरसे में क़ुरआन मजीद हिफ़्ज़ कर रहा हूँ और मेरी उम्र तक़रीबन बीस साल हो चुकी है। हमारे घरेलू हालात भी बहुत अच्छे हैं और घर की सारी आमदनी और खर्चे मुझसे तीन बड़े भाईयों के हाथों में हैं, जबकि मेरा मदरसे में खाना पीना और रहना सहना होता है, और आपको मालूम होगा कि दीनी मदरसों का गुज़ारा अक्सर ज़कात, ख़ैरात और क़ुरबानी की ख़ालों से होता है। मेहरबानी फ़रमाकर यह बताएँ कि मदरसे का यह खाना मुझ पर जायज़ है या नाजायज़?

जवाब: अगर वालिदैन (माँ-बाप) की जायदाद से आपको इतना मिला है कि आप साहिबे निसाब हैं (यानी साढ़े बावन

तोले चाँदी के बराबर मालियत आपके हिस्से में आती है) तो ज़कात की मद से खाना आपके लिए जायज़ ही नहीं।

माज़ूर लड़के के बाप को ज़कात देना

सवाल: एक सरकारी मुलाज़िम ग्रेड नम्बर 1 का एक लड़का जिसकी उम्र तक़रीबन दस साल है, दिमागी बीमारी में मुब्तला है और उसका बाप उसकी कफ़ालत (खर्च और ज़रूरतें पूरी करना) करता है, और जहाँ तक मुम्किन होता है वह दवा इलाज भी करता है। उस लड़के की दिमागी परेशानी की बिना पर हमारी ज़कात कमेटी ने ज़कात फ़न्ड से माहाना वज़ीफ़ा मुक़र्रर कर रखा है, और हर महीने दिया जा रहा है। मरीज़ लड़के का बाप सरकारी मुलाज़मत के साथ-साथ हुकूमत की तरफ़ से दिये गये कुवार्टर में रहता है। क्या ऐसी हालत में लड़के का बाप ज़कात का मुस्तहिक़ है?

जवाब: अगर उस लड़के का बाप नादार (ग़रीब और तंगदस्त) है तो ज़कात का मुस्तहिक़ है। बाज़ बाल-बच्चोंदार लोग ऐसे होते हैं कि वे साहिबे निसाब नहीं होते, उनका रोज़गार भी उनके खर्चों के लिए काफ़ी नहीं होता, ऐसे लोगों को ज़कात देना जायज़ है।

ग़रीब को ज़कात देना और नीयत

सवाल: हमारे जानने वालों में एक सफ़ेद-पोश से (यानी ज़ाहिरी हालत से ठीक-ठाक दिखाई देने वाले) आदमी हैं, मगर माली एतिबार से बहुत कमज़ोर हैं। रेढ़ी लगाते हैं, बीवी टी. बी. की मरीज़ है। वह घर से कुछ चने कबाब वग़ैरह बना

देती है और वह जाकर फ़रोख़्त कर आते हैं। दो-तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनका ज़ाती मकान है, क्या ऐसे शख्स को ज़कात लग जाती है, और अगर वे ज़कात लेना पसन्द न करे तो उनको बग़ैर बताए ज़कात दे सकते हैं या नहीं?

जवाब: ज़ाती मकान और रेढ़ी लगाने के बावजूद अगर वह नादार और ज़रूरत-मन्द है तो उसको ज़कात देना सही है। ज़कात की अदायेगी के लिए उसको यह बताना शर्त नहीं कि यह ज़कात है, तोहफ़ा और हदिया कहकर दे दिया जाए और नीयत ज़कात की कर ली जाए तब भी ज़कात अदा हो जाएगी।

क्या निसाब की कीमत वाली भैंस का

मालिक ज़कात ले सकता है

सवाल: अगर एक आदमी के पास एक घड़ी है या एक गाय है या भैंस है, जिसकी कीमत निसाब के बराबर है, उस आदमी के लिए ज़कात की रक़म, फ़ित्रे की रक़म लेना जायज़ है या नहीं?

जवाब: ये चीज़ें जो सवाल में ज़िक्र की हैं, ज़ाती ज़रूरत की चीज़ों में शामिल हैं, इसलिए यह शख्स ज़कात ले सकता है।

इमाम को ज़कात देना

सवाल: इमाम मस्जिद के लिए ज़कात जायज़ है या नहीं?

जवाब: अगर वह मोहताज और फ़कीर है तो जायज़ है, वरना नहीं। महज़ इमाम मस्जिद होने की वजह से तो कोई

जकात का मुस्तहिक नहीं हो जाता, इमामत की उजरत के तौर पर जकात देना भी सही नहीं।

इमाम मस्जिद को तन्ख्याह

जकात की रकम से देना जायज़ नहीं

सवाल: हमारे इलाके में यह दस्तूर है कि जब एक अ़ालिम को अपना पेश इमाम बनाते हैं तो उसके लिए किसी किस्म की तन्ख्याह या खर्च मुकरर नहीं करते, बल्कि इलाके की रस्म यह है कि लोग यानी मौहल्ले वाले उस इमाम को जकात देते हैं। पहले से यह तय नहीं होता कि इमामत करूँगा तो तुम मुझको जकात देना, इसलिए पेश इमाम को जकात देना इमाम को भी मालूम है कि रस्म की वजह से है और क़ौम को भी, क्या इस तरह इमामत करने से क़ौम की जकात निकलती है या नहीं? और पेश इमाम के लिए इस तरह इमामत करने में कुछ बुराई है या नहीं?

जवाब: अगरचे इमाम साहिब से यह बात नहीं हुई कि उनको जकात की रकम से तन्ख्याह दी जाएगी, लेकिन चूँकि “अल-मारुफ़ कल-मशरूत” के उसूल के मुताबिक़ कि जो चीज़ पहले से ज़ेहन में तयशुदा है वह ऐसी है जैसे कि उसकी शर्त लगाई जाए। चुनाँचे जब इमाम साहिब और जकात देने वालों के ज़ेहनों में यह बात पहले से है कि इस इमाम की कोई तन्ख्याह मुकरर नहीं की जाएगी और इसको जकात की रकम दी जाती रहेगी, लिहाज़ा जकात की रकम से इमाम को तन्ख्याह या दूसरे अलफ़ाज़ में उसकी इमामत की उजरत देना

जायज़ नहीं है, अलबत्ता अगर उसको इमामत की उजरत अलग दी जाती हो फिर ग़रीब मोहताज होने की वजह से उसको ज़कात दे दी जाए तो सही है।

जेल में ज़कात देना

सवाल: जेल के अन्दर नमाज़ जुमा और ज़कात देना जायज़ है या नहीं? अगर है तो क्या जेल के अन्दर मुस्तहिक़ कैदी को दे सकते हैं या नहीं?

जवाब: जेल में नमाज़ तो जमाअत के साथ पढ़नी चाहिए मगर जुमा के बजाये ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी चाहिए। जेल के कैदियों में जो लोग ज़कात के मुस्तहिक़ हों उनको ज़कात देना दुरुस्त है।

भीख माँगने वालों को ज़कात देना

सवाल: रमज़ान मुबारक में कराची में मुल्क के विभिन्न हिस्सों से बड़े पैमाने पर ख़ाना-बदोश आते हैं। ये लोग कराची के इलाकों में ज़कात, ख़ैरात माँगते हैं। शरई एतिबार से बताईये कि उन लोगों को ज़कात फ़ित्रा वगैरह देना जायज़ है या नहीं?

जवाब: बहुत से भीख माँगने वाले खुद साहिबे निसाब होते हैं, इसलिए जब तक यह इत्मीनान न हो कि यह वाकई मोहताज है उसको ज़कात और सदका-ए-फ़ित्रा देना सही नहीं।

गैर-मुस्लिम को ज़कात देना जायज़ नहीं

सवाल: क्या गैर-मुस्लिम यानी ईसाई औरतें जो घर में काम करती हैं, ज़कात, ख़ैरात या सदके की मुस्तहिक़ हो

सकती हैं? क्योंकि ये लोग भी ग़रीब ही होते हैं, मेहनत से अपना गुज़ारा मुश्किल से करती हैं।

जवाब: ग़ैर-मुस्लिम को ज़कात देना दुरुस्त नहीं, नफ़ली सदका दे सकते हैं, मगर उजरत में न दिया जाए।

ग़ैर-मुस्लिम को ज़कात और सदका देना

दुरुस्त नहीं

सवाल: लम्बे समय से ईदों के करीब दिनों में काफ़िले के काफ़िले ग़ैर-मुस्लिम ख़ाना-बदोशों के कराची व दूसरे शहरों की तरफ़ ज़कात व फ़ित्रा वसूल करने के लिये पहुँच जाते हैं। उन ख़ाना-बदोशों में अक्सरियत ग़ैर-मुस्लिमों की होती है। क्या ग़ैर-मुस्लिमों को ज़कात व फ़ित्रा दिया जा सकता है? और क्या यह मुसलमान फ़ुकरा (ग़रीबों और तंगदस्तों) का हक़ नहीं है? और अगर यह मुसलमान मिस्कीन ग़रीबों का हक़ है तो जो लोग उन ग़ैर-मुस्लिमों को ज़कात व फ़ित्रा देते हैं क्या उनकी ज़कात व फ़ित्रा अदा हो जाता है?

जवाब: ज़कात और सदका-ए-फ़ित्रा सिर्फ़ मुसलमान ग़रीबों और मिस्कीनों को दिया जा सकता है, जिन लोगों ने ग़ैर-मुस्लिमों को दिया हो वे दोबारा अदा करें।

ग़ैर-मुस्लिमों को ज़कात

सवाल: क्या ग़ैर-मुस्लिम (हिन्दू सिख़ ईसाई कादयानी पारसी वगैरह) को ज़कात देना जायज़ है? जबकि सैंकड़ों मुस्तहिक़ मुसलमान मौजूद हों?

जवाब: हुकूमत बैंकों में जमा शुदा रक़मों से सिर्फ़ मुसलमानों के खातों से ज़कात काटती है, जबकि उस ज़कात में से कुछ हिस्सा कालिजों के छात्रों को बतौर इमदाद दिया जाता है, उन छात्रों में मुसलमान छात्रों के अलावा क़ादयानी, हिन्दू सभी शामिल होते हैं। आपसे यह मालूम करना है कि आया ज़कात का यह मसूरफ़ (अदा और खर्च करने की जगह) इस्लाम के ऐन मुताबिक़ है या इसमें इख़िलाफ़ (मतभेद) है?

जवाब: ज़कात का मसूरफ़ (खर्च का स्थान) सिर्फ़ मुसलमान हैं, किसी ग़ैर-मुस्लिम को ज़कात देना जायज़ नहीं। अगर हुकूमत ज़कात की रक़म ग़ैर-मुस्लिमों को देती है और सही मसूरफ़ (जगह) पर खर्च नहीं करती तो ज़कात देने वालों की ज़कात अदा नहीं होगी।

ज़कात और खालें उन संगठनों को दें जो

उनको सही जगह पर खर्च करें

सवाल: मुख़्तलिफ़ (विभिन्न) तन्ज़ीमें ज़कात और क़ुरबानी की खालें जमा करती हैं, जबकि यह उनके ज़रिये जो रक़में हासिल होती हैं उनका हिसाब भी पेश नहीं करतीं, न ही खर्चों का, तो क्या इस सूरत में उनको ज़कात और क़ुरबानी की खालें देने से ज़कात और क़ुरबानी अदा हो जाती है?

जवाब: ज़कात और क़ुरबानी की खालों की रक़म का किसी मोहताज (ज़रूरत मन्द और ग़रीब) को मालिक बनाना ज़रूरी है, उसके बग़ैर ज़कात अदा नहीं होती और क़ुरबानी का सवाब ज़ाया हो जाता है। पस जिन इदारों और तन्ज़ीमों

(संस्थाओं और संगठनों) के बारे में पूरा इत्मीनान हो कि वे जकात की रकम को ठीक तरीके से सही मसूरफ (जगह) पर खर्च करते हैं उनको जकात देनी चाहिए। और जिनके बारे में यह इत्मीनान न हो उनको दी गई जकात अदा नहीं हुई। उन लोगों को चाहिए कि अपनी जकात दोबारा अदा करें।

दीनी मदरसों को जकात देना बेहतर है

सवाल: दीनी मदरसों में जकात देना जायज है या नहीं?

जवाब: जकात देना जायज ही नहीं बल्कि बेहतर है, क्योंकि गरीबों व मसाकीन की मदद के साथ ही साथ दीनी उलूम की सरपरस्ती भी होती है।

क्या जकात और कुरबानी की खाल मदरसे को देना जायज है

सवाल: माले जकात और कुरबानी की खाल दीनी मदरसों की तामीर और वहाँ के पढ़ाने वालों की तन्ख्याहों वगैरह में खर्च की जा सकती है या नहीं? चूँकि यहाँ के किसी खतीब साहिब ने जुमे के मौके पर तकरीर करते हुए लोगों को कहा कि मदरसे की तामीर और उस्तादों की तन्ख्याहों में यह माल खर्च करना नाजायज है, जिसकी वजह से लोगों को शुब्हा हुआ, क्योंकि लम्बे समय से लोग माले जकात और कुरबानी की खालों के ज़रिये दीनी मदरसों की इमदाद करते थे कि ये दीन की खिदमत कर रहे हैं। और अब उन्होंने दूसरे मसाकीन को देना शुरू किया, जिसकी वजह से मदरसों को ज़ाहिरी तौर पर नुकसान हुआ। इसलिए बराहे करम वज़ाहत

फ़रमा दें ताकि अवामुन्नास के दिलों से शुक्क दूर हो जाएँ और मदरसे के मोहतामिम हज़रात भी सही तरीक़े से यह माल खर्च करें।

जवाब: ज़कात, क़ुरबानी की खाल और सदक़ाते वाजिबा से न मदरसे की तामीर हो सकती है और न मदरसे की तन्ख़्वाह में देना दुरुस्त है, मगर चूँकि दीनी मदारिस की ज़्यादा आमदनी इसी मद से होती है इसलिए तमलीक के ज़रिये यह रक़म इस्तेमाल की जाती है, तमलीक की सही सूरत किसी अ़ालिम से मालूम कर लें।

ज़कात की रक़म से मदरसा और मतब

चलाने की सूरत

सवाल: हमारे एक दोस्त औरंगी टाऊन में एक दीनी मदरसा कायम करना चाहते हैं, जिसमें मक़ामी बच्चों को हिफ़ज़ व नाज़िरा क़ुरआन की तालीम दी जाएगी और उसके बाद उसमें रियायती मतब (इलाज के लिये दवाख़ाना) खोलने का इरादा है। मालूम यह करना है कि क्या मदरसे के विस्तार, तामीर और उस्तादों की तन्ख़्वाह ज़कात व सदकों से अदा की जा सकती है? क्या मतब की मद में ज़कात, सदक़ात, अ़तीयात की रक़म ली जा सकती है?

जवाब: बग़ैर तमलीक के ज़कात की रक़म मस्जिद, मदरसे और पढ़ाने वालों की तन्ख़्वाह में इस्तेमाल नहीं हो सकती, उसकी तदबीर यह है कि कोई मोहताज (ग़रीब और नादार) आदमी क़र्ज़ लेकर मदरसे में दे दे और ज़कात की रक़म से उसका क़र्ज़ अदा कर दिया जाए। यानी ज़कात की

रक़म उसको दे दी जाए, जिससे वह अपना कर्ज़ अदा करे। मतब (दवाख़ाने) का भी यही हुक्म है।

ज़कात से अस्पताल कायम करना

सवाल: एक बिरादरी के लोग ज़कात वुसूल करके उस फ़न्ड से डिस्पेन्सरी कायम करना चाहते हैं। दवाईयाँ ज़कात फ़न्ड की रक़म से ख़रीदी जाएँगी, डाक्टरों की फ़ीस, जगह का किराया और दीगर खर्चे ज़कात से खर्च किए जाएँगे, जबकि डिस्पेन्सरी से हर शख़्स अमीर व ग़रीब दवाई ले सकेगा।

एक मसला यह भी है जैसा कि इदारा ज़कात वुसूल करता है तो वह ज़कात मुस्तहिक़ लोगों में तक्सीम करने के बाद बच जाती है, आया इदारा उस ज़कात को उसी साल ख़त्म कर दे या उसे आईन्दा साल भी तक्सीम कर सकता है? बराहे करम इसका जवाब भी ज़रूर लिखें।

जवाब: ज़कात की रक़म का मालिक किसी मुस्तहिक़ को बनाना ज़रूरी है, इसलिए न तो उससे डिस्पेन्सरी (अस्पताल) की तामीर जायज़ है, न डाक्टरों की फ़ीस, न सामान व औज़ारों की ख़रीद, न साहिबे हैसियत लोगों को उसमें दवाईयाँ देना जायज़ है, अलबत्ता मुस्तहिक़ लोगों को दवाईयाँ दे सकते हैं।

जहाँ तक साल ख़त्म होने से पहले ज़कात की रक़म खर्च कर देने का सवाल है तो यह उसूल ज़ेहन में रहना चाहिए कि जब तक आप यह रक़म मुस्तहिक़ लोगों को नहीं दे देंगे तब तक मालिकान की ज़कात अदा नहीं होगी, इसलिए जहाँ तक मुम्किन हो उस रक़म को जल्दी खर्च कर देना चाहिए !

मस्जिद में ज़कात का पैसा लगाने से

ज़कात अदा नहीं होती

सवाल: एक मस्जिद में जो कमेटी के मातहत चल रही है, तो उस कमेटी का ज़कात के माल पर कब्ज़ा करके उस ज़कात के माल को मस्जिद में खर्च करना कैसा है?

जवाब: ज़कात का रुपया मस्जिद में लगाने से ज़कात अदा नहीं होगी।

तब्लीग़ के लिए भी किसी को मालिक बनाए

बग़ैर ज़कात अदा नहीं होगी

सवाल: ज़कात की रक़म से तब्लीग़ के कामों में किसी किस्म की मदद हो सकती है या नहीं?

जवाब: ज़कात की रक़म में तमलीक (यानी किसी ग़रीब को उसका मालिक बनाना) शर्त है, यानी जो शख्स ज़कात का मुस्तहिक़ हो उसे इतनी रक़म का मालिक बना दिया जाए। तमलीक के बग़ैर ख़ैर के काम में खर्च कर देने से भी ज़कात अदा नहीं होगी।

ज़कात की रक़म से कीड़े-मकोड़ों और परिन्दों

को दाना डालने से ज़कात अदा नहीं होगी

सवाल: क्या ज़कात की रक़म से परिन्दों चिड़ियों वग़ैरह को दाना डाल सकते हैं? क्या कीड़े-मकोड़ों को खाने की चीज़ें

ज़कात की रक़म से ख़रीदकर डाल सकते हैं? ऐसा करने से क्या ज़कात अदा हो जाएगी?

जवाब: इससे ज़कात अदा नहीं होती, ज़कात अदा होने की शर्त यह है कि ज़कात की रक़म का किसी मोहताज ग़रीब मुसलमान को मालिक बना दिया जाए। अगर ज़कात की रक़म का खाना पकाकर ग़रीबों, मोहताजों की दावत कर दी जाए कि जिसकी जितनी ख़्वाहिश हो जाए मगर साथ ले जाने की इजाज़त नहीं, इससे भी ज़कात अदा नहीं होगी।

हुकूमत के ज़रिये ज़कात की तक़सीम

सवाल: मौजूदा हुकूमत ज़कात के नाम से जो रक़म तक़सीम कर रही है, शर्ई तौर पर उस रक़म की क्या हैसियत है? बहुत सी बार साहिबे निसाब लोग भी खुद को मिस्कीन ज़ाहिर करके यह रक़म हासिल कर लेते हैं, उनके लिए क्या हुकूम है? जनाबे आली! मेहरबानी फ़रमाकर यह बताएँ कि यह रक़म किसके लिए जायज़ है और किसके लिए नहीं?

जवाब: साहिबे निसाब लोग ज़कात का मस्रफ़ (खर्च होने की जगह) नहीं, उनको ज़कात लेना हARAM है। अगर किसी को फ़कीर समझ कर ज़कात दे दी गई, बाद में मालूम हुआ कि वह ग़नी (मालदार) था तो ज़कात अदा हो गई।

फ़लाही इदारे ज़कात के वकील हैं जब तक

मुस्तहिक़ को अद न कर दें

सवाल: किसी "ख़िदमती इदारे" या किसी "वक़फ़ ट्रस्ट" और फ़ाउन्डेशन को ज़कात देने से क्या ज़कात अदा हो जाती

है?

जवाब: जो फ़लाही इदारे (अवामी फ़ायदे और कल्याण की संस्थायें) ज़कात जमा करते हैं वे ज़कात की रक़म के मालिक नहीं होते बल्कि ज़कात देने वालों के वकील और नुमाईन्दे होते हैं। जब तक उनके पास ज़कात का पैसा जमा रहेगा वह बदस्तूर ज़कात देने वालों की मिल्क होगा, अगर वे सही मसूरफ़ (जगह और मौके) पर खर्च करेंगे तो ज़कात देने वालों की ज़कात अदा होगी वरना नहीं। इसलिए जब तक किसी फ़लाही इदारे (अवामी फ़ायदे और कल्याण की संस्था) के बारे में यह इत्मीनान न हो कि वह ज़कात की रक़म शरीअत के उसूलों के मुताबिक़ ठीक मसूरफ़ (जगह) में खर्च करता है उस वक़्त तक उसको ज़कात न दी जाए।

सवाल: इस तरह ज़कात जमा करने वाले इदारे (संस्थायें) जमा की हुई ज़कात की रक़म के खुद मालिक बन जाते हैं या नहीं? और जमा की हुई ज़कात की रक़म को वे जिस तरह चाहें उस तरह लोगों की भलाई के कामों में खर्च कर सकते हैं या नहीं? जैसे उस रक़म में से साहिबे ज़कात शख़्स को और बीच के तबके के साहिबे माल शख़्स को मकान ख़रीदने के लिए या कारोबार के लिए बिना मुनाफ़े के आसान किस्तों में वापस होने वाले क़र्ज़ के तौर पर दे सकते हैं? क्योंकि दरमियानी तबके के साहिबे माल ज़कात के मुस्तहिक़ नहीं होते, और ज़कात लेना भी नहीं चाहते, इसके मुताबिक़ उसको ज़कात की रक़म क़र्ज़ के तौर पर देना मुनासिब है या नहीं?

जवाब: ये इदारे इस रक़म में मालिकाना तसरूफ़ (अमल-दख़ल) करने के मुख़्तार नहीं, बल्कि सिर्फ़ फ़ुकरा और

मोहताजों को बाँटने के मुजाज़ (अधिकृत और मुख्तार) हैं। इसलिए उस रकम को कर्ज़ पर उठाने का इख्तियार नहीं रखते। अलबत्ता अगर मालिकान की तरफ से इजाज़त हो तो दुरुस्त है। किसी साहिबे निसाब को मकान खरीदने के लिए रकम देने से जकात अदा नहीं होगी, अलबत्ता यह सूरत हो सकती है कि वह शख्स किसी से कर्ज़ लेकर मकान खरीद ले, अब उसको कर्ज़ अदा करने के लिए जकात देना सही होगा।

जकात से चन्दा वुसूल करने वाले को मुकर्ररा

हिस्सा देना जायज़ नहीं

सवाल: दीनी मदरसों के चन्दे के लिए बाज़ बच्चे छोटे-छोटे सन्दूकचे लेकर दूसरे शहरों में जाकर चन्दा माँगते हैं। उनमें अक्सर अफ़राद चन्दे की रकम से तयशुदा हिस्से पर चन्दा माँगते हैं। बाज़ की तन्ख्वाहें होती हैं। अगर कोई जकात की रकम उनको दे तो क्या जकात का फ़र्ज़ अदा हो जाएगा या नहीं? क्योंकि चन्दा माँगने वालों में बाज़ का हिस्सा (आधा, तिहाई, चौथाई) होता है, तो पूरी रकम मदरसे में नहीं पहुँचती। इसलिए बराहे करम तफसील से इस मसले पर रोशनी डालें।

जवाब: चन्दे के हिस्से पर सफ़ीर मुकर्रर करना जायज़ नहीं। मदरसों को जो जकात दी जाती है अगर वह सही मसूरफ़ (जगह और मौक़े) पर खर्च करेंगे तो जकात अदा होगी वरना नहीं। इसलिए जकात सिर्फ़ उन्हीं मदरसों को दी जाए जिनके बारे में इत्मीनान हो कि वे ठीक मसूरफ़ (जगह)

पर खर्च करते हैं। जिन मदरसों के नाम पर बच्चे चन्दा माँगते हैं वे ज़कात को सही मसूरफ़ (जगह और मौके) में खर्च नहीं करते हैं, इसलिए ऐसे मदरसों को चन्दे में ज़कात न दी जाए।

पैदावार का उश्र

उश्र का मतलब और मायने

सवाल: (1) उश्र की तारीफ़ (परिभाषा) क्या है? (2) क्या ज़कात की तरह उसका भी निसाब होता है? (3) क्या उश्र सब ज़मीनदारों पर बराबर होता है? (4) यह किन लोगों को अदा किया जाता है? (5) एक आदमी अगर अपने माल की ज़कात अदा करे तो क्या उश्र भी देना होगा? (6) क्या यह साल में एक बार दिया जाता है या हर नई फ़सल पर? (7) क्या मवेशियों के चारे के लिए बोई गई फ़सल पर भी उश्र होगा?

जवाब: उश्र, ज़मीन की पैदावार की ज़कात है। अगर ज़मीन बारानी हो (यानी ऐसी हो कि बारिश की वजह से फ़सल पैदा होती हो) कि बारिश के पानी से सैराब होती है, तो पैदावार उठने के वक़्त उस पर दसवाँ हिस्सा अल्लाह तआला के रास्ते में देना वाजिब है। और अगर ज़मीन को खुद सैराब किया (यानी पानी दिया) जाता है तो उसकी पैदावार का बीसवाँ हिस्सा सदका करना वाजिब है।

2. हमारे इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़दीक इसका कोई निसाब नहीं बल्कि पैदावार कम हो या

ज्यादा उस पर उश्र (दसवाँ हिस्सा) वाजिब है।

3. जी हाँ! जो शख्स भी ज़मीन की फ़सल उठाए उसके जिम्मे उश्र वाजिब है।

4. उश्र के मुस्तहिक़ वही लोग हैं जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं।

5. उश्र पैदावार की ज़कात है, इसलिए दूसरे मालों की ज़कात अदा करने के बावजूद पैदावार पर उश्र वाजिब होगा।

6. साल में जितनी फ़सलें आएँ हर नई फ़सल पर उश्र वाजिब है।

7. जी हाँ! मवेशियों (पशुओं) के चारे के लिए बोई गई फ़सल पर भी हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक उश्र वाजिब है।

ज़मीन की हर पैदावार पर उश्र है, ज़कात नहीं

सवाल: उश्र का निसाब क्या है और किन-किन चीज़ों का उश्र दिया जाता है? खेती की पैदावार में 5 फ़ीसद ज़कात दी जाती है तो क्या खेती की पैदावार में उश्र और ज़कात दोनों अदा करने होंगे?

जवाब: हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रह० के नज़दीक उश्री ज़मीन की हर पैदावार पर उश्र वाजिब है, चाहे कम हो या ज्यादा। अगर ज़मीन बारानी (बारिश वाली) हो तो उसकी पैदावार में दसवाँ हिस्सा वाजिब है और अगर कुएँ के पानी से सींची जाती है या नहरी पानी ख़रीद कर लगाया जाता हो तो उसमें बीसवाँ हिस्सा वाजिब है। हज़रत इमाम साहिब के नज़दीक फलों, सब्ज़ियों, तरकारियों और मवेशियों के चारे में

भी जिसको काश्त किया जाता है, उश्र वाजिब है। खेती की पैदावार में ज़कात वाजिब नहीं होती, सिर्फ़ उश्र वाजिब है, जिसकी तसफ़ील ऊपर ज़िक्र कर दी गई।

उश्र कितनी आमदनी पर है?

सवाल: गुज़ारिश यह है कि आपने एक सवाल के जवाब में फ़रमाया है कि “जो शख्स भी ज़मीन की फ़सल उठाए चाहे कम हो या ज़्यादा, उसके ज़िम्मे उश्र वाजिब है” इस सिलसिले में यह भी वज़ाहत फ़रमा दें कि अगर किसी शख्स के पास थोड़ी सी ज़मीन है और वह उस पर काश्त करता है, फ़सल अच्छी नहीं होती, खाद पानी और कीड़ेमार दवाईयों के खर्च भी मुश्किल से पूरे होते हैं, जो फ़सल आती है वह उसकी ज़रूरतों से बहुत कम है, इस तरह वह साहिबे निसाब नहीं है और मुस्तहिक्के ज़कात है, तो क्या ऐसी सूरत में अपनी फ़सल का उश्र खुद इस्तेमाल कर सकता है?

जवाब: उसकी जाती पैदावार का उश्र उसके ज़िम्मे वाजिब है, उसको खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता।

पैदावार के उश्र के बाद उसकी रक़म पर

ज़कात का मसला

सवाल: बाग़ बेचने के एक महीने बाद किसी ने अपनी सालाना ज़कात निकालनी है, आया उस बाग़ की रक़म पर जिसका उसने उश्र दे दिया है, ज़कात आएगी या नहीं?

जवाब: उस रक़म पर भी ज़कात आएगी। जब दूसरी रक़म की ज़कात दे तो उसके साथ उसकी भी दे।

गुल्ले और फल की पैदावार पर

उशर की अदायेगी

सवाल: क्या गुल्ले या फल के बदले उसकी कीमत ज़कात की शकल में वुसूल की जा सकती है या जिन्स ही वुसूल करना ज़रूरी है? एक साहिब फ़रमा रहे थे कि अगर जिन्स की कीमत दे दी गई तो ज़कात अदा न हुई। हालाँकि उशर के हुक्म नामे में कीमत ही वुसूल की जाती है। दूसरी बात यह है कि खेती की पैदावार में भी कुछ निसाब है, कुछ लोग कहते हैं कि इस निसाब की कैद नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि कम से कम एक "वसक" होना ज़रूरी है। एक "वसक" का क्या वज़न होता है? हम लोगों को मालूम नहीं, बराहे करम हनफी फ़िक्का की रू से जवाब इनायत फरमाएँ ताकि शुकूक दूर हों।

जवाब: उशरी पैदावार अगर बारानी (बारिश के सबब) हो तो उस पर उशर (यानी दसवाँ हिस्सा वाजिब है) अगर उस पैदावार पर पानी बगैरह के मसारिफ़ (खर्च) आते हों तो बीसवाँ हिस्सा वाजिब है। असल वाजिब तो पैदावार ही का हिस्सा है, लेकिन यह भी इख़्तियार है कि उतने गुल्ले की कीमत दे दी जाए। हुक्मत जो प्रति ऐकड़ के हिसाब से उशर वुसूल करती है यह सही नहीं, होना यह चाहिए कि जितनी पैदावार हो उसका दसवाँ या बीसवाँ हिस्सा लिया जाए। पूरे इलाके के लिए उशर का प्रति ऐकड़ मुकरर कर देना ग़लत है।

उश्र अदा कर देने के बाद फ़रोख़्त करने

तक़ ग़ल्ले पर न उश्र है न ज़कात

सवाल: धान से वक़्त पर उश्र निकाला है, ग़ल्ला साल भर रखा रहा, यानी न अपनी किसी ज़रूरत में इस्तेमाल होता है और न मार्केट में उसकी खपत है। क्या साल गुज़रने पर उसमें से उश्र दिया जाएगा या चालीसवाँ हिस्सा ज़कात का?

जवाब: एक बार उश्र अदा कर देने के बाद जब तक उसको फ़रोख़्त नहीं किया जाता उस पर न दोबारा उश्र है न ज़कात। और जब उश्र अदा करने के बाद ग़ल्ला फ़रोख़्त कर दिया तो उससे हासिल शुदा रक़म पर ज़कात उस वक़्त वाजिब होगी जब उस पर साल गुज़र जाएगा, या अगर यह शख्स पहले से साहिबे निसाब है तो जब उसके निसाब पर साल पूरा होमा उस वक़्त उस रक़म की भी ज़कात अदा करेगा।

मुज़ारअत की ज़मीन में उश्र

सवाल: मैं एक ज़मीनदार की ज़मीन काश्त करता हूँ। इस साल कुल ज़मीन में दस हज़ार की कपास हुई है, और मेरे हिस्से में पाँच हज़ार आया है, अब क्या मैं पूरे दस हज़ार का उश्र या ज़कात निकालूँ या अपने हिस्से पाँच हज़ार का उश्र या ज़कात निकालूँ।

जवाब: आप अपने हिस्से की पैदावार का उश्र निकालिये, क्योंकि उसूल यह है कि ज़मीन की पैदावार जिसके घर आएगी ज़मीन का उश्र भी उसी के जिम्मे होगा। पस मुज़ारे

(हिस्सेदारी पर दूसरे की ज़मीन बोनने वाले) के हिस्से में जितनी पैदावार आए उसका उश्र उसके ज़िम्मे है और मालिक के हिस्से में जितनी जाए उसका उश्र उस पर लाज़िम है।

ट्रैक्टर वगैरह चलाने से खेती का उश्र

बीसवाँ हिस्सा है

सवाल: पहले ज़माने में लोग काश्तकारी करते थे हल चलाकर और पानी लगाकर पैदावार हासिल करते थे, लेकिन मौजूदा दौर में ट्रैक्टरों के ज़रिये से हल चलाए जाते हैं और फिर ज़मीन में खाद डालनी पड़ती है, और दूसरी गोडी वगैरह कराई जाती है। ऐसी ज़मीन का उश्र अदा करना हो तो ज़मीन पर जो खर्चा होता है उसको निकाल कर उश्र अदा किया जाए या कुल पैदावार का बगैर खर्चा निकाले उश्र अदा करना होगा? और उश्र अदा करते वक़्त बीज निकाल कर उश्र अदा करें या बीज निकाले बगैर अदा करें?

जवाब: ऐसी ज़मीन की पैदावार में आधा उश्र यानी पैदावार का बीसवाँ हिस्सा वाजिब है, खर्चों को निकाला नहीं जाएगा बल्कि पूरी पैदावार का बीसवाँ हिस्सा अदा करना होगा, बीज को भी खर्चों में शुमार किया जाएगा।

काबिले नफ़ा फल होने पर बाग़ बेचना जायज़

है, उसका उश्र मालिक के ज़िम्मे होगा

सवाल: एक शख्स ने अपना फलों का बाग़ काबिले नफ़ा होने के बाद बेच दिया, आया वह उश्र दे या ख़रीदने वाले पर

उश्र आएगा?

जवाब: इस सूरत में ख़रीदने वाले पर उश्र नहीं बल्कि बाग़ के फ़रोख़्त करने वाले पर उश्र है।

उश्र की रक़म आम फ़ायदे के कामों के लिए नहीं बल्कि ग़रीबों के लिए है

सवाल: हुकूमते पाकिस्तान ने जो ज़कात व उश्र कमेटीयाँ बनाई हैं उनके पास उश्र की काफ़ी रक़म जमा है, क्या उश्र की रक़म आम फ़ायदे के कामों पर ख़र्च की जा सकती है? जैसे स्कूल की इमारत या चारदीवारी या गलियाँ वगैरह।

जवाब: ज़कात और उश्र की रक़म सिर्फ़ फ़कीरों और ग़रीबों को दी जा सकती है, आम फ़ायदे के कामों पर ख़र्च करना जायज़ नहीं।

उश्र की अदायेगी से मुताल्लिक विभिन्न मसाले

सवाल: क्या उश्र का ज़कात की तरह निसाब है? क्योंकि हुकूमत ने एक मिक्दार (हद और मात्रा) मुकरर की हुई है, अगर फ़सल उस मिक्दार से ज़्यादा हो तो उश्र देना लाज़िमी है, वरना नहीं।

जवाब: हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रह० के नज़दीक उश्र का निसाब नहीं बल्कि हर थोड़े व ज़्यादा में उश्र वाजिब है। हुकूमत एक खास मिक्दार पर उश्र वुसूल करती है इससे कम का उश्र मालिक को खुद अदा करना चाहिए।

सवाल: हुकूमत को उश्र, ज़कात देना जायज़ है या नहीं? क्योंकि तसरुफ़ (यानी उसका सही इस्तेमाल और खर्च) बहुत मशकूक है।

जवाब: भरोसा न हो तो न दिया जाए लेकिन क्या ऐसा मुम्किन भी है कि हुकूमत उश्र वसूल करे और किसान अदा न करे?

सवाल: बारानी (बारिश वाली) ज़मीन की फ़सल पर उश्र दसवाँ हिस्सा है और नहरी व कुएँ वगैरह वाली पर बीसवाँ है। क्या बीसवाँ हिस्सा इसलिए मुकरर है कि बाद वाली पर खर्चे बढ़ जाते हैं? अगर यह सही है तो आजकल कीड़े मार इस्परे और कैमिकल खाद का इज़ाफ़ी खर्च काश्तकार को बरदाश्त करना पड़ता है, क्या इस्परे वगैरह का खर्च फ़सल की आमदनी से कम करके उश्र देना होगा या कुल पैदावार पर उश्र देना होगा?

जवाब: शरीअत ने खर्चों निस्फ़ उश्र (यानी दसवें हिस्से के बजाये बीसवाँ हिस्सा) कर दिया है, इसलिए खर्चों को निकाल करके उश्र नहीं दिया जाएगा, बल्कि तमाम पैदावार का उश्र दिया जाएगा।

सवाल: फ़र्ज़ करें ढाई ऐकड़ ज़मीन से 100 मन गन्दुम पैदा होती है, उस गन्दुम की कटाई का खर्च तक़रीबन 5 मन होगा, गन्दुम की कटाई दो मन प्रति ऐकड़ के हिसाब से करते हैं और थरेशर (गुहाई) का खर्च तक़रीबन 15 मन होगा, बचत आमदनी 80 मन होगी। क्या उश्र 100 मन पर देना होगा या 80 मन पर।

जवाब: उश्र सौ मन पर आएगा।

सवाल: गन्दुम की फ़सल की कटाई की मज़दूरी गन्दुम में देना जायज़ है या नहीं? क्योंकि गन्दुम की फ़सल की कटाई की मज़दूरी सिर्फ़ गन्दुम की सूरत में लेते हैं।

जवाब: साहिबैन (इमाम मुहम्मद और इमाम अबू यूसुफ़ रह0) के नज़दीक जायज़ है और इसी पर फ़तवा है।

ज़कात के विभिन्न मसाले

ज़कात देने वाला जिस मुल्क में हो

उसी मुल्क की करन्सी का एतिबार होगा

सवाल: चन्द दोस्त मिलकर अपने वतन के ज़कात के मुस्तहिक लोगों के लिए ज़कात की रक़म भेजना चाहते हैं, लेकिन वहाँ की करन्सी (मुद्रा) और हमारी करन्सी में फ़र्क है, जैसे यहाँ से 50,000 रुपये भेजेंगे तो उनको 40,000 रुपये मिलेंगे। अब यह पूछना है कि ज़कात 50,000 रुपये की अदा होगी या 40,000 रुपये की अदा होगी? क्योंकि वहाँ के और यहाँ के दाम में यही फ़र्क चलता है।

इसी तरह हम अपने देश में ज़कात भेजें जहाँ की करन्सी की कीमत यहाँ की करन्सी की कीमत से कम हो, यानी अगर हम यहाँ से 50,000 रुपये भेजें तो वहाँ 60,000 रुपये मिलें तो इस सूरत में ज़कात 50,000 रुपये की अदा होगी या 60,000 रुपये की? दोनों मसलों का जवाब बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोनों देशों में हमारी बिरादरी के कुछ आदमी बसते हैं,

इसको अगर अख़बार "जंग" में प्रकाशित करा दें तो बहुतों का भला होगा, क्योंकि कई लोग इस तरह पैसे भेजते रहते हैं तो उनको भी मसले का पता चल जाएगा।

जवाब: ज़कात देने वाले ने जिस मुल्क की करन्सी से ज़कात अदा की है वहाँ की करन्सी का एतिबार होगा, उस मुल्क की करन्सी से जितने माल की ज़कात अदा की उतने माल की ज़कात शुमार होगी, दूसरे मुल्क की करन्सी चाहे कम हो या ज़्यादा। दूसरे अलफ़ाज़ में यूँ समझ लीजिए कि जो रक़म किसी मोहताज या मोहताजों (ग़रीबों) को दी गई है वह ज़कात अदा करने वाले के माल का चालीसवाँ हिस्सा होना चाहिए। जिस करन्सी में ज़कात अदा की गई हो उस करन्सी के हिसाब से चालीसवें हिस्से का एतिबार होगा।

ज़कात के लिए निकाली हुई रक़म

या सूद का इस्तेमाल

सवाल: एक शख़्स ने ज़कात की रक़म या सूद की रक़म मुस्तहिक़ को देने के लिए निकाली लेकिन ऐन वक़्त पर उसे कुछ रक़म की ज़रूरत पड़ गई, तो क्या वह ज़कात या सूद की रक़म से बतौर कर्ज़ ले सकता है?

जवाब: ज़कात की रक़म तो उसकी मिल्कियत है जब तक किसी को अदा नहीं कर देता, इसलिए उसका इस्तेमाल करना सही है। सूद की रक़म का इस्तेमाल सही नहीं।

सूद की रक़म पर ज़कात

सवाल: एक शख़्स का बैंक में एकाउंट है और साल के

आखिर में अपने एकाउंट में जितना मुनाफ़ा मिलता है ठीक उतने ही का चैक काट कर निकाल लेता है, और फिर ग़रीबों में यह समझकर बाँट देता है कि सवाब मिलेगा, या ज़कात बाँट देता है, तो क्या वाकई सवाब मिलेगा या नहीं, इस्लामी शरीअत में जायज़ है या नहीं?

जवाब: सूद की रक़म सदक़े की नीयत से किसी को नहीं देनी चाहिए बल्कि सवाब की नीयत के बग़ैर किसी मोहताज (ग़रीब नादार) को दे देनी चाहिए। सदक़ा तो पाक चीज़ का दिया जाता है, सूद का नहीं। पस सूद की रक़म से ज़कात अदा नहीं की जा सकती।

सदक़ा-ए-फ़ित्र

सदक़ा-ए-फ़ित्र के मसाले

सवाल: सदक़ा-ए-फ़ित्र किस पर वाजिब है और उसके क्या मसाले हैं?

जवाब: सदक़ा-ए-फ़ित्र के मसाले निम्न प्रकार हैं।

(1) सदक़ा-ए-फ़ित्र हर मुसलमान पर जबकि वह निसाब के बराबर माल का मालिक हो, वाजिब है।

(2) जिस शख्स के पास अपने इस्तेमाल और ज़रूरतों से जायद इतनी चीज़ें हों कि अगर उनकी कीमत लगाई जाए तो साढ़े बावन तोले चाँदी की मिक्दार (मात्रा) हो जाए तो यह शख्स साहिबे निसाब कहलाएगा और उसके जिम्मे सदक़ा-ए-फ़ित्र वाजिब होगा। (चाँदी की कीमत बाज़ार से

मालूम कर ली जाए)

(3) हर शख्स जो साहिबे निसाब हो उसको अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से सदका-ए-फित्र अदा करना वाजिब है, और अगर नाबालिगों का अपना माल हो तो उसमें से अदा किया जाए।

(4) जिन लोगों ने सफ़र या बीमारी की वजह से या वैसे ही ग़फ़लत और कोताही की वजह से रोज़े नहीं रखे, सदका-ए-फित्र उन पर भी वाजिब है जबकि वे खाते पीते साहिबे निसाब हों।

(5) जो बच्चा ईद की रात सुबह सादिक़ होने से पहले पैदा हो उसका सदका-ए-फित्र लाज़िम है और अगर सुबह सादिक़ के बाद पैदा हुआ तो लाज़िम नहीं।

(6) जो शख्स ईद की रात सुबह सादिक़ से पहले मर गया उसका सदका-ए-फित्र नहीं और अगर सुबह सादिक़ के बाद मरा तो उसका सदका-ए-फित्र वाजिब है।

(7) ईद के दिन ईद की नमाज़ को जाने से पहले सदका-ए-फित्र अदा कर देना बेहतर है, लेकिन अगर पहले नहीं किया तो बाद में भी अदा करना जायज़ है, और जब तक अदा नहीं करेगा उसके ज़िम्मे वाजिबुल-अदा (दिय) रहेगा।

(8) सदका-ए-फित्र हर शख्स की तरफ़ से पौने दो सेर गेहूँ या उसकी कीमत है, और इतनी कीमत की और चीज़ भी दे सकता है।

(9) एक आदमी का सदका-ए-फित्र एक से ज़्यादा फ़कीरों मोहताजों को देना भी जायज़ है, और कई आदमियों का सदका एक फ़कीर मोहताज को भी देना दुरुस्त है।

(10) जो लोग साहिबे निसाब नहीं उनको सदका-ए-फित्र देना दुरुस्त है।

(11) अपने हकीकी (सगे) भाई बहन, चचा फूफी को सदका-ए-फित्र देना जायज़ है, मियाँ बीवी एक दूसरे को सदका-ए-फित्र नहीं दे सकते, इसी तरह माँ बाप औलाद को और औलाद माँ बाप, दादा दादी को सदका-ए-फित्र नहीं दे सकती।

(12) सदका-ए-फित्र का किसी मोहताज फ़कीर को मालिक बनाना ज़रूरी है, इसलिए सदका-ए-फित्र की रक़म मस्जिद में लगाना या किसी और अच्छाई के काम में लगाना दुरुस्त नहीं।

सदका-ए-फित्र ग़ैर-मुस्लिम को देना जायज़ है, मसले की तस्हीह व तहकीक

सवाल: जनाब मौलाना साहिब! “आपके मसाईल और उनका हल” 21 अगस्त जुमा के अंक में आपसे एक मसले में ग़लती हुई है, क्योंकि आपके वास्ते से अ़वाम को दीनी मसाईल से जानकारी हासिल हो रही है, मैं उन मसाईल की तस्हीह (शुद्धि और संशोधन) के लिए आपको तकलीफ़ दे रहा हूँ। ताकि अ़वाम को सही ख़बर हासिल हो और आप से गुज़ारिश है कि मसाईल को तहकीक और गहरी छान-बीन के बाद तहरीर फ़रमाया करें, जिम्मेदारी और फ़र्ज़ पूरा करें। जिस मसले में ख़ता हुई है वह इस प्रकार है:

“सदका-ए-फित्र ग़ैर-मुस्लिम को देना सही है”

मैं सबसे पहले इस मसले के लिए बहिश्ती ज़ेवर का हवाला दर्ज किए देता हूँ- “जकात किनको देना जायज़ है” के बयान में हिस्सा सोम बहिश्ती ज़ेवर मसला नम्बर 8 यूँ है:

“मसला- जकात का पैसा किसी काफ़िर को देना दुरुस्त नहीं है, मुसलमान ही को दे देवे, जकात और उश्र, सदका-ए-फ़ित्र और नज़्र व कफ़ारे के सिवा और ख़ैर-ख़रात काफ़िर को भी देना दुरुस्त है”।

उन किताबों ने जो मेरे पास मौजूद हैं इसी कौल को मुख्तार कहा है। दुर्गे मुख्तार, बहारे शरीअत, क़ानूने शरीअत, उम्दतुल-फ़िका शामी।

जवाब: जनाब की तस्हीह (शुद्धि और ग़लती सुधारने) का बहुत-बहुत शुक्रिया, अल्लाह तआला बहुत ही जज़ा-ए-ख़ैर अता फ़रमाए। मैं आप से भी और दूसरे उलेमा से भी दरख़्वास्त करता हूँ कि इस नाकारा की तहरीर में कोई ग़लती नज़र आए तो उस पर ज़रूर आगाह फ़रमाया जाए। अब इस मसले में अपनी तहकीक़ अर्ज़ करता हूँ। जिन हज़रात को इस तहकीक़ से इत्तिफ़ाक़ न हो वे अपनी तहकीक़ पर अमल फ़रमा सकते हैं। फ़तावा आलमगीरी (1-188) में है:

“ज़िम्मी काफ़िरोँ को जकात देना सब के नज़दीक़ जायज़ नहीं, नफ़ली सदका देना सबके नज़दीक़ जायज़ है, मगर सदका-ए-फ़ित्र, नज़्र और कफ़ारे में इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है, इमाम अबू हनीफ़ा रह0 और इमाम मुहम्मद रह0 फ़रमाते हैं कि जायज़ है मगर मुसलमान ग़रीबों को देना हमें ज़्यादा महबूब (पसन्द) है। शरह तहावी में इसी तरह है।”

दुर्गे मुख्तार शामी (2-351) में है:

“जकात और उश्र व खिराज के अलावा दूसरे सदकात चाहे वाजिब हों जैसे नज़्र (मन्नत), कफ़ारा, फ़ित्रा, जिम्मी को देना जायज़ है। इसमें इमाम अबू यूसुफ़ रह० का इख़्तिलाफ़ (राय अलग) है, और उन्हीं के कौल पर फ़तवा दिया जाता है। हावी कुदसी”।

अल्लामा शामी इस पर लिखते हैं:

“हिदाया वगैरह में खुलासा किया है कि यह इमाम अबू यूसुफ़ की एक रिवायत है जिससे ज़ाहिर होता है कि इमाम अबू यूसुफ़ का मशहूर कौल इमाम अबू हनीफ़ा व इमाम मुहम्मद के मुताबिक़ है”।

“ख़ैर रमली के हाशिये में हावी से जो नक़ल किया है, वह यह है कि हम इमाम अबू यूसुफ़ के कौल को लेते हैं (लेकिन हिदाया वगैरह के कलाम से यह निकलता है कि इमाम अबू हनीफ़ा व मुहम्मद रह० का कौल राजेह (वरीयता प्राप्त) है और अ़ाम मुतून (मसाईल की बुनियादी किताबें) इसी पर हैं।”)

फ़तावा काज़ी ख़ाँ (अ़ालमगीरी के हाशिये पर) (1-231) में है:

“और जायज़ है कि सदका-ए-फ़ित्र जिम्मी काफ़ि़रों में के ग़रीबों को दिया जाए, मगर मक्रूह है।”

इन इबारतों से निम्नलिखित नतीजे हासिल हुए।

1. इमामे आज़म अबू हनीफ़ा और इमाम मुहम्मद रह० के नज़दीक़ सदका-ए-फ़ित्र वगैरह जिम्मी काफ़िर को देना जायज़ है, मगर बेहतर यह है कि मुसलमान को दिया जाए। जिम्मी

को देना बेहतर नहीं।

2. इमाम अबू यूसुफ़ रह० का मशहूर कौल भी यही है, मगर उनसे एक रिवायत यह है कि सद्क़ाते वाजिबा काफ़िर को देना सही नहीं।

3. हावी कुदसी ने इमाम अबू यूसुफ़ रह० की इस रिवायत को लिया है मगर हिदाया और फ़िक्का हनफ़ी के तमाम मुतून (बुनियादी किताबों) ने इमाम अबू हनीफ़ा व इमाम मुहम्मद रह० ही के कौल को लिया है।

4. जिन हज़रात ने जायज़ न होने का फ़तवा दिया उन्होंने ग़ालिबन हावी कुदसी के कौल पर भरोसा किया है, बहिश्ती ज़ेवर के मतन (असल इबारत) में भी इसी को लिया गया है। और बन्दे ने भी जंग के किसी पिछले अंक में इसी को इख़्तियार किया था, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा व इमाम मुहम्मद का फ़तवा जायज़ होने का है, और हावी कुदसी के अलावा तमाम अकाबिर (बड़े उलेमा) ने इसी को इख़्तियार किया है, बहिश्ती ज़ेवर के हाशिये में भी इसी को नक़ल किया है, इसलिए इस नाकारा ने अपने पहले मसले से रुजू करना ज़रूरी समझा था।

मन्नत व सदका

सदके की परिभाषा और किस्में

सवाल: सदके की तारीफ़ (परिभाषा) क्या है और उसकी कितनी किस्में हैं?

जवाब: जो माल अल्लाह तआला की रज़ा के लिए अल्लाह की राह में गरीबों मिस्कीनों को दिया जाता है या ख़ैर के किसी काम में खर्च किया जाता है उसे सदका कहते हैं। सदके की तीन किस्में हैं:

1. फ़र्ज़, जैसे ज़कात।
2. वाजिब, जैसे नज़्र, सदका-ए-फ़ित्र और कुरबानी वगैरह।
3. नफ़्ती सदकात जैसे आम ख़ैरात।

ख़ैरात, सदके और नज़्र में फ़र्क

सवाल: ख़ैरात, सदका और नज़्र व नियाज़ में क्या फ़र्क है?

जवाब: सदका व ख़ैरात तो एक ही चीज़ है, यानी जो माल अल्लाह तआला की खुशनुदी के लिए किसी ख़ैर के काम में खर्च किया जाए वह सदका व ख़ैरात कहलाता है, और किसी काम के होने पर कुछ सदका करने की या किसी इबादत के बजा लाने की मन्नत मानी जाए तो उसको नज़्र कहते हैं। “नज़्र” का हुक्म ज़कात का हुक्म है, उसको सिर्फ़

ग़रीब गुरबा खा सकते हैं, ग़नी (मालदार) नहीं खा सकते, नियाज़ के मायने भी नज़्र ही के हैं।

सदके और मन्नत में फ़र्क

सवाल: सदके और मन्नत में क्या फ़र्क है?

जवाब: नज़्र और मन्नत अपने ज़िम्मे किसी चीज़ के लाज़िम करने का नाम है, जैसे कोई शख्स मन्नत मान ले कि मेरा फ़ुलॉ काम हो जाए तो मैं इतना सदका करूँगा, काम होने पर मन्नत मानी हुई चीज़ वाजिब हो जाती है। और कोई आदमी बग़ैर लाज़िम किए अल्लाह तआला के रास्ते में ख़ैर-ख़ैरात करे तो उसको सदका कहते हैं। गोया मन्नत भी सदका ही है मगर वह वाजिब सदका है, जबकि आम सदकात वाजिब नहीं होते।

नज़्र व मन्नत की तारीफ़

सवाल: नज़्र और मन्नत की तारीफ़ (मायने और परिभाषा) क्या है? और उनमें अगर कोई फ़र्क हो तो वाज़ेह फ़रमाएँ।

जवाब: नज़्र के मायने हैं किसी शर्त पर कोई इबादत अपने ज़िम्मे ले लेना, जैसे फ़ुलॉ काम हो जाए तो मैं इतने नफ़िल पढ़ूँगा, इतने रोज़े रखूँगा, बैतुल्लाह का हज करूँगा, या इतनी रक़म फ़कीरों को दूँगा वग़ैरह। इसी को मन्नत भी कहा जाता है। मन्नत और नज़्र का गोश्त न खुद इस्तेमाल कर सकता है न किसी ग़नी (मालदार) को दे सकता है, बल्कि उसका गोश्त फ़कीरों ग़रीबों पर तक़सीम करना ज़रूरी है।

मन्नत की शर्तें

सवाल: हमारे मजहब में मन्नत मानना कैसा है और उसके अलफ़ाज़ क्या होने चाहिएँ? और किन-किन सूरतों में मन्नत माननी चाहिए?

जवाब: शरअन् मन्नत मानना जायज़ है, मगर मन्नत मानने की चन्द शर्तें हैं- अव्वल यह कि मन्नत अल्लाह तआला के नाम की मानी जाए, अल्लाह के अलावा किसी और के नाम की मन्नत जायज़ नहीं, बल्कि गुनाह है। दूसरे यह कि मन्नत सिर्फ़ इबादत के काम की सही है, जो काम इबादत नहीं उसकी मन्नत भी सही नहीं। तीसरे यह कि इबादत भी ऐसी हो कि उस तरह की इबादत कभी फ़र्ज़ या वाजिब होती है, जैसे नमाज़, रोज़ा, हज कुरबानी वगैरह, ऐसी इबादत कि उसकी जिन्स कभी फ़र्ज़ या वाजिब नहीं उसकी मन्नत भी सही नहीं, चुनाँचे कुरआन-ख़्वानी की मन्नत मानी हो तो वह लाज़िम नहीं होती।

सिर्फ़ ख़याल आने से

मन्नत लाज़िम नहीं होती

सवाल: मोहतरम! मेरी एक दोस्त है गैर-शादीशुदा, उसकी फूफी की शादी को काफ़ी अर्सा गुज़र गया, वह अभी तक औलाद की नेमत से मेहरूम है। एक दिन मेरी दोस्त के ज़ेहन में यह ख़याल आता है कि फूफी यह कहें कि मेरे यहाँ (फूफी के यहाँ) औलाद हो गई तो मैं बच्चों का सामान किसी को भी दे दूँगी। उसके बाद उसके ज़ेहन में यह ख़याल आता

है कि यह मन्नत तुमने अपने लिए मानी है, लेकिन यह ख्याल आते ही मेरी दोस्त ने खुदा से तौबा कर ली है और उसका ज़ेहन इस सारी चीज़ को कबूल नहीं करता।

मेरी दोस्त आजकल बहुत परेशान है, मेहरबानी फ़रमाकर मौलाना साहिब! आप यह फ़रमाएँ कि इस तरह सिर्फ़ ज़ेहन में ख्याल आने से मन्नत हो जाती है कि नहीं? जबकि लोग कहते हैं कि सिर्फ़ ख्याल आने से मन्नत नहीं होती।

जवाब: सिर्फ़ किसी बात का ख्याल आने से मन्नत नहीं होती, बल्कि ज़बान से अदा करने के साथ होती है।

हलाल माल सदका करने से बला दूर होती

है, हराम माल से नहीं

सवाल: उलेमा से सुना है कि सदका बला को दूर करता है। सदका हर मर्ज़ का इलाज है। क्या यह दुरुस्त है? किसी शख्स को साये का दौरा पड़ता है या जादू की तकलीफ़ है तो क्या सदका करने से उसकी तकलीफ़ या दौरे में फ़र्क़ पड़ेगा? किसी तकलीफ़ के लिये सदका किस तरह करना चाहिए? क्या सदक़े की मन्नत माननी भी जायज़ है, जैसे ऐ खुदा! अगर फुल्लों तकलीफ़ इतने समय में दूर हो जाए तो मैं इतना सदका करूँगा, क्या यह जायज़ है?

एक शख्स कहता है कि इसका मतलब तो यह हुआ कि अल्लाह रिश्वत लेकर तकलीफ़ दूर करता है। अगर सदका हर मर्ज़ का इलाज है, सदका करने से तकलीफ़ परेशानी दूर होती है तो फिर गंजापन एक बीमारी है, क्या सदका करने से सर पर बाल उग आएँगे? सदका सिर्फ़ ग़रीबों का हक़ है या

मस्जिद में भी दिया जा सकता है? मेहरबानी फ़रमाकर सदके के बारे में उपर्युक्त सवालालात का मुफ़स्सल जवाब तहरीर फ़रमा दें। सदके से कौनसी तकलीफ़ बीमारी दूर हो सकती है, और किस तरह करना चाहिए?

जवाब: सदका बला को दूर करने का ज़रिया है, लेकिन "हर मर्ज़ का इलाज है" यह मैंने नहीं सुना है। जो मुसीबतें और तकलीफें अल्लाह तआला की नाराज़गी की वजह से पेश आती हैं, वे सदके से टल जाती हैं, क्योंकि सदका अल्लाह तआला के गुस्से को ठन्डा करता है। मन्नत मानना जायज़ है मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसको पसन्द नहीं फ़रमाया, इसलिए बजाये मन्नत मानने के नक़द सदका करना चाहिए। ग़रीबों और मोहताजों की ख़िदमत भी सदका है, और मस्जिद की ख़िदमत भी सदका है, मगर सदका पाक माल से होना चाहिए, नापाक और हराम माल में से किया हुआ सदका अल्लाह तआला की बारगाह में क़बूल नहीं होता।

गैरुल्लाह की नियाज़ का मसला

सवाल: क्या इमाम जाफ़रे सार्दिक़ की नियाज़ और ग्यारहवीं का खाना हराम है? क्या अल्लाह तआला के अलावा किसी गैर की नियाज़ नहीं होती?

जवाब: गैरुल्लाह के नाम जो नियाज़ दी जाती है अगर उससे मक़सूद उस बुजुर्ग की रूह को ईसाले सवाब है यानी अल्लाह तआला की रज़ा के लिए जो सदका किया जाए उसका सवाब उस बुजुर्ग को बख़्श देना मक़सूद हो, तो यह सूरत तो जायज़ है। और अगर महज़ उस बुजुर्ग की रज़ा हासिल करने के लिए उसके नाम की नज़्र व नियाज़ दी जाए

ताकि वह खुश होकर हमारे काम बनाए तो यह नाजायज़ और शिर्क है।

बकरी किसी जिन्दा या मरे हुए के नाम करना

सवाल: क्या यह सही है कि एक बकरी किसी जिन्दा या मरे हुए के नाम कर दें और फिर उसको जिबह करें तो उसका खाना जायज़ है? या ऐसे कहे कि मेरा यह फुल्लों काम हो गया तो मैं यह बकरी उस वलीयुल्लाह (यानी किसी बुजुर्ग) के नाम पर जिबह करूँगा।

जवाब: बकरी किसी बुजुर्ग के नाम कर देने से अगर यह मुराद है कि इस सदके का सवाब उस बुजुर्ग को पहुँचे तो ठीक है, और उस बकरी का गोश्त हलाल है, जबकि वह अल्लाह तआला के नाम पर जिबह की गई हो, और अगर उस बुजुर्ग के नाम पर चढ़ावा मकसूद है तो यह शिर्क है और वह बकरी हराम है, हाँ मगर यह कि नज़्र मानने वाला अपने फ़ेल से तौबा करके अपनी नज़्र से बाज़ आ जाए।

खातूने जन्नत की कहानी मन-गढ़त है

और उसकी मन्नत नाजायज़

सवाल: अगर कोई खातून (औरत) यह मन्नत माने कि अगर मेरा फुल्लों काम पूरा हो जाए तो खातूने जन्नत (यानी हज़रत फ़ातिमा) की कहानी सुनूँगी। मैंने भी तीन सौ दफ़ा खातूने जन्नत की कहानी सुनने की मन्नत मान रखी है, लेकिन तीन सौ दफ़ा सुनना दुश्वार हो रहा है, आप कोई हल बतलाएँ।

जवाब: ख़ातूने जन्नत की कहानी मन-गढ़त है, न उसकी मन्नत दुरुस्त है न उसका पूरा करना जायज़ है। आप इस मन्नत से तौबा करें उसके पूरा न करने की वजह से परेशान न हों।

न तो मज़ार पर सलामी की मन्नत मानना

जायज़ है और न उसका पूरा करना

सवाल: मेरी वालिदा (माँ) ने नीयत की थी कि मेरी शादी हो जाएगी तो वह मुझे और मेरी दुल्हन को लेकर लाल शहबाज़ कलन्दर के मज़ार पर सलामी के लिए जाएँगी। अब शादी हो गई है लेकिन मैं औरतों के मज़ारों पर जाने का मुख़ालिफ़ हूँ। शरीअत की रू से मुझे क्या करना चाहिए?

जवाब: ऐसी मन्नत मानना सही नहीं और उसका पूरा करना भी दुरुस्त नहीं, इसलिए आप सलामी देने के लिए अपनी बीवी को मज़ार पर लेकर हरगिज़ न जाएँ।

सेहत के लिए अल्लाह से

मन्नत मानना जायज़ है

सवाल: अगर बीमारी से शिफ़ा के लिए मन्नत अल्लाह से मानी जाए तो क्या यह दुरुस्त व जायज़ है? क्या यह अल्लाह से शर्त करना नहीं होगा?

जवाब: सेहत के लिए मन्नत मानना जायज़ है, मगर उससे बेहतर यह है कि बग़ैर मन्नत के सदका व ख़ैरात की जाए और अल्लाह तआला से सेहत की दुआ की जाए।

पराई लकड़ियों से पकी हुई चीज़ जायज़ नहीं

सवाल: हमने अल्लाह के नाम पर कुछ पकाकर तकसीम करने का इरादा किया और वह अल्लाह के हुक्म से पूरा हो गया। पकाने के दौरान लकड़ी की कमी हो गई और किसी परेशानी या किसी वजह से लकड़ी न मिल सकी, तो हमने किसी मैदान से थोड़ी सी लकड़ी उठा ली। काम पूरा हो गया, लकड़ी के मालिक को ढूँढना परेशान-कुन था, इसलिए लकड़ी के वज़न के मुताबिक़ जो रक़म बनती थी वह ख़ैरात कर दी। क्या वह चीज़ जो तकसीम की गई हराम हो गई?

जवाब: अल्लाह के नाम पर जो चीज़ देनी हो उतनी रक़म चुपके से किसी मुस्तहिक़ को दे देनी चाहिए। पका कर खिलाना कोई ज़ख़री नहीं, और पराई लकड़ी उठाकर अल्लाह के नाम की चीज़ पकाना जायज़ नहीं, जिसकी लकड़ियाँ थीं उसको तलाश करके उन लकड़ियों की कीमत अदा की जाए या उससे माफ़ी माँगी जाए।

हराम माल से सदका नाजायज़

और वबाल का सबब है

सवाल: बहुत से लोगों को देखा है कि वे रिश्वत, सूद, नाजायज़ तिजारत, हराम कारोबार वग़ैरह से रुपया जमा करते हैं और फिर उससे सदका व ख़ैरात करते हैं और हज़ भी करते हैं। पूछना यह है कि हराम रुपये तो कमाना गुनाह है, फिर उस रुपये से सदका वग़ैरह जायज़ है या नहीं?

जवाब: माले हराम से सदका क़बूल नहीं होता, बल्कि

उल्टा वबाल का सबब है। हदीस शरीफ़ में है कि “अल्लाह तआला पाक हैं और पाक चीज़ ही को क़बूल करते हैं”। हराम और नाजायज़ माल का सदका करने की मिसाल ऐसी है कि कोई शख्स गन्दगी का टोकरा किसी बादशाह को हदिये के तौर पर पेश करे, ज़ाहिर है कि उससे बादशाह खुश नहीं होगा बल्कि उल्टा नाराज़ होगा।

एक हाथ से सदका दिया जाए तो दूसरे हाथ को पता न चले, का मतलब

सवाल: सदक़े के बारे में उलेमा-ए-किराम से सुना है कि इस तरह दिया जाए कि दूसरे हाथ को इल्म न हो, दूसरे हाथ से मुराद दूसरा आदमी है। क्या अगर एक आदमी सदका देना चाहता है और वह खुद बाहर के मुल्क में कारोबार कर रहा है, जिस आदमी को सदका देना चाहता है उसका कोई पता नहीं है, (बेवा औरत है) वह किस तरह उसको देगा। अगर सदक़े की रक़म अपनी बीवी के ज़रिये देना चाहे तो इस सदक़े में कोई हर्ज तो नहीं? जबकि बीवी शौहर के हुक्क बराबर हैं, इस तरह सदका हो जाएगा या नहीं? इसका कोई विकल्प बताएँ।

जवाब: जो सूरत आपने लिखी है उसके मुताबिक़ बीवी के ज़रिये सदका देने में कोई हर्ज नहीं। “एक हाथ से दिया जाए तो दूसरे हाथ को पता न चले” से मक़सूद यह है कि दिखावे, रियाकारी और नाम के लिये नहीं होना चाहिए और घर के भरोसेमन्द अफ़राद के ज़रिये सदका देना रियाकारी नहीं।

सदके में बहुत-सी शर्तें

और पाबन्दियाँ लगाना दुरुस्त नहीं

सवाल: क्या सदके में काला मुर्गा या किसी रंग व नस्ल का मुर्गा देना जायज है, इसकी शर्ई हैसियत क्या है?

जवाब: जो चीज़ रज़ा-ए-इलाही के लिए अल्लाह के रास्ते में दी जाए वह सदका कहलाती है। नफ़ली सदका कम या ज़्यादा अपनी तौफ़ीक़ के मुताबिक़ आदमी कर सकता है। सदके से बलाएँ दूर हो जाती हैं, सदके में बकरे या मुर्गों का ज़िबह करना कोई शर्त नहीं, और न किसी रंग व नस्ल की क़ैद (पाबन्दी) है। बाज़ लोग जो इस किस्म की शर्तें और पाबन्दियाँ लगाते हैं वे अक्सर बद्-दीन होते हैं।

मन्नत को पूरा करना ज़रूरी है और उसके

मुस्तहिक़ ग़रीब लोग और मदरसे के

तालिब-इल्म हैं

सवाल: मेरी वालिदा साहिबा ने मेरी नौकरी के सिलसिले में मन्नत मानी थी कि अगर मेरे बेटे को मतलूबा जगह नौकरी मिल गई तो मैं अल्लाह के नाम पर कुरबानी करूँगी। अल्लाह का शुक्र है नौकरी मिल गई। खुदा का शुक्र है, लेकिन काफ़ी समय गुज़र गया अभी तक मन्नत पूरी नहीं की, उसमें सुस्ती और देर ज़रूर हुई है लेकिन उसमें हमारी नीयत में कोई फ़ुतूर नहीं, सिर्फ़ यह मतलूब है कि उसके अदा करने

का तरीका क्या हो जो सही और ऐन इस्लामी हो, इसमें मतभेद यह है कि जिस जानवर की कुरबानी की जाए उसका गोشت रिश्तेदारों, घर के अफ़राद के लिए नाजायज़ है या जायज़? या पूरा का पूरा ग़रीब व मिस्कीन और किसी दारुल-उलूम मदरसे को दे देना चाहिए?

जवाब: आपकी वालिदा के जिम्मे कुरबानी के दिनों में कुरबानी वाजिब है और उस गोشت का ग़रीबों और फ़कीरों पर तफ़सीम करना लाज़िम है, मन्नत की चीज़ ग़नी और मालदार लोग नहीं खा सकते, जिस तरह कि जकात और सदका-ए-फ़ित्र मालदारों के लिए हलाल नहीं।

काम होने के लिए जिस चीज़ की मन्नत मानी थी वह याद नहीं रही तो क्या करे

सवाल: मैंने मन्नत मानी थी कि अगर मेरी मुराद पूरी हो गई तो मैं रोज़े रखूँगा और सदका दूँगा, वगैरह। इस सिलसिले में पूछना यह है कि मुझे सही तरह याद नहीं है कि मैंने कितने रोज़ों की मन्नत मानी थी, और सदके में क्या देना है। क्या मैं दोबारा किसी चीज़ की नीयत कर सकता हूँ (यानी सदका वगैरह या नफ़िल नमाज़ या रोज़े वगैरह की तादाद या पैसों की मिक़दार दोबारा मुतैयन कर सकता हूँ कि नहीं)। यह वाज़ेह रहे कि अभी मेरी मुराद पूरी नहीं हुई, मैं चाहता हूँ कि जो भी मन्नत मानूँ उसे पूरा करूँ, इसलिए लिखकर अपने पास रख लूँ ताकि याद रह सके, या फिर मुझे पहले वाली मन्नत पूरी करनी होगी?

जवाब: जिस काम के लिए आपने मन्नत मानी थी अगर वह पूरा नहीं हुआ तो मन्नत लाज़िम नहीं होती, अगर आपने यूँ कहा था कि इतने रोज़े रखूँगा या इतना सदका दूँगा तब तो काम पूरा हो जाने की सूरत में आपको उतने ही रोज़े रखने होंगे और सदका देना होगा, और अगर याद नहीं तो सोचने और ध्यान करने के बाद जो मिक्दार (मात्रा और तादाद) ज़ेहन में आए उसको पूरा करना होगा, और अगर यूँ कहा था कि कुछ रोज़े रखूँगा या कुछ सदका दूँगा तो अब उसका निर्धारण कर सकते हैं।

अगर सदके की अमानत गुम हो गई तो

उसका अदा करना लाज़िम नहीं

सवाल: कुछ दिन पहले मेरी बड़ी बहन (गैर-शादीशुदा) ने मुझे चार सौ रुपये बकरा सदका करने के लिए दिए और साथ ही यह नसीहत की कि ये रुपये तुम्हारे रुपयों में शामिल न हों। मैंने वे रुपये अलग रखने की गर्ज से मोड़कर जेब में रख लिए कि सुबह बकरा सदका करवा दूँगा। लेकिन इत्तिफ़ाक़ से ये रुपये उसी रात को मेरी जेब से कहीं निकल गए। मेरे अन्दाज़े से ये रुपये मोटर साईकल पर जाते हुए जेब में अलग होने की वजह से कहीं उड़ गए हैं, इस तरह मेरी बहन ने जो रकम सदके के लिए निकाली थी वह उस मक़सद के लिए इस्तेमाल न हुई। आपसे यह पूछना है कि ऐसी सूरत में सदका हो गया या नहीं? जबकि नीयत मेरी बिल्कुल साफ़ थी और हदीस में भी है कि अल्लाह तआला तुम्हारी नीयतों को देखता

है। अगर मैं चाहूँ तो अपनी जेब खर्च से पैसे बचाकर उतनी ही रक़म दोबारा जमा करके सदका कर सकता हूँ। बराहे मेहरबानी मेरी इस सिलसिले में रहनुमाई फ़रमाएँ क्योंकि जिस दिन से रुपये खोए हैं मैं शदीद ज़ेहनी उलझन का शिकार हूँ।

जवाब: आपके ज़िम्मे उन पैसों का अदा करना लाज़िम नहीं, अगर आपकी बहन ने नफ़ली सदके के लिए दिए थे तो उनके ज़िम्मे कुछ लाज़िम नहीं, और अगर नज़्र (मन्नत) मानी थी तो उनके ज़िम्मे उस नज़्र का पूरा करना लाज़िम है।

शीरीनी की मन्नत मानी हो तो उतनी रक़म भी खर्च कर सकते हैं

सवाल: मैंने एक मुश्किल वक़्त खुदा के हुज़ूर कामयाबी के लिए 11 रुपये की शीरीनी मानी थी, अब मैं वह रक़म किसी मस्जिद की तामीर में खर्च करना चाहता हूँ। आया दुरुस्त है या मुझे मिठाई वगैरह लेकर तक़सीम करनी पड़ेगी?

जवाब: किसी मोहताज ग़रीब को उतनी रक़म दे दी जाए।

मय्यित के सवाब के लिए किया हुआ सदका

मस्जिद में इस्तेमाल करना

सवाल: हमारे इलाके में अगर किसी की मौत हो जाए तो उसके पीछे जो सदका दिया जाता है वह मस्जिद में इस्तेमाल करते हैं। क्या ऐसा करना जायज़ है या नहीं? हम उस सदके को मस्जिद की ज़रूरतों में खर्च कर सकते हैं या नहीं?

जवाब: अगर मय्यित ने मस्जिद में खर्च करने की वसीयत की हो या उसके वारिस (बशर्ते कि वे आकिल बालिग हों) खुद मय्यित की तरफ से मस्जिद में खर्च करते हैं तो सही है, और यह सदका-ए-जारिया में शुमार होगा।

मन्नत पूरी करना काम होने के बाद ज़खरी है, न कि पहले

सवाल: अगर कोई शख्स मन्नत माने कि मेरा फुल्लों काम हो तो मैं रोज़ा रखूँगा या नफ़िल वगैरह पढ़ूँगा, तो वह शख्स यह काम मन्नत पूरी होने से पहले करे या बाद में करे?

जवाब: अल्लाह तआला के नाम की मन्नत मानना जायज़ है और काम होने के बाद मन्नत का पूरा करना लाज़िम होता है, पहले नहीं। और काम के पूरा होने से पहले उस मन्नत का अदा करना भी सही नहीं, पस अगर मन्नत का रोज़ा पहले रख लिया और काम बाद में पूरा हुआ तो काम होने के बाद रोज़ा दोबारा रखना लाज़िम होगा।

मन्नत का एक ही रोज़ा रखना होगा या दो

सवाल: किसी आदमी ने मन्नत मानी थी कि मेरा फुल्लों काम पूरा हो गया तो मैं हर साल मुहर्रम के महीने में या किसी और महीने में एक रोज़ा रखूँगा, उसकी मन्नत पूरी हो गई। रोज़ा तो वह हर साल अपने मुकर्ररा महीने में रखता है, मगर बाज़ लोगों का कहना है कि मन्नत का रोज़ा अकेला एक नहीं रखा जाता, दो लगातार रखे। बराहे मेहरबानी इस सिलसिले में शरीअत के हिसाब से रोशनी डालें ताकि शक दूर

हो। अगर दो रोज़े लगातार रखने थे तो पिछले जितने सालों के रोज़े रखे हों उनका कफ़ारा किस तरह अदा किया जाए?

जवाब: अगर एक ही रोज़े की मन्नत मानी थी तो एक रोज़ा वाजिब है, दूसरा मुस्तहब, उसकी कज़ा रखने की ज़रूरत नहीं।

सदके का गोश्त घर में इस्तेमाल करना

नाजायज़ है

सवाल: एक आदमी सदके में बकरा जिबह करता है और वह गोश्त आस-पास पड़ोसियों में बाँटता है, आया वह गोश्त घर में भी खिला सकता है या कि नहीं? आप शरई दलील पेश करें कि सदके के बकरे का गोश्त घर में इस्तेमाल हो सकता है या नहीं?

जवाब: बकरा जिबह करने से सदका नहीं होता, बल्कि फ़कीरों व मसाकीन को देने से सदका होता है, इसलिए जितना गोश्त मोहताजों ग़रीबों को तक़सीम कर दिया उतना सदका हो गया और जो घर में खा लिया वह नहीं हुआ, अलबत्ता अगर नज़्र (मन्नत) मानी हुई थी तो उस पूरे बकरे का ग़रीबों मिस्कीनों पर सदका करना वाजिब है। न मालदार पड़ोसियों को देना जायज़ है, और न घर में खाना जायज़ है।

जो गोश्त फ़कीरों और मिस्कीनों में तक़सीम कर

दिया वह सदका है, जो घर में रखा वह सदका नहीं

सवाल: कुछ देहाती इलाकों में रस्मों वाले रिवाज जारी हैं,

जिनमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं। हमारे गाँव से जो लोग विदेशों में मजदूरी करते हैं या नौकरी से वापसी पर छुट्टी के दौरान आते हैं वे एक दो या ज़ायद गाय या बैल सदका करते हैं, मगर वे कहते हैं कि मैंने “गश्ती” मानी थी जो कर रहा हूँ (दाद सदका)।

उसकी तक़सीम इस तरह होती है कि गोश्त को तीन हिस्सों में बाँट दिया जाता है, जिसके लिए कोई पैमाना या तौल नहीं होती, अन्दाज़ा होता है। एक हिस्सा घर के लिए रख दिया जाता है बाकी दो को इकट्ठा मिलाकर छोटा-छोटा काट लेते हैं और रिश्तेदारी के हर घर में प्रति आदमी आधा किलो ग्राम के हिसाब से देते हैं। ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हों तो बग़ैर हिसाब के भी दिया जाता है। उस वक़्त जो ग़ैर लोग मौजूद होते हैं उन्हें सिर्फ़ आधा किलो ग्राम के हिसाब से दिया जाता है, बाकी गोश्त घर के लिए रख दिया जाता है। जबकि गाय या बैल का चमड़ा, सर और अन्दरूनी गोश्त जैसे दिल, कलेजा, गुर्दे, फेफड़े और थोड़ा बहुत दूसरा अच्छा गोश्त पहले ही अपने घर के लिए रख दिया जाता है।

हमें इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है, अगर वह सदका है तो उसको गश्ती का नाम क्यों दिया जाता है? फिर अगर सदका तसब्बुर करके दिया जाता है तो क्या उसका यह तरीका दुरुस्त है? खुदा उसे मन्ज़ूर कर लेता है या नहीं?

जवाब: “गश्ती” का मतलब तो मैं समझा नहीं, अगर यह नज़्र (मन्नत) होती है तो पूरे का सदका करना ज़रूरी है, खुद खाना या अमीरों को देना जायज़ नहीं। और अगर वैसे ही सदका होता है तो जितना गोश्त फ़कीरों ग़रीबों को

तक़सीम कर दिया वह सदका है और जो घर में रख लिया वह सदका नहीं।

मन्नत का गोश्त सिर्फ़ ग़रीब खा सकते हैं

सवाल: मेरी बहन ने यह मन्नत मानी थी कि अगर मेरा काम हो गया तो मैं अल्लाह के नाम पर बकरा जिबह करूँगी। लिहाज़ा अब उनका काम हो गया और वह अपनी मन्नत पूरी करना चाहती हैं, और अल्लाह के नाम का बकरा करना चाहती हैं। क्या उस बकरे का गोश्त अज़ीज़ व रिश्तेदार और घर वाले इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? बराहे करम रहबरी फ़रमाएँ।

जवाब: मन्नत की चीज़ को सिर्फ़ ग़रीब-ग़ुरबा खा सकते हैं, अज़ीज़ व रिश्तेदार और खाते पीते लोगों को उसका खाना जायज़ नहीं, वरना मन्नत पूरी नहीं होगी।

सवाल: आपने जुमा के अंक में एक सवाल के जवाब में इरशाद फ़रमाया था कि मन्नत का गोश्त पूरा का पूरा अल्लाह की राह में तक़सीम करना चाहिए। यह खुद खाना या रिश्तेदारों को खिलाना नाजायज़ है। क्या दूसरी चीज़ों के मुताल्लिक भी यही हुक्म है। जैसे अगर कोई शख्स बकरे के अलावा किसी चीज़ की मन्नत मानता है तो क्या वह भी सारी की सारी अल्लाह की राह में तक़सीम करनी चाहिए?

जवाब: जी हाँ! नज़्र (मन्नत) की तमाम चीज़ों का यही हुक्म है कि उनको ग़रीब-ग़ुरबा पर तक़सीम कर दिया जाए, ग़नी (मालदार) लोगों का उसको खाना जायज़ नहीं और नज़्र मानने वाला और उसके घर वाले खुद भी उसको नहीं खा

सकते।

मन्नत की नफ़लों का पूरा करना वाजिब है

सवाल: मेरी वालिदा सख़्त बीमार थीं, मैंने मन्नत मानी थी कि अगर वालिदा का आप्रेशन ठीक ठाक हो गया तो सौ नफ़िल पढ़ूँगा। मगर उसके बाद मैंने सिर्फ़ 48 नफ़िल पढ़े और बाकी नहीं पढ़े। बताइये अब क्या करूँ?

जवाब: अगर आपकी वालिदा का आप्रेशन ठीक हो गया था तो सौ नफ़िल आपके ज़िम्मे वाजिब हो गए। अपनी मन्नत को पूरा करना वाजिब है, इसलिए बाकी भी पढ़ लीजिए।

मन्नत के नफ़िल जितने याद हों उतने ही पढ़े जाएँ

सवाल: अगर किसी मुश्किल के लिए नवाफ़िल माने हों और इनसान यह भूल जाए कि मालूम नहीं कितने नफ़िल माने थे, और किस मक़सद के लिए माने गए थे। अगर अब पढ़ने हों तो उनकी नीयत कैसे की जाएगी और तादाद कैसे मालूम हो? क्या हम उन नवाफ़िल के बजाये कोई सदका वगैरह कर सकते हैं?

जवाब: उतने नवाफ़िल ही पढ़े जाएँ। ज़रा याददाश्त पर ज़ोर डाल कर याद किया जाए जितने नफ़लों का ख़्याल ग़ालिब हो उतने पढ़ लिए जाएँ। नफ़िल ही पढ़ना वाजिब है, उनकी जगह सदका देने से वह मन्नत पूरी नहीं होगी।

कुरआन मजीद ख़त्म कराने की मन्नत लाज़िम नहीं होती

सवाल: जब हम किसी काम के पूरा होने के लिए मन्नत

मानते हैं कि फुल्लों काम पूरा होने पर हम कुरआन शरीफ खत्म करवाएँगे, उसके लिए मौहल्ले वालों को बुलाकर हाफिज़ों से कुरआन शरीफ खत्म करवाया जाता है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या अकेला आदमी कुरआन शरीफ खत्म कर सकता है? और कितने दिनों के अन्दर कुरआन शरीफ खत्म करना चाहिए?

जवाब: मन्नत के लाज़िम होने की उलेमा हज़रात ने अच्छी-खासी शर्तें लिखी हैं, अगर वे शर्तें न पाई जाएँ तो मन्नत लाज़िम नहीं होती। उन शर्तों के मुताबिक अगर किसी ने यह मन्नत मानी कि मेरा फुल्लों काम हो जाए तो मैं कुरआन शरीफ खत्म कराऊँगा तो इससे मन्नत भी लाज़िम नहीं होती और इसका पूरा करना वाजिब नहीं।

ग्यारहवीं, बारहवीं को नज़्र नियाज़ करना

सवाल: क्या ग्यारहवीं और बारहवीं शरीफ पर रोशनी करना, इन दिनों फ़ातिहा करना, या नज़्र नियाज़ करना सवाब और ख़ैर व बरकत का सबब है? अगर न करे तो गुनाह तो नहीं है?

जवाब: मुख्तसर यह है कि शरीअत ने सदका ख़ैरात और ईसाले सवाब की तरगीब दी (यानी शौक दिलाया) है, मगर ये तरीके लोगों के खुद बनाये हुए हैं। इसलिए इन चीज़ों का करना जायज़ नहीं, और नाजायज़ चीज़ की नज़्र (मन्नत) मानना भी गुनाह है, और उस नज़्र को पूरा करना भी गुनाह है।

खैरात फ़कीर के बजाये कुत्ते को डालना

जायज़ नहीं

सवाल: मैं रोज़ाना शाम को अल्लाह के नाम का खाना एक रोटी या एक प्लेट चावल कुत्ते को डलवा देती हूँ, फ़कीर को नहीं देती, क्योंकि आजकल के फ़कीर तो बनावटी होते हैं। क्या मैं खाना कुत्ते को डालकर ठीक करती हूँ?

जवाब: जो फ़र्क़ इनसान और कुत्ते में है वही इनसान और कुत्ते को दी गई "खैरात" में है, और आपका यह ख्याल कि आजकल फ़कीर बनावटी होते हैं, बिल्कुल ग़लत है। अल्लाह तआला के बहुत से बन्दे ज़रूरत-मन्द और मोहताज हैं मगर किसी के सामने अपनी हाजत-मन्दी (ग़रीबी लाचारी) का इज़हार नहीं करते। ऐसे लोगों को सदका देना चाहिए। दीनी मदरसों के तलबा को देना चाहिए। इसी तरह "अल्लाह के रास्ते" की बहुत सी सूरतें हैं, मगर आपके सदके का मुस्तहिक़ सिर्फ़ कुत्ता ही रह गया है।

नफ़ली सदकात

सदका और खैरात की परिभाषा

सवाल: सदका और खैरात एक ही चीज़ के दो नाम हैं या इनमें कुछ फ़र्क़ है?

जवाब: उर्दू मुहावरे में ये दोनों लफ़ज़ एक ही मायने में

इस्तेमाल होते हैं। कुरआन मजीद में सदक़े का लफ़्ज़ ज़कात पर भी बोला गया है, और ख़ैरात तमाम नेक कामों को कहा गया है।

सदक़े का तरीक़ा

सवाल: (1) सदक़े के मायने क्या हैं?

(2) बाज़ लोग अपनी जान और माल का सदक़ा देते हैं, उसका क्या मक़सद है?

(3) क्या सदक़ा कोई ख़ास किस्म की ख़ैरात है जो कि दी जाती है?

(4) सदक़े में क्या देना चाहिए और किन लोगों को दिया जा सकता है?

(5) क्या सैयद को सदक़ा देना जायज़ नहीं? अगर हमें उनकी माली ख़िदमत करनी मक़सूद हो तो क्या नीयत होनी चाहिए?

(6) बहुत से लोग थोड़ा सा गोश्त मंगाकर चीलों को लुटा देते हैं और कहते हैं कि यह जान का सदक़ा दिया है, क्या यह तरीक़ा ठीक है? अगर नक़द रक़म ग़रीबों को दी जाए तो यह अमल कैसा है या वह गोश्त ग़रीबों में तक़सीम कर दिया जाए?

(7) अक्सर यह दखा गया है कि बहुत से लोग काली मुर्गी या काला बकरा ही सिर्फ़ सदक़े के तौर पर देते हैं, क्या काली चीज़ देना ज़रूरी है?

जवाब: सदक़े के मायने हैं अल्लाह तआला की रज़ा व खुशनूदी के लिए ख़ैर के कामों में माल ख़र्च करना। सदक़े

की कुरआन करीम और हदीस शरीफ में बड़ी फज़ीलत और तरगीब आई (यानी इस तरफ़ तवज्जोह और शौक़ दिलाया गया) है। मुसीबतों और तकलीफ़ों के दूर करने में सदका बहुत असरदार चीज़ है।

अल्लाह तआला के रास्ते में जो माल भी खर्च किया जाए वह सदका है, वह किसी मोहताज ग़रीब को नक़द रुपये पैसे दे दे, या खाना खिला दे, या कपड़े दे दे, काला बकरा या काली मुर्गी की कोई खुसूसियत नहीं, न सदके के लिए बकरा या मुर्गी जिबह करना ही कोई शर्त है, बल्कि अगर उनकी नक़द कीमत किसी मोहताज ग़रीब को दे दे तो उसका भी उतना ही सवाब है।

चीलों को गोश्त डालना और उसको जान का सदका समझना भी फ़ुजूल बात है। हाँ कोई जानवर भूखा हो तो उसको खिलाना पिलाना बिला-शुब्हा अज़्र व सवाब का सबब है, लेकिन ज़रूरत-मन्द इनसान को नज़र-अन्दाज़ करके चीलों को गोश्त डालना फ़ुजूल की हरकत है।

सदका ग़रीबों मोहताजों को दिया जाता है, सैयद को सदका नहीं देना चाहिए बल्कि हदिये और तोहफ़े की नीयत से उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन उनको नफ़ली सदका देना जायज़ है, ज़कात और सदका-ए-फ़ित्र नहीं दे सकते। इसी तरह उलेमा और सुलहा (नेक लोगों) को भी सदके की नीयत से नहीं बल्कि हदिये की नीयत से देना चाहिए। सदके की एक किस्म सदका-ए-जारिया है जो आदमी के मरने के बाद भी जारी रहता है, जैसे किसी जगह पानी कि कमी थी वहाँ कुआँ खुदवा दिया, मुसाफ़िरों के लिए मुसाफ़िर-खाना बनवा

दिया, कोई मस्जिद बनवा दी, या मस्जिद में हिस्सा डाल दिया, या कोई दीनी मदरसा बना दिया, या किसी दीनी मदरसे में पढ़ने वालों की खुराक पोशाक और किताबों वगैरह का इन्तिजाम कर दिया, या किसी मदरसे के बच्चों को कुरआन मजीद के नुस्खे खरीद कर दे दिए, या उलेमा को उनकी जरूरत की दीनी किताबें लेकर दे दीं, वगैरह। जब तक उन चीजों को फ़ैज़ जारी रहेगा उस शख्स को मरने के बाद भी उसका सवाब पहुँचता रहेगा।

सदका कब लाज़िम होता है

सवाल: सदका किन वक्तों में लाज़िमी दिया जाता है, और वे चीज़ें जिस पर सदका दिया जाता है उसका सही मसूरफ़ (खर्च करने का स्थान) क्या होना चाहिए।

जवाब: जकात, उशर, सदका-ए-फ़ित्र, कुरबानी, नज़्र, कफ़ारा ये तो फ़र्ज़ या वाजिब हैं, इनके अलावा कोई सदका लाज़िम नहीं। हाँ कोई शख्स बहुत ही जरूरत-मन्द हो और आपके पास गुन्जाईश हो तो उसकी मदद करना लाज़िम है। आम तौर पर नफ़ली सदका मुसीबतों और मुश्किलों के दूर करने लिए दिया जाता है, क्योंकि हदीस में है कि सदका मुसीबत को टालता है।

ख़ैरात का खाना खिलाने का सही तरीका

सवाल: हमारे मौहल्ले में मस्जिद है, उसमें मौहल्ले के लोग हर जुमेरात को शाम के वक्त खाना लाते हैं, ख़ैरात की नीयत से नमाज़ी एक दो लुक़्मा डालकर उठता है। ऐसे ही

एक-एक करके काफी नमाज़ी एक दो लुक़्मा डालकर चलते हैं, कोई भी पेट भरकर नहीं खा सकता, क्योंकि वह इतना होता नहीं कि सब नमाज़ी पेट भरकर खा लें। क्या बेहतर यह नहीं कि वह एक जगह घर पर 5 आदमी बुलाकर पेट भरकर खिला दे?

जवाब: इससे भी बेहतर यह है कि मौहल्ले में कोई तंगदस्त हो तो उसके घर खाना भेज दिया जाए या उतनी रक़म नक़द उसको दे दी जाए। बाज़ लोग खाना खिलाने को ही सदक़ा समझते हैं। अगर ज़रूरत-मन्दों को नक़द दिया जाए या गुल्ला दे दिया जाए उसको सदक़ा ही नहीं समझते।

इसी तरह बाज़ लोग जुमेरात ही को खाना मस्जिद में भेजना ज़रूरी समझते हैं, हालाँकि सदक़े के लिए न जुमेरात की शर्त है और न मस्जिद में भेजने की। बाज़ लोग ईसाले सवाब के लिए खाना खिलाते हैं और यह समझते हैं कि जब तक खाने पर फ़ातिहा न दिलाई जाए ईसाले सवाब ही नहीं होता, यह भी ग़लत है।

आपने इख़्लास के साथ जो कुछ भी खुदा के रास्ते में दे दिया वह क़बूल हो जाता है, और अगर आप उसका सवाब किसी अज़ीज़ या बुजुर्ग को पहुँचाना चाहते हैं तो ईसाले सवाब की नीयत से उसको सवाब पहुँच जाता है।

चोरी के माल की वापसी या उसके बराबर सदक़ा

सवाल: किसी शख्स ने किसी चीज़ की चोरी की और चोरी करने के बाद उसको यह ख़्याल आया कि ऐसा करना नहीं चाहिये था, लेकिन जिस जगह से वह चीज़ नाजायज़ तौर

पर हासिल की गई थी वहाँ उसका पहुँचाना भी मुम्किन न हो, तो क्या उसकी कीमत के बराबर रकम ख़ैरात कर देने के बाद वह माल तसर्रुफ़ (इस्तेमाल) में लाया जा सकता है?

जवाब: अगर उस शख्स का पता मालूम है तो वह चीज़ या उसकी कीमत उसको पहुँचाना लाज़िम है। रकम भेजने में तो कोई इश्काल नहीं। बहरहाल अगर उस शख्स का पता निशान मालूम हो तो उसकी तरफ़ से कीमत सदका कर देना काफी नहीं, बल्कि उसको पहुँचाना ज़रूरी है। और अगर वह शख्स मर गया हो तो उसके वारिस अगर मालूम हों तो हर वारिस तक उसका हिस्सा पहुँचाना लाज़िम है, अगर उसका पता निशान मालूम न हो तो उसकी तरफ़ से उस चीज़ को सदका कर दिया जाए।

ऐसी चीज़ का सदका जिसका मालिक लापता हो

सवाल: कुछ दिन पहले की बात है कि सख्त बारिश हो रही थी, ऐसे में एक बकरी भागकर हमारे घर आ गई और हमारी बकरी के साथ बैठ गई। जब बारिश रुकी तो हमने उसे बाहर निकाल दिया ताकि जहाँ से आई थी वहाँ चली जाए। लेकिन वह बार-बार हमारी बकरी के साथ आकर बैठ रही थी। आखिरकार हमने मजबूर होकर उसे बाहर निकाल कर दरवाज़ा बन्द कर दिया। ऐसे में हमारी गली का हर शख्स यही चाह रहा था कि बकरी मुझे मिल जाए। उनका इसरार यही था कि बकरी उसे दे दी जाए। लेकिन हमने न दी, बल्कि उसे लेकर इलाक़े के दूर-दराज़ मक़ामात तक गए ताकि मालिक का पता लगाया जा सके, लेकिन पता न चल सका।

आखिरकार बकरी हमने रख ली ताकि अगर मालिक आ जाए तो उसे दे दी जाए लेकिन दो महीने होने के बावजूद मालिक का पता न चल सका, न वह खुद आया। अब उस बकरी को हम बेचना चाहते हैं और बेचकर रुपये को उसके मालिक के नाम से ख़ैरात या किसी दीनी इदारे में दे देना चाहते हैं। पूछना यह है कि हमारा यह अमल सही है या ग़लत? अगर ग़लत है तो हम क्या करें?

जवाब: आपका अमल सही है, यही करना चाहिए। लेकिन साथ ही यह नीयत भी हो कि अगर बाद में उसका मालिक मिल गया और उसने बकरी की रक़म का मुतालबा किया तो हम रक़म उसे वापस कर देंगे, और यह सद्का खुद हमारी तरफ़ से शुमार होगा।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ۝

